प्रथम अध्याय

मध्यप्रदेश सामान्य परिचय

मध्यप्रदेश अनादिकाल से भूगोल और इतिहास के केन्द्र में रहा है। करोड़ों वर्ष पूर्व जब धरती पर भारत का अस्तित्व ही नहीं था, तब पृथ्वी के विभिन्न भू–भागों के संयोजन वियोचन और पुर्नसंयोजन फलस्वरूप गौंडवाना महाद्वीप का हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप के मध्यभाग में आकर स्थित हुआ। इसके साथ ही आधुनिक मध्यप्रदेश के इस भू–भाग की यात्रा प्रारंभ हुई। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के घुघवा में प्राप्त समुद्री जीवन और पादपों के बाद के कालखण्ड में राज्य की नर्मदा घाटी के अंचल में अनेक सभ्यताएँ पुष्पित–पल्लवित हुई। इस कारण यह इलाका आज भी पुरात्व विदों एवं इतिहासकारों के आकर्षण का केन्द्र हैं। विभिन्न कालखण्डों में इस भू–भाग को अनेक नामों से पुकारा व पहचाना गया। यहां भगवान राम ने प्रवास किया। भगवान कृष्ण ने उज्जयिनी में सांदीपनी कृषि के आश्रम में शिक्षा पाई। पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा। भगवान राम ने इस भू–भाग पर विचरण किया। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भो के तौर पर भी जाना गया। आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में इसें कुछ इस तरह परिभाषित किया है जो हिमालय और विन्ध्याचल के बीच का हिस्सा है और विनशन (वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ) के पूर्व में है तथा प्रयाग के पश्चिम में है, वह मध्यप्रदेश कहा गया है। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तीर्ण वह क्षेत्र जो इन दोनों पर्वतों–हिमालय और विंध्याचल के बीच में है, उसे विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात –

स्वतंत्रता के पूर्व देश के दूसरे क्षेत्रों की तरह आज के मध्यप्रदेश के तौर पर जाना जाने वाला भू–भाग रियासती एवं ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासित था। स्वतंत्रता के पश्चात इसी आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। सबसे पहले पार्ट–ए

प्रांत थे, जिसमें ब्रिटिश भारत के सारे सूबे शामिल थे। फिर पार्ट–बी के राज्य थे, जिसमें देशी रियासतों को मिलाकर बनाए गए प्रांत आते थे। इन राज्यों का निर्माण क्योंकि राजाओं के साथ हुई संधियों के आधार पर हुआ था, इसलिए वे कुछ दिनों तक अलग रखे गए। फिर पार्ट–सी के राज्य थे जिन पर केन्द्र का शासन होता था। इस तरह देश की आजादी के बाद आज के मध्यप्रदेश के भू–भाग को समटने वाले क्षेत्रों में चार राज्य भोपाल, मध्यभारत, विंध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश (इसे पुराने मध्यप्रदेश के तौर पर भी जाना जाता है) अस्तित्व में आए। इनमें भोपाल राज्य पार्ट–सी राज्य था, मध्यभारत पार्ट–बी राज्य था और मध्यप्रदेश और विंध्यप्रदेश (पुराना) पार्ट–ए राज्य था। 1 जनवरी, 1950 को विंध्यप्रदेश की पार्ट–सी राज्य का दर्जा दे दिया गया।[1]

भोपाल राज्य –

अंग्रेजी शासनकाल में देशी रियासतों को सम्मिलित कर सेन्ट्रल इंडिया एजेंसी स्थापित की गई और भोपाल मुस्लिम शासकों के अधीन एक प्रमुख राज्य बना।

अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर भोपाल केन्द्र शासित राज्य हो गया। एक जून, 1949 को भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। इसको पार्ट–सी स्टेट घोषित किया गया। श्री एन.बी. बैनर्जी यहाँ के मुख्य आयुक्त नियुक्त हुए। इसके पश्चात् जनवरी–फरवरी 1952 में राज्य में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस विजयी हुई। 20 मार्च, 1952 को प्रजा द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधियों ने भोपाल का शासन सूत्र संभाला। वयस्क मताधिकार पर निर्वाचन भोपाल विधानसभा की सदस्य संख्या 30 रखी गई, इसमें से 5 स्थान हरिजन तथा आदिवासियों के लिए आरक्षित किए गए। संपूर्ण राज्य को 23 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया, इनमें से 16 एक सदस्यीय तथा 7 द्विसदस्यीय क्षेत्र थे।

प्रजातांत्रिक भोपाल राज्य की बागडोर निर्वाचन प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपी गई। मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) आई.सी.एस.के. पी. भार्गव को बनाया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा एवं मंत्री मौलाना इनायतुल्लाह खाँ तरजी मशरिकी व श्री उमराव सिंह बने।

विंध्याचल पर्वत की अत्यन्त सुरम्य उपुक्तता में भारत के हृदयस्थल पर स्थित भोपाल राज्य का क्षेत्रफल 6921 वर्गमील तथा 1951 की गणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 8,38,107 थी– इसमें से तीन लाख से अधिक जनसंख्या हरिजन तथा आदिवासियों की थी। 1951 की गणना के अनुसार लगभग 7 लाख (83.25) जनसंख्या ग्रामों में निवास करती थी, बाकी 16.48 नगरीय आबादी थी।

भोपाल राज्य रायसेन व सीहोर दो जिलों में विभाजित था, जिसमें 14 तहसीलें थी। 1. भोपाल, 2. सीहोर, 3. रायसेन, 4. आष्टा, 5. इछावर, 6. नसरूल्लागंज, 7. बैरसिया, 8. गौहरगंज, 9. बुधनी, 10. बरेली, 11, गैरतंगज, 12. बेगमगंज, 13. सिलवानी, 14. उदयपुरा। पाँच हजार से अधिक जनसंख्या वाले कस्बे भोपाल, सीहोर, आष्टा तथा बेगमगंज थे। उर्दू भाषा के विकास में भोपाल ने बड़ा योगदान दिया, लेकिन भोपाल की राजभाषा हिन्दी थी। लम्बी अवधि तक मुसलमानी रियासत होने के कारण कुछ लोगों की भाषी में फारसी का पुट शामिल था। ग्रामीणों की भाषा मालवी तथा गोण्डी रही।

मध्य भारत –

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुए 600 राज्यों के एकीकरण में एक मध्यभारत भी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से 22 अप्रैल, 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासतों के नरेशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप मध्यभार राज्य का सुनहरा स्वप्न मूर्तिमान हुआ। 28 मई, 1948 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया था।

प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का विभाजन 16 जिलों में किया गया। जिनमें इंदौर जिला भी एक था। भूतपूर्व इंदौर और ग्वालियर राज्य के नागरिकों की भावनाओं का आदर करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों के

मुख्यालय अर्थात् ग्वालियर व इंदौर को संयुक्त रूप से राजधानी बनाया गया। शासन वर्ष में साढ़े छह माह ग्वालियर में कार्य करे तथा शेष साढ़े पाँच माह इंदौर राजधानी रहे।

1948–56 की अवधि में मध्यभारत राज्य का प्रशासन निर्वाचित मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता रहा। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान लीलाधर जोशी थे। तत्पश्चात् गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। राज्यों के पुनर्गठन के समय तख्तमल जैन मुख्यमंत्री थे। मध्यभारत की शस्य–श्यामला भूमि शिप्रा, सिन्ध, चंबल, पार्वती, माही आदि सरिताओं को अपने आंचल में छिपाए स्थानीय खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही है। धन–धान्य से पूर्ण इस प्रदेश के विषय में प्रसिद्ध संत कबीर ने कहा था –

"मालव धरती गहन गंभीर, पग–पग रोटी डग'–डग नीर।"

मध्यभारत में खाद्यान्नों के अतिरिक्त तिल्ली, कपास, सन, गन्ना की फसल भी बहुतायात से होती थी। कृषि प्रधान मध्यभारत में कांस के कारण बेकार पड़ी हजारों एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। कृषि विभाग ने ट्रेक्टरों द्वारा कांस उन्मूलन का कार्य प्रारंभ किया। किसानों को अच्छा बीच, खाद व औजारों के लिए कर्ज दिया गया। केन्द्रीय सहायता से कुएँ खोदने, नए तालाब खोदने, पुराने तालाबों की मरम्मत का कार्य किया गया। अधिक उत्पादन कार्य में कृषकों का सहयोग लेने के लिए गाँव–गाँव में समितियाँ बनाई गई। पंचायतों को ग्राम, केन्द्र तथा जिला, तीन भागों में विभक्त किया गया था। कृषक वर्ग की अवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से जागीरों के न्यायालय, माल तथा पुलिस के अधिकार समाप्त किए गए तथा जमींदारों व जागीरदारी उन्मूलन का कार्य भी किया गया।

यातायात के साधन –

प्रत्येक देश, राज्य की प्रगति में यातायात के साधन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है औद्योगिक, राजनैतिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक उन्नति यातायात

के साधनों पर ही निर्भर हैं। मध्यभारत प्रांत के यातायात के मुख्य साधन जी.सी. आई.टी. की मोटर बसें, सिंधिया स्टेट की रेलगाड़ी तथा कुछ भाग में वायुयान सर्विस थी।

मध्यभारत जैसा मोटर यातयात का प्रबंध दूसरे राज्यों में उपलब्ध नहीं था। जी.सी.आई.टी. की लगभग 150 गाड़ियाँ राज्य के विभिन्न भागों में चलती थी। ये एक दिन में 9,500 मील की यात्रा करती थी। प्रतिवर्ष लगभग 26 लाख यात्री इसका लाभ उठाते थे। 800 व्यक्तियों को इसमें रोजगार प्राप्त था। जी.सी.आई.टी. के दो सबसे बड़े रास्ते ग्वालियर–इंदौर तथा ग्वालियर–उज्जैन थे जो कि क्रमशः 308 मील तथा 295 मील लम्बे थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना(1951–56) से पूर्व इंदौर जिले में लगभग 225 मील (362.10 किलोमीटर) लंबी सड़के थीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग 87,000 रूपए की लागत से 5.75 मील लम्बी दो सड़कें बनाई गई। वहीं केन्द्रीय सहायता का उपयोग कर इंदौर से देपालपुर–बेटमा और कस्तूरबा ग्राम को जाने वाली सड़कों का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय राजपथ आगरा–मुंबई मार्ग मध्यभारत से होकर गुजरता था जो ग्वालियर, गुना और ब्यावरा होता हुआ इंदौर पहुँचता था। इसके बाद महू और मानपुर होकर विंध्य पर्वतमालाओं की दक्षिणी ढलानों से होता हुआ नर्मदा के नौघाट से बाहर होकर तथा आगे सेंधवा और खरगोन होता हुआ खानदेश पहुँचता था। इंदौर जिले से चार राजपथ भी गुजरते थे।

1) महू–सिमरोल सड़क
2) इंदौर–सिमरोल–खंडवा सड़क
3) इंदौर–बेटमा–घाटाबिल्लौद सड़क
4) महू–नीमच सड़क

1948 में स्थापित मध्यभारत रोडवेज के इंदौर डिपो का केन्द्र भोपाल में भी था। 1948 की समाप्ति के समय मध्यभारत में छोटे पैमाने पर परिवहन विभाग स्थापित कर दिया गया था। पुलिस विभाग से अलग कर इसे परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक प्रभार के अधीन रखा गया था। 1949 में मध्यभारत मोटरयान अधिनियम पारित किया गया। सबसे पहले 1951 में इंदौर–भोपाल के बीच मोटरगाड़ी चलाई गई।

रेल यातायात –

मध्यभारत में दूसरा यातायात का साधन रेलवे का था। सिंधिया स्टेट रेलवे 294 मील लंबी थी। भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के समय से चली आ रही यह लाइन मध्यभारत के पाँच प्रमुख जिलों के चारों गिर्द, मुरैना, भिंड, शिवपुरी व श्योपुर से होकर गुजरती थी। इस गाड़ी के लिए डिब्बे, इंजन आदि ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स नामक कारखाने में तैयार होते थे।

यात्रियों की सुविधा के लिए ग्वालियर–सबलगढ़ और उज्जैन–आगर के लिए एक–एक गाड़ियां चलाई कई। केन्द्र सरकार ने रेल यातायात को अपने अधीन कर 1951 में पश्चिमी रेलवे जोन का गठन किया था। इससे पहले मालवा से गुजरने वाली रेलवे लाइनें दो स्वतंत्र प्राधिकरणों के अधीन आती थीं।

1) राजपूताना मालवा रेलवे, इंदौर से उज्जैन तक
2) होल्कर स्टेट रेलवे, इंदौर से खंडवा तक

निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व होल्कर और भारत सरकार के बीच एक करारनामा हुआ था जिसे 25 मई, 1870 को शिमला में वायसराय और सपरिषद् गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इंदौर जिले में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 117.53 (एक सौ सत्रह दशमलव पाँच तीन) किलोमीटर थी जिसमें तीन सेक्शन आते थे –

1) इंदौर–खंडवा मीटरगेज (3'3.8'')

2) इंदौर–रतलाम–अजमेर मीटर गेज (3'3.8")

3) इंदौर–देवास–उज्जैन बड़ी लाइन (5'6")

नए विधान में रेलगाड़ियों का विभाग केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत होने से सिंधिया स्टेट रेलवे, राजपूताना–मालवा रेलवे व होल्कर स्टेट रेलवे को केन्द्रीय शासन के अधीन कर लिया गया।

शिक्षा –

मध्यभारत का समृद्ध तथा उन्नत प्रदेश, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीनतम से ही साहित्य, शिक्षा और कला का केन्द्र रहा है। यहाँ की महिष्मति, उज्जैयिनी और धारा नगरियों ने भारतीय इतिहास का वह स्वर्ण युग देखा है जब भारत के प्रतिनिधि कवियों ने अपने काव्य से विश्व साहित्य को समृद्ध किया और विद्वानों ने अपनी विद्वता से समस्त संसार के ज्ञान–भंडार में वृद्धि की। मध्यभारत के निर्माण के बाद परिवर्तित स्थिति के अनुकूल शिक्षा प्रचार में वृद्धि तथा उसकी पूर्ण प्रणाली में वैज्ञानिक नवीन परिवर्तन की शासन ने आवश्यकता अनुभव की एवं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हुआ। मध्यभारत में प्रौढ़ शिक्षा एक आंदोलन बनकर सामने आई। प्रौढ़ शिक्षा का सूत्रपात ग्वालियर जिले के बरई नामक स्थान में हुआ, जहाँ लगभग 20 हजार ग्रामीण जनता शिक्षा के इस महायज्ञ को आरंभ करने के लिए एकत्र हुई थी। इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार गाँव–गाँव में होने लगा। जिलों में प्रौढ़ शिक्षा समितियों के माध्यम से कार्य को संपन्न किया गया। हिन्दी भाषी मध्यभारत में शिक्षा का माध्यम हिन्दी को रखा गया। हर गाँव में प्राथमिक शाला का निर्माण, जीवनोपयोगी और राष्ट्र की प्रगति में सहायक माध्यमिक शिक्षा के साथ हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की शिक्षा को मूर्त रूप दिया गया। मध्यभारत में उच्च शिक्षा संबंधी आश्रम प्रणाली पर संचालित तीन प्रमुख संस्थाएं थीं– ग्वालियर में सिंधिया स्कूल, इंदौर में डेली कॉलेज तथा मल्हार आश्रम। सिंधिया व डेली कॉलेज में साधारण शिक्षा इंटर व सर्टिफिकेट (केम्ब्रिज) तक दी जाती थी। मल्हाश्रम में हाईस्कूल तक शिक्षा दी जाती थी। तीनों संस्थाएँ नगर के वातावरण से

दूर अपनी–अपनी विशेषता लिए संचालित थीं। इनके अतिरिक्त ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कमलाराजा गर्ल्स कॉलेज, इंदौर में होल्कर कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज तथा उज्जैन में माधव कॉलेज उच्च शिक्षा के केन्द्र थे।

कला–कौशल –

मालवा की प्रकृति ने चित्रकार को नैसगिंग भावनाएं, गायक को स्वर एवं लय, शिल्पी को भाव, मूर्तियों एवं कवियों को प्रेरणा प्रदान की है। यही कारण है कि सदैव से ही यह क्षेत्र प्रतिभाशाली कलाकारों की क्रीड़ाभूमि रहा है। मध्यभारत में स्थित बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों ने भारतीय चित्रकला को गौरवान्वित किया। मध्यभारत के चित्रकारों ने उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न किया है। श्री पावलकर, श्री पी. नियोगी, देवलालीकर, मनोहर सिंह जोशी, उमेश कुमार श्रीवास्तव, भांड, देवकृष्ण जोशी, रूद्रहान जी और चन्द्रेश सक्सेना आदि का चित्रकला के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रहा।

संगीत के क्षेत्र में मध्यभारत निःसंदेह अद्वितीय रहा। उदयन, देवसेना, रूपमति और तानसेन की स्वरलहरी आज भी मध्यभारत के वायुमंडल में गुंजरित है। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन ने ध्रुवपद शैली को जन्म दिया था। मध्यभारत राज्य के संगीतकारों में बाबा दीक्षित, वासुदेव बुआ, जोशी, शंकरलाल पंडित आदि अपने शास्त्रीय संगीत के कारण प्रसिद्ध थे। ग्वालियर के संगीतकारों में कृष्णराव पंडित, राजा भैया पूँछवाले, उमड़ेकर, कडूसकर, सप्तषिबंधु का नाम उल्लेखनीय है। श्री कृष्णराव पंडित एवं राजा भैया पूँछवाले पूरे देश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे है। आधुनिक संगीतज्ञों में इंदौर के रहीमुद्दीन का नाम मुख्य है। सरोदवादन उस्ताद हाफिज अली खाँ भी संगीतज्ञों में उच्च स्थान पर रहे है। इंदौर राजदरबार ने अनेक महान संगीतकारों को आश्रय दिया है। बीनकार बन्दे अली खाँ, उनके शिष्य मुराद खाँ और मुराद खाँ के शिष्य बाबू खाँ बीनकारी के उस्ताद थे।[2]

पुराना मध्यप्रदेश

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सी.पी. एण्ड बरार अपने पूर्व नाम और स्वरूप में 1950 तक कायम रहा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद इस प्रदेश का नाम बदलकर मध्यप्रदेश कर दिया गया। इसकी राजधानी नागपुर रखी गई। प्रशासनिक दृष्टि से सन् 1948 तक यह प्रदेश चार कमिश्नरियों तथा 19 जिलों में विभाजित था, किन्तु बाद में कुछ नये जिलों का निर्माण किया गया। इसके बाद जिलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई जो कि 111 तहसीलों में विभाजित किये गये। मध्य प्रांत और बरार का कुल क्षेत्रफल 98,575 वर्गमील था, किन्तु अब मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल 1,30272 वर्गमील हो गया जो कि संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का 9.75 प्रतिशत था।

प्राकृतिक रचना की दृष्टि से इस प्रदेश के पांच भाग थे। यथा–विन्ध्यांचल की उच्चतम भूमि, नर्मदा का कछार, सतपुड़ा की उच्च समभूमि, मैदानी भाग (जिसमें बरार, नागपुर व छत्तीसगढ़ का मैदान तथा महानदी का कछार सम्मिलित था) और दक्षिण की उच्च समभूमि जिसमें अजंता, सिहावा तथा बस्तर की पर्वत–श्रेणियाँ शामिल थीं। नर्मदा, ताप्ती, वर्धा, बैनगंगा, इन्द्रावती, शिवनाथ, हसदेव तथा महानदी यहां की प्रमुख नदियां थी जो कि राज्य के लिए सिंचाई, यातायात और जलविद्युत के साधन प्रस्तुत करती थीं। राज्य का 48 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित था, जो उसके विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों को बहुमूल्य कच्चे माल की पूर्ति करता था।

यहां मुख्यतः गहरी काली भूमि, काली भुरभुरी भूमि, काली चिकनी भूमि, काली रेतीली भूमि, लाल रेतीली भूमि और लाल और पीली भूमि पाई जाती थी। गहरी काली, भूमि गेहूं की फसल के लिये अत्यन्त उपयोगी एवं नर्मदा और पूर्णा नदियों के कछारों में पाई जाती थी। काली भुरभुरी भूमि, जिसे ''कपास की भूमि'' भी कहते थे। कपास तथा ज्वार की फसलों के लिए बहुत उपयोगी थी।

जन–संपत्ति की दृष्टि से भी मध्यप्रदेश भरपूर था। उसके 142 नगरों व 48,444 ग्रामों में 2,12,47,533 जनसंख्या निवास करती थी। कुल जनसंख्या में से ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या क्रमशः 87 तथा 13 प्रतिशत थी। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश मध्यप्रदेश अपने बिखरे हुए ग्रामों में ही बसा हुआ था। ग्रामीण जनसंख्या में पुरूष संख्या की अपेक्षा स्त्री संख्या अधिक है, किन्तु नगरीय जनसंख्या में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम थी। यथा–ग्रामों में जबकि 91,67,850 पुरूष व 92,02,344 स्त्रियां रहती थीं। तब शहरों में 1,494,962 पुरूष व 13,82,377 स्त्रियां थी, किंतु औसत रूप में प्रति हजार पुरूष के पीछे स्त्रियों की संख्या 993 थी। अर्थात् इस दृष्टि से पुरूष–संख्या की अपेक्षा स्त्री–संख्या कम थी।

राज्य की जनसंख्या की जीवनयापन के अनेक साधन थे, किन्तु उनमें से कृषि विशेष महत्वपूर्ण थी। उदाहरणार्थ उसकी 161.5 लाख, अर्थात् 76 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आश्रित थी। कृषि पर निर्भर करने वालों में से अधिकांशतः तो कृषक व उनके आश्रित ही थी, जो स्वयं चावल, ज्वार, गेहूं, चना, तिलहन, दाल तथा कोदो व कुटकी आदि प्रमुख फसलें पैदाकर अपनी जीविका चलाते थे और कुछ भूमिहीन श्रमिक व उन पर निर्भर रहने वाले थे जो कृषकों की मजदूरी कर अपना पेट पालते थे। इसी तरह राज्य की लगभग 10.6 लाख जनसंख्या अन्य उत्पादन के साधनों पर अवलंबित थी।

सिंचाई योजनाएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने के पूर्व यहां 35 बड़े व 87 छोटे सिचाई–कार्य चालू किए थे, जिनमें से बड़े सिंचाई कार्यो द्वारा प्रतिवर्ष 7,94,495 एकड़ व छोटे सिंचाई कार्यो द्वारा प्रतिवर्ष 50,103 एकड़ भूमि सींची जाती थी। इनके अतिरिक्त बड़े सिंचाई कार्यो में बालाघाट जिले की मुरम तालाब योजना और छिंदवाड़ा जिले की चीचबंद और तालाब योजनाओं का कार्य सन् 1951 के पहले ही समाप्त हो चुका था, किन्तु तालाब योजना का अपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की बड़ी सिंचाई योजनाएँ –

राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में अरी तालाब योजना के अतिरिक्त गंगुलपारा, सरोदा, गोदली, सांपना, दुधवा और डुकरीखेड़ा तालाब योजना कार्यान्वित की गई।

छोटी सिंचाई योजना –

उपरोक्त बड़ी सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में 324 लाख रूपए के व्यय से 48 छोटी सिंचाई योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही थीं। इनके समाप्त होने पर 1,28389 एकड़ भूमि पर सिंचाई का अनुमान था। इनके अतिरिक्त अधिक अन्न उपजाओं योजना के अंतर्गत भी इस समय 18 ग्राम सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित की गई, जबकि इसी तरह की 50 योजनाएँ 18.70 लाख रूपए की लागत से पूरी की गई थीं।

इस समय संपूर्ण राज्य से भू–राजस्व के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ रूपए की राशि (राज्य के कुल राजस्व का पंचमांश) एकत्रित की जाती थी। इस राशि में कृषि–भूमि पर लगाई गई लगान की राशि का ही अधिकांश योग होता था। मध्यप्रांत बंदोबस्त अधिनियम, 1929 और बरार भू–राजस्व संहिता, 1928 के अंतर्गत बंदोबस्त के समय भू–राजस्व का निर्धारिण किया जाता था। राजस्व अधिकारी भू–राजस्व का संकलन करते थे। राज्य में अकाल या सूखा पड़ने अथवा अन्य किसी कारण से फसलों के बिगड़ जाने पर सरकार एक सुनिश्चित अनुपात में किसानों को भू–राजस्व पर छूट अथवा उसका निलंबन कर देती थी। उदाहरणार्थ, सन् 1954 में राज्य के किसानों को भू–राजस्व में 1.15 लाख रूपए की छूट दी गई और 5.57 लाख रूपए की भू–राजस्व राशि निलंबित कर दी गई।

मालगुजारी व जमींदारी प्रथा का उन्मूलन –

मालगुजारी व जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए सबसे पहले सितम्बर, 1946 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, किन्तु विधानसभा में वह अक्टूबर 1949 में ही विधेयक के रूप में आ सका। तत्पश्चात 5 अप्रैल, 1950

को यह विधेयक ''मध्यप्रदेश स्वामित्वाधिकार (इलाके, महाल, दुमाला जमीनें) उन्मूलन अधिनियम, 1950 के नाम से पारित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने पर राज्य के 43,000 ग्रामों में मालगुजारी, जमींदारों, जागीरदारों और माफीदारों के संपूर्ण स्वामित्वाधिकार समाप्त हो गये और अब सरकार और कृषकों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया।''

उक्त अधिनियम के अंतर्गत मालगुजारों और जमींदारों की निज जोत, निज घर और उससे संलग्न भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी जमींने, वन, झाड़, तालाब, कुएं, पोखर (निजी तालाब, कुएं अथवा पोखर छोड़कर), मत्स्य, जलधारा, नौकायान, पगडंडियां, ग्राम–क्षेत्र, हाट–बाजार और खनिज पदार्थ आदि, जिन पर पहले मध्यस्थों का अधिकार था, सरकारी हो गये। भूतपूर्व स्वामी अपने निज–जोत की भूमि को क्षेत्र–स्वामित्वाधिकार के अंतर्गत रख सकते थे। भूतपूर्व स्वामियों या मध्यस्थों को उनके अधिकारों के उपलक्ष्य में मुआवजा दिया गया था। छोटे–छोटे स्वामियों को मुआवजे के अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान भी दिया गया। इस प्रकार मुआवजे तथा पुनर्वास अनुदान की कुल राशि लगभग 5 करोड़ होती थी। पुनर्वास अनुदान का शोधन तत्काल कर दिया गया।

निरस्त समस्याएं और उनका निराकरण –

मालगुजारी व जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जनता के सभी निस्तार संबंधी साधन (वन, चरोखर भूमि, तालाब आदि) सरकारी हो गये। उक्त प्रथा के उन्मूलन के बाद जनता की निस्तार व चरोखर संबंधी अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। इनका निराकरण करने के लिए सरकार ने भू–सुधार विभाग खोला, जिसके अंतर्गत अनेक निस्तार अधिकारी नियुक्त किये गये। इन अधिकारियों ने अक्टूबर 1954 तक 17,500 ग्रामों की निस्तार और चरोखर संबंधी समस्याओं की जांच–पड़ताल समाप्त कर ली थी और 5,570 ग्रामों में चराई और ग्रामों में इमारती व जलाऊ लकड़ी के कटिबंध निर्धारित कर दिये थे, ताकि जनता की उपरोक्त समस्या का समाधान हो सके।

भूमि संबंधी अधिनियमों का एकीकरण –

इस प्रदेश में लगभग गत 50 वर्षो से भू–धारण संबंधी अनेक पद्धतियां प्रचलित रहीं। सन् 1950 में राज्य में कुछ देशी रियासतों के विलोनीकरण से और भी नई भू–धारणा पद्धतियों का प्रादुर्भाव हुआ, किन्तु स्वामित्वाधिकारों के उन्मूलन के बाद राज्य की सभी जमीनें (कुछ अनुसूचित जमीनों को छोड़कर) सरकारी हुई। अतः यह आवश्यक हो गया कि इन विभिन्न पद्धतियों को एकीकृत किया जावे। इसी उद्देश्य से राज्य की विधानसभा में ''भू–राजस्व संहिता विधेयक, 1553'' प्रस्तुत किया। इसमें भू–धारण, खेतों के वृक्षों, आबादी में मकान संबंधी जमीन के अधिकारों और बरार में पट्टाधारी अस्थायी काश्तकारों के अधिकारों जैसे भू–सुधार प्रश्नों का भी समावेश किया गया।[3]

वनोपज

जहां तक वनोपज का प्रश्न है पुराने मध्यप्रदेश में मिश्रिम वनों, सागौन के वनों, साल के वनों व बांस के वनों के विस्तृत क्षेत्र थे। इनसे प्राप्त होने वाली वनोपज में इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी व अनेक प्रकार की गौण उपजें शामिल थीं। इमारती लकड़ी में सागौन, साज, सेमल, बीजा, हल्दुआ, तिन्शा, शीशम, सलई, आदि किस्म की लकड़ी बहुतायत से पाई जाती थी। सागौन की मूल्यवान लकड़ी जबलपूर, होशंगाबाद, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, वर्धा, नागपुर, अमरावती, चांदा यवतमाल और पश्चिमी बरार के वन–क्षेत्रों में काफी मात्रा में होती थी। मंडला, बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर क्षेत्र कांकेर के वनों में भी सागौन अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्राप्त थे। इनमें से बोरी (होशंगाबाद) और अलापिली (चांदा) के वनों का सागौन अपनी उत्तम किस्म के लिए प्रसिद्ध थे। साल लकड़ी के लिए बालाघाट, मंडला, बिलासपुर, दक्षिणी रायपुर, रायगढ़ एवं बस्तर के वन–क्षेत्र उल्लेखनीय थे। दूसरी किस्मों की लकड़ी भी राज्य के मिश्रित वनों में विपुल मात्रा में पाई जाती थी। इसी तरह जलाऊ लकड़ी सभी वनों में पाई जाती थी। इमारती एवं जलाऊ लकड़ी के अलावा राज्य के वनों से गौण वनोपजें भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती थीं। इसका मूल्य वर्ष 1952–53 में अनुमानतः लगभग 1,10,17,000 रूपए थी। गौण

वनोपजों में मुख्य रूप से बांस, हर्रा, पशु–घास, अन्य घास, गोंद, खनिज पदार्थ, तेंदू के पत्ते और जड़ी–बूटियाँ शामिल थीं।

वनोपज का औद्योगिक उपयोग –

यह गौण वनोपज उद्योग–धंधों के लिये अत्यंत उपयोगी थी, बल्कि यूं कहा जाए कि कुछ उद्योग तो इन वनोपजों पर ही आधारित थे। इस दिशा में राज्य की साधन–सम्पन्नता को दृष्टि में रखते हुए ही भारत में सर्वप्रथम अखबारी कागज के उत्पादनार्थ नेपा मिल (निमाड़ जिला) और अन्य तरह के कागज के उत्पादन हेतु बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा मिल (चांदा जिला) की स्थापना की गई।

खनिज संपत्ति

पुराना मध्यप्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य था। राज्य के विभिन्न भागों में कोयला, मैगनीज, चूने का पत्थर, फायर–क्ले, गेरू, कच्चा लोहा, फेल्सपार, ग्रेफाइट, बाक्साइट, अभ्रक, सिलिका, सेंड और फुलर्स अर्थ (सज्जीखार)। आदि अनेक खनिज विपुल मात्रा में पाए जाते थे। कोयला इस राज्य के प्रमुख खनिजों में से एक था। डॉक्टर फाक्स द्वारा सन् 1932 में किये गये अनुमान के अनुसार इस प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ टन कोयला भूगर्भित था। इसी तरह सन् 1946 की कोयला खान समिति (कोल माइन्स कमेटी) के अनुसार यहां अच्छी किस्म का 1.42 करोड़ टन कोयला संचित था। प्रतिवर्ष राज्य की खानों से काफी मात्रा में कोयला निकाला जाता था। वर्ष 1952 में यहां 34,57,158 टन कोयला निकाला गया, जबकि वर्ष 1951 में यही मात्रा 32,08,988 टन थी। संपूर्ण देश में कोयले का वार्षिक उत्पादन लगभग 362 लाख टन था, जिसका 9.5 प्रतिशत भाग राज्य की लगभग 52 खदानों से निकाला जाता था।

लोहा भी इस राज्य में प्रचुर मात्रा में संचित था। सुप्रसिद्ध भूगर्भशास्त्री डॉक्टर के चटर्जी के अनुसार यहां लगभग 150 करोड़ टन लोहा भूगर्भित था। राज्य में लोहा प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र चांदा, दुर्ग, जबलपुर और होशंगाबाद (नरसिंहपुर) जिलों में स्थित थे। मैंगनीज उत्पादन की दृष्टि से यह राज्य न केवल भारतवर्ष में

ही वरन् समस्त विश्व में प्रख्यात था। वर्ष 1951 में केवल मैंगनीज के निर्यात से भारत सरकार को 2,54,257 रूपए की आय हुई थी। इस राशि में मध्यप्रदेश का हिस्सा 72.2 प्रतिशत (1,83,56,467 रूपए) था। राज्य में अधिकांशतः बालाघाट, नागपुर, भंडारा और छिंदवाड़ा जिलों में मैंगनीज पाया जाता था। अनुमानतः राज्य के समस्त मैंगनीज क्षेत्रों में 105 लाख टन उत्तम श्रेणी का और 30 लाख टन निम्न श्रेणी का मैंगनीज भूगर्भित था।[4]

छत्तीसगढ़ निर्माण –

एक लंबे सफर के बाद स्थापना दिवस के दिन ही 1 नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश विभाजित हो गया। प्रदेश के पुनर्गठन से नये राज्य छत्तीसगढ़ ने आकार लिया। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग तो काफी पुरानी थी, लेकिन इस मांग ने 1994 में आकार लेना प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ के गठन के लिए 18 मार्च, 1994 को तत्कालीन विधायक रविन्द्र चौबे द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाये जाने की दिशा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था, जो राज्य विधानसभा में संकल्प सर्वानुमति से पारित हुआ। इसके बाद 25 मार्च, 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद अभिभाषण के बाद संसद में दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपने अभिभाषण में मध्यप्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त की। लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन संशोधन विधेयक–2000 प्रस्तुत किया गया, जो 31, जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। 9 अगस्त, 2000 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक में छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्यों की संख्या यथावत् रखने संबंधी संशोधन के साथ राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित विधेयक लोकसभा में पुनः प्रस्तुत कर पांच मिनट की समयावधि में पारित कर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भारत सरकार के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 के रूप में अधिसूचित किया गया। 24 अगस्त, 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से संबंधित प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए राज्य

शासन द्वारा छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया। इसके तहत 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आ गया। छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के समय राज्य में 16 जिले रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर,–चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर,(सरगुजा) और कोरिया (बैकुण्ठपुर) और तीन राजस्व संभाग रायपुर, बिलासपुर, और बस्तर थे। उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 11 लोकसभा (5 सामान्य 4 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति) और 90 विधानसभा क्षेत्र थे। 90 विधानसभा क्षेत्र में से 44 क्षेत्र सुरक्षित थे, इनमें 34 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र थे।

छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख रामायण, महाभारत तथा पौराणिक ग्रंथों में भी भिन्न–भिन्न नामों से मिलता है। उस भू–भाग का विस्तार दक्षिण में गोदावरी से लेकर उत्तर में नर्मदा तक मिलता है। समय के साथ ही इस राज्य का भू–भाग सिमटता गया और आखिरकार 1905 में इस भू–भाग के 5 देशी राज्यों को कालाहांडी, पाटणा, उड़ीसा में मिला दिया गया तथा बदले में छोटा नागपुर की 5 देशी रियासतों–सरगुजा, जशपुर, कोरिया व चांदभरवार को छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया था।[5]

वर्तमान मध्यप्रदेश –

आज मध्यप्रदेश में 51 जिले हैं। राज्य का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हैं।

मध्यप्रदेश अपने नाम के अनुरूप ही हैं। देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हिन्दुस्तान का हृदय राज्य भी कहा जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति 18^0–26^0 30′ उत्तर अक्षांश एवं 74^0–82^0 30′ पूर्वी देशांतर 1 नवंबर, 1956 को स्थापित मध्यप्रदेश भौगोलिक तौर पर देश का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 44वीं वर्षगांठ पर वह बंट गया। 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही

मध्यप्रदेश दूसरी पायदान पर खिसक गया। यह जनसंख्या के पैमाने पर देश का सातवां राज्य हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश की तरह नया मध्यप्रदेश भी गाँवों में बसा है। जाहिर है अधिकांश आबादी की जीविका का स्त्रोत खेती–किसानी और उससे जुड़े उद्योग–धंधों पर आधारित है।

वर्तमान में प्रशासनिक तौर पर 10 संभागों और 51 जिलों में बँटा मध्यप्रदेश सन् 1956 को अस्तित्व में आया था, तब इसका निर्माण मध्यभारत, विंध्यप्रदेश और भोपाल राज्यों के साथ ही महाकौशल क्षेत्र के 14 जिलों जो पहले सी.पी. एण्ड बरार हिस्से थे, को मिलाकर हुआ था। प्रदेश की स्थापना के समय मध्यप्रदेश में 43 जिले थे। 70 के दशक में सीहोर और राजनांदगाँव नामक दो जिलो के निर्माण से इनकी संख्या 45 हो गई।1998 में प्रदेश में 16 नए जिले बने और संख्या हो गई 61। छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही 16 जिले नए राज्य में चले गए और फिर संख्या हो गई 45। वर्ष 2003 में बुराहनपुर, अनूपपुर और अशोक नगर जिले अस्तित्व में आए। इसके बाद वर्ष 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली जिलों ने आकार लिया। इस तरह राज्य में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई। इसके साथ ही दो नए संभागों और सात राजस्व अनुभागों व 80 नई तहसीलों का गठन भी वर्ष 2008 से 2012 के मध्य तक भी हुआ। इन इकाईयों के गठन से प्रदेश में अब कुल 10 राजस्व संभाग, 50 जिले और 352 तहसीलें हो गई हैं। वर्ष 2008 में प्रदेश में शहडोल और नर्मदापुरम दो नए संभाग का निर्माण होने के साथ ही अलीराजपुर और सिंगरौली जिले अस्तित्व में आए। वहीं फरवरी, 2011 में बुराहनपुर जिले में नेपानगर को और जून, 2012 में नरसिंहपुर जिले के तेन्दूखेड़ा, बालाघाट के कटंगी, छिन्दवाड़ा के चौरई, सागर के बीना और विदिशा के लटेरी एवं शमशाबाद को राजस्व अनुभाग का दर्जा मिला। प्रदेश में मई, 2008 से 2012 के मध्य तक 80 नई तहसील सृजित की जा चुकी हैं। ये तहसीलें हैं हरदा जिले में सिराली, रहटगाँव और हंडिया, गुना जिले में बम्होरी और मकसूदनगढ़ अशोक नगर जिले में शाडोरा, बैतूल जिले में आठनेर, घोड़ाडोंगरी और चिचोली, मंदसौर जिले में शामगढ़ एवं दलौदा, पन्ना जिले में रेपुरा, अमानगंज, देवेन्द्र नगर, विदिशा जिले में शमशाबाद,

त्यौदा और गुलाबगंज, छिन्दवाड़ा जिले में उमरेठ, चांद, मोहखेड और हर्रई, सतना जिले में कोटर और बिरसिंहपुर, उमरिया जिले में चंदिया और नौरोजाबाद, छतरपुर जिले में महाराजपुर, बक्सवाहा, चंदला और घुवारा, शिवपुरी जिले में बदरवास, बड़वानी जिले में अंजड़, पाटी और बरला, राजगढ़, जिले में पचोर, सीहोर जिले में रेहटी, जावर और श्यामपुर, रीवा जिले में मनगवां, सेमरिया, नईगढ़ी और जवां, सागर जिले में मालथोन और शाहगढ़, रायसेन जिले में बाड़ी, देवास जिलेू में हाटपिपलिया और सतवास, टीकमगढ़ जिले में ओरछा, खरगापुर, मोहनगढ़ और लिधौरा, जबलपुर जिले में पनागर, सिवनी जिले में छपारा और धनोरा, धार जिले में डही, ग्वालियर जिले में चिनौर, इंदौर जिले में हातोद, खरगोन जिले में गौगाँव, खण्डवा जिले में पुनासा, खालवा, श्योपुर में बड़ोदा, बीरपुर, नीमच जिले में सिंगौली, जीरन और रामपुरा, मण्डला जिले में नारायणगंज और घुघरी, बालाघाट जिले में परसवाड़ा, तिरोड़ी और बिरसा, दतिया जिले में इंदरगढ़ होशंगाबाद जिले में डोलरिया, रतलाम जिले में ताल, रावटी, भिण्ड जिले में गोरमी, शहडोल जिले में बुढार और गोहपारू, सिंगरौली जिले में सरई और माड़ा और अलीराजपुर जिले में कठ्ठीवाड़ा और सोण्डवा तहसीलें शामिल हैं।

9 अक्टूबर, 2012 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 नई तहसील के गठन को अनुसमर्थन दिया और 2 नई तहसील के सृजन की स्वीकृति दी गई। जिन नवीन तहसील के गठन को अनुसमर्थन दिया गया, उनमें टीकमगढ़ जिले की लिधोरा, बालाघाट जिले की बिरसा, नीमच जिले की रामपुरा, छिन्दवाड़ा जिले की चाँद, सिंगरोली जिले की सरई और माढ़ा, अलीराजपुर जिले की सोण्डवा एवं कठ्ठीवाड़ा तथा शहडोल जिले की बुढ़ार और गोहपारू शामिल हैं। इन तहसीलों के लिये प्रत्येक तहसील के मान से एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, 5 सहायक ग्रेड–3 के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। मंत्री–परिषद ने खरगोन जिले के सनावद टप्पा कार्यालय का नई तहसील के रूप में उन्नयन करने की मंजूरी दी। साथ ही डिण्डोरी जिले के बजाग विकासखण्ड को तहसील बनाने की मंजूरी दी गई। इन तहसीलों में भी एक–एक तहसीलदार, एक–एक नायब तहसीलदार

तथा 5–5 सहायक ग्रेड–3 के पद सृजित करने की अनुमति दी गई। इस तरह राज्य में प्रशासनिक इकाईयों का गठन आवश्यकतानुसार समय–समय पर होता रहता हैं।[6]

जनसंख्या –

जनगणना 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ 25 लाख 97 हजार 565 हो गई है। राज्य की कुल जनसंख्या में 3,76,12,900 पुरूष एवं 3,49,84,645 महिलाएँ हैं। राज्य की कुल जनसंख्या देश की आबादी का 6 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य जनगणना 2001 के सातवें स्थान से जनगणना 2011 में छठवें स्थान पर आ गया है। पिछले एक दशक में मध्यप्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 24.34 फीसदी से कम होकर 20.30 फीसदी हो गई है। इस तरह जनसंख्या वृद्धि में बीते एक दशक में 3.96 फीसदी की कमी दर्ज की गई।

धर्म –

राज्य की बहुसंख्यक लगभग हिन्दू है। राज्य में छह धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों का अनुपात 8.15 है। राज्य में जो समुदाय अल्पसंख्यक घोषित किए गए वे हैं – मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और पारसी इन सभी अनुयाइयों की कुल आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 49,17,370 थी। इस संबंध में जनगणना 2011 के आँकड़े अप्राप्त हैं।

संसदीय व्यवस्था –

विधानसभा राज्य की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था है। इसमें 230 सदस्य निर्वाचन एवं 1 सदस्य मनोयन के जरिए आते है। राज्य का लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं।

आजीविका –

मध्यप्रदेश के अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि और कृषि आधारित उद्योगों व व्यापार से जुड़ी है। प्रदेश में लगभग 150.70 लाख हैक्टेयर में खेती होती हैं।

भाषा और बोली –

मध्यप्रदेश की प्रमुख भाषा हिन्दी है। राज्य के लगभग सभी लोग हिन्दी बोलते और समझते है। राज्य के भोपाल, सिरोंज, बुराहनपुर, कुरवाई आदि स्थानों पर उर्दू मिश्रित हिन्दी भी बोली जाती हैं। इन इलाकों की मुस्लिम आबादी उर्दू का भी उपयोग करती है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा बुंदेलखंड में बुंदेली, मालवा में मालवी, निमाड़ में निमाड़ी और बघेलखंड में बघेली बोलियों का प्रचलन व प्रभाव हैं। राज्य के आदिवासी झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और सिवनी के जनजातीय क्षेत्रों में भीली और गौंडी जैसी जनजातीय बोलियों का भी प्रचलन हैं।

ग्रामीण व शहरी आबादी –

मध्यप्रदेश मूलतः गाँवों में बसा राज्य है। राज्य की कुल जनसंख्या का 72.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 2011 जनगणना में राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात 95.4 डिडौरी जिले में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम अनुपात भोपाल जिले में 19.2 फीसदी पाया गया। 2011 की जनगणना के समय जहां राज्य की कुल आबादी में से नगरीय आबादी का आकार 2,00,59,666 दर्ज किया गया।

अनुसूचित जाति व जनजातिय आबादी –

2011 की जनगणना के आंकड़े अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में उपलब्ध नहीं है इसलिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही राज्य में इन वर्गो की आबादी का आंकलन किया जा सकता है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी 35.5 फीसदी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की कुल आबादी 91,55,177 हैं, इसमें 48,04,881 पुरूष एवं 43,50,296 महिलाएं है, जो

राज्य में 1,22,33,474 अनुसूचित जनजाति की आबादी हैं। इसमें 61,95,240 पुरूष 60,38,234 महिलाएं है जो राज्य की कुल आबादी का 20.3 प्रतिशत है जो अखिल भारतीय स्तर 8.20 से बहुत ज्यादा हैं।[7]

भू–उपयोग –

राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर के लिए सामान्य तौर पर प्रयुक्त की जाने वाली इकाई हैक्टेयर में तब्दील किया जाए तो वह 307.55 लाख हैक्टेयर के आसपास है। इसमें से 150.74 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2005–06 के दौरान कृषि को उपयोग में लाया गया। राज्य में 13.30 लाख हैक्टेयर भूमि स्थाई चारागाहों और अन्य वनों के तौर पर है। इसके अतिरिक्त 11. 85 लाख हैक्टेयर भूमि बंजर। 11.61 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। राज्य में अधिसूचित वनों के तहत 93 लाख हैक्टेयर भूमि है। 27.5 लाख हैक्टेयर कृषि के लिए उपलब्ध है जो बंजर अथवा कृषि के अनुपायोगी मानी गई है।

वन –

मध्यप्रदेश को देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र को अपने आप में समेटने का गौरव प्राप्त है। मध्यप्रदेश में 77,700 वर्ग किलोमीटर में वनाच्छादित क्षेत्र (फारेस्ट कवर) है। राज्य के वनों में विविध प्रकार के वन्य जीवों और पक्षियों का प्रवास हैं। प्रदेश के वनों में बाघों की बहुलता के कारण मध्यप्रदेश को बाघ राज्य के तौर पर भी जाना जाता हैं।

जलवायु –

प्रदेश में मुख्य रूप से तीन ऋतुएं ग्रीष्म, शीत और पावस (वर्षा) होती है। ग्रीष्म की ऋतु अवधि मार्च से जून मध्य तक, शीत ऋतु की अवधि नवंबर से फरवरी तक और वर्षा ऋतु की अवधि जून के आखिरी पखवाड़े से सितंबर तक होती है। गर्मियों में कई बार राज्य के बड़वानी और लांजी में तापमान 45–46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जो सर्दियों में हिमालय की तराई में पड़ने वाली बर्फ राज्य में ठिठुरन का तोहफा लाती है। सर्दियों में कई बार राज्य के कुछ स्थानों का

तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता हैं। राज्य में आठ सौ से हजार मिलीमीटर के आसपास औसत वर्षा होती हैं।

जलसंसाधन –

मध्यप्रदेश की प्रमुख नदियां, नर्मदा, चंबल, माही, ताप्ती, बेतवा, सोन, वैन, गंगा, कैन, सिंध और पेंच है। मध्यप्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 81.5 लाख हैक्टेयर मीटर है। नदियों से प्राप्त जल के साथ ही 34.5 लाख हैक्टेयर मीटर भू–जल भी राज्य को उपलब्ध है। इसमें से लगभग पचास फीसदी भू–जल का सिंचाई के लिए उपयोग हो जाता हैं।

खनिज संसाधन –

मध्यप्रदेश खनिज उत्पादन की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्यप्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न देश के आठ राज्यों में से एक है। मध्यप्रदेश देश में अकेला ऐसा राज्य हैं, जहां हीरे का उत्पादन होता है। मध्यप्रदेश में जो महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते है उनमें बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज, चूना, पत्थर, डोलोमाइट, राक फास्फेट प्रमुख हैं।

कृषि –

मध्यप्रदेश मूलतः कृषि आधारित राज्य है। यहां के लोगों की आजीविका का कृषि और उस पर आधारित उद्योग प्रमुख साधन है। राज्य की प्रमुख फसलें, गेहूं, सोयाबीन, गन्ना, सरसों, दालें आदि हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल कार्मिक आबादी में 42.8 फीसदी लोग किसान थे। इसके साथ ही 28.7 फीसदी लोग खेतिहर मजदूर हैं। इस तरह राज्य की कुल कार्मिक आबादी के 71.5 फीसदी लोग कृषि पर अवलंबित दर्ज किए गए थे। लगभग यही स्थिति 2011 की जनगणना के दौरान उभरी है, लेकिन उसके विस्तृत आंकड़े अनुपलब्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 72.4 फीसदी आबादी गांवों में बसती हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश आबादी की आजीविका का आधार कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र ही हैं।

उद्योग –

राज्य में उद्योग, नगरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में स्थापित है। राजधानी भोपाल में केन्द्र सरकार का सार्वजनिक प्रतिष्ठान भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) कार्यरत है। यह देश का महत्वपूर्ण भारी उत्पाद कारखाना है। इसके अतिरिक्त नेपानगर में नेपा न्यूज प्रिंट कारखाना, अखबारी कागज का उत्पादन करता है। राज्य सरकार के द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

सड़कें –

सड़कें किसी राज्य की विकास की धमनियों की तरह है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रांतीय राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग और ग्रामीण मार्गो के तौर पर सड़कों को विभाजित किया जाता हैं। मध्यप्रदेश से 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। प्रदेश में इनकी लंबाई 4709 किलोमीटर है। राज्य में प्रान्तीय राज्य मार्गो की लम्बाई वर्ष 2011–12 के माह जनवरी, 2012 तक 10502 किलोमीटर है। राज्य में वर्ष 2011–12 के जनवरी, 2012 तक कुल 19573 किलोमीटर लंबाई के मुख्य जिला मार्गो का संधारण किया गया। राज्य में ग्रामीण मार्गो की लंबाई 23609 किलोमीटर हैं।

विमान –

राज्य के 51 जिलों में से 25 जिलों में 26 हवाई पट्टियां हैं। भोपाल, इंदौर, खजुराहों, ग्वालियर, और जबलपुर में राज्य के वाणिज्यक उपयोग के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। जहां से विभिन्न विमान कंपनियों के द्वारा सेवाओं संचालन किया जाता है। राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा एक निजीसेवा प्रदाता वेंचुरा एयरकनेक्ट के साथ मिलकर राज्य में एयर टैक्सी की सेवाएं प्रारंभ की गई हैं, जिसके जरिए राजधानी भोपाल से इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहों, रीवा, और सतना के लिए प्रतिदिन सेवाएं उपलब्ध हैं।

पंजीकृत वाहन –

प्रदेश में 31 मार्च, 2011 तक कुल 73,55,702 वाहन पंजीकृत थे। जिसमें मालयान 1,95,627, बसें 20,850, मिनी बसें 1,02,399, तीन पहिया एवं मोटर केव (यात्रीयान) 1,00,335, द्विपहीया यान 57,83,120, कार एवं जीप 4,10,240, ट्रैक्टर ट्राली 7,18,728 एवं अन्य वाहन 18,403 थे।

स्वास्थ्य सेवाएं –

राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ–साथ निजी क्षेत्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का एक विस्तारित ढांचा मौजूद है। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन 51 जिला अस्पताल हैं। इनमें 13400 बिस्तरों की संख्या है। राज्य में 58 सिविल अस्पताल संचालित है, जिनमें 3631 बिस्तरों की संख्या है। प्रदेश में 332 स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें बिस्तरों की संख्या 9960 है। राज्य में 1156 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 8761 उपस्वास्थ्य केन्द्र है इनमें क्रमशः 4818 और 250 है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर निजी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख केन्द्र हैं।[8]

मध्यप्रदेश	
क्षैत्रफल	3,08,245 वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या	7 करोड़ 25 लाख 97 हजार 565
राजधानी	भोपाल
सबसे बड़ा शहर	इंदौर
जिले	51
जनसंख्या घनत्व	236 प्रति वर्ग किलोमीटर
मुख्य भाषा	हिन्दी
राज्यपाल	श्री रामनरेश यादव
मुख्यमंत्री	श्री शिवराजसिंह चौहान
स्थापना दिवस	सन् 1 नवंबर, 1956/1 नवंबर, 2000 को मध्यप्रदेश से विघटित होकर छत्तीसगढ़ बना
विधानसभा क्षेत्र	230
राज्यसभा क्षेत्र	11
लोकसभा क्षेत्र	29
जिला पंचायतें	51

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मध्यप्रदेश संदर्भ 2008, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 452
2. मध्यप्रदेश संदर्भ 2013, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल पृष्ठ सं. 12
3. स्टेट गजेरिया, भोपाल पृष्ठ सं. 104
4. सेन्ट्रल इण्डिया ऐजेन्सी रिपोर्ट 1980.81 पृष्ठ सं. 46
5. मध्यप्रदेश संदर्भ 2013, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल पृष्ठ सं. 37
6. मध्यप्रदेश संदेश, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल, अंक 7 नवम्बर 2013, पृष्ठ सं. 43
7. रसेल आ.पी. एण्ड हिरालाल दि ट्राईब्ज एण्ड कास्ट इण्डिया पृष्ठ सं. 139
8. सबका साथ सबका विकास आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश शासन पृष्ठ सं. 67

द्वितीय अध्याय

शोध पद्धति

अध्ययन क्षेत्र का परिचय –

प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में हैं लेकिन अध्ययन की इकाई के रूप में विशेषकर खरगोन जिलें को लिया गया है। जिसके अंतर्गत जिले में 9 तहसीलें तथा विकास खण्ड है जिसके अंतर्गत खरगोन, भगवानपुरा, सेगाँव, भीकन गाँव, झीरन्या, महेश्वर, बड़वाह, कसरावाद, गोगांवा सम्मिलित है।

25 नवम्बर 1956 में नवीन मध्यप्रदेश का निर्माण हुआ, नव निमाड़ प्रदेश में दो जिला प्रशासनिक इकाईयों में बांटा गया। पश्चिम में खरगोन जिला अर्थात् पश्चिम निमाड़ तथा पूर्व में खण्डवा जिला अर्थात पूर्वी निमाड़ के नाम से जाने जाते है।

निमाड़ का नाम प्राचीन प्रतीत नहीं होता यद्यपि यह लोक स्मृति में भी रहा है, इसका नाम निमा + वाड़ अर्थात निमवाड़ है जिसका आशय निचला स्थान होता है दों पहाड़ियों के मध्य नीचली भूमिका होती है। जहाँ तक इसके नाम का प्रश्न है यह ''उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संधि स्थल है तथा यह आर्य और अनार्यो की मिश्रित भूमि रही है। इसी कारण इसका नाम निमार्य (नीम कार्य) पड़ा होगा। नीम का अर्थ निमाड़ी में आधा होना है। इसी निमार्य को बदलते–बदलते अपभ्रंश ''निमार'' हो जाना स्वाभाविक है।''

इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि निमाड़ मालवा के नीचे की और बसा है। मालवा से निमाड़ की और निरंतर नीचे की और उतरना होता है, इस तरह निम्न गामी होने के कारण इसका नाम ''निमानी'' और उससे बदलकर ''निमाड़ी'' हो गया है। खरगोन जिले के संपूर्ण परिचय हेतु हम निम्न बिन्दुओ का अध्ययन करेंगे।

खरगोन जिले की ऐतिहासिक स्थिति –

खरगोन जिला प्राचीन काल से ही मध्यप्रदेश की प्राचीनतम संस्कृति नर्मदा स्थलीय सभ्यता का केन्द्र रहा है। निमाड़ का नाम लेने ही उस भू–भाग का स्मरण हो जाता है, जिसके हृदय में नर्मदा रूपी अमृत सरिता का प्रवाह है, जहां विन्धायांचल और सतपुड़ा राजग प्रहरी जैसे इसकी रखवाली में तत्पर हैं। यह नहीं कहा जा सकता की खरगोन का इतिहास अवस्मिरणीय कृत्यों शौर्यपूर्ण उपलब्धियों या राजवंशों के उत्थान–पतन की घटनाओं से निर्वात शून्य है किंतु यह एक वास्तविकता है कि इन घटनाओं का काल क्रमानुसार सु–संबद्ध लेखा कभी भी नहीं रखा गया।

20वीं सदी के छठे दशक के प्रारंभिक वर्षो में डॉ.एच.डी. सांकलिया ने मण्डलेश्वर तथा सहस्त्रधारा के मध्यवर्ती क्षेत्र में जिसमें महेश्वर भी सम्मिलित है, नर्मदाघाटी में अन्वेषण कार्य किया, जिसमें उन्हें 400 से अधिक पूरा–पाषणिक औजार प्राप्त हुए। इनमें से कुछ औजार उन समूहों के थे, जिन्हें डिटेरा और पैंटरसन ने क्रमशः निम्न तथा ''उच्च नर्मदा समूह'' की संज्ञा दी है।

(संभवतः इसके पश्चात् ही नर्मदा क्षेत्र में मानव के सांस्कृतिक विकास की अगली अवस्था आरंभ हुई है, जिसे द्वितीय पाषाणकाल कहा जा सकता है।)

प्रारंभिक ऐतिहासिक कला –

इस जिले में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के पश्चात् ईसा पूर्व 500 सदी के लगभग उत्तरी कालें औजदार मृदभांडों तथा प्रारंभिक ढलवा और आहत मुद्रा वाली संस्कृति का और तदन्तर ईसा पश्चात् 100वीं सदी में लाल ओपदार मृदभांडों वाली संस्कृति का युग आरंभ हुआ।

प्राचीन साहित्य में महिष्मती –

महिष्मती और नवादाटोली की स्थापना ईसा पूर्व 1000 वर्ष के लगभग हुई थी। महिष्मती की वास्तविक स्थिति अत्यधिक विवादित हैं। यद्यपि कुछ इतिहासकारों ने पूर्व निमाड़ जिले के ओंकार मान्धाता को ही महिष्मती माना हैं।

अवन्ति, कर्दमक, कलचुरी, अभीर गुप्त सम्राट वर्धन तथा चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, परमार आदि शासनकालों में भी निमाड़ का उल्लेख मिलता है।

इसके उपरांत छोटे सामन्तों का शासनकाल, मालवा के सुल्तानों का काल, आरूखी राजवंश, मलिक रजा, आदिल खान द्वितीय, दाऊद खान तृतीय का शासन आया।

इतिहास के इन्हीं पन्नों पर मीरन मोहम्मद खान, मुबारक खान द्वितीय (1537–66), मीरन मोहम्मद तथा राजा अलीखान के नाम भी निमाड़ के लिए आवश्यक है। मालवा पर मुगलों की विजय के पश्चात् मराठे आए और इनके बाद ही सन् 1857 का महान् विप्लव हुआ। इस 1857 के विप्लव के पश्चात् ही 1868 में निमाड़, जो उस समय तक अंग्रेजों के अधिकार में था, होल्कर द्वारा दक्षिण में तथा अन्यत्र धारित कुछ भूमि के बदले उन्हें दे दिया गया और तबसे 1948 के मध्य भारत के निर्माण तक उन्हीं के अधिकार में रहा।

इस प्रकार होल्कर को अंतरित पश्चिम निमाड़ दो प्रथम जिलों में विभाजित किया गया है, जिनमें मुख्यालय मण्डलेश्वर तथा खरगोन में थे यह स्थिति 1904 में उस समय तक बनी रही, जब प्रशासनिक व्यवस्था का समुचित रूप से पुर्नगठन किया गया और दो पृथक जिलों को, जिनके मुख्यालय मण्डलेश्वर और खरगोन थे, मिलाकर एक कर दिया गया। इसी समय परगानों की कुल संख्या 16 से घटाकर 11 कर दी गई। इस प्रकार इतिहास से वर्तमान तक खरगोन जिले का क्रमिक विकास हुआ।[1]

खरगोन जिले का भौगोलिक महत्व –

खरगोन जिला 21.22 से 22.23 उत्तरी अक्षांश 75.19 से 76.14 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा जिले के ऊपरी बिन्दु से लगभग 101 कि.मी. से दूर गुजरती है। प्राकृतिक रूप से यह जिला नर्मदा घाटी का मध्यवर्ती भाग है, जिसकी उत्तरी विनध्य कगार तथा दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हैं। जिले का कुल क्षेत्रफल 13485 वर्ग कि.मी.हैं। उत्तर में धार एवं इंदौर तथा दक्षिण में बड़वानी जिला तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा है। पूर्व में खण्डवा जिला तथा पश्चिम में बड़वानी जिला स्थित है। जिले में बहने वाली मुख्य नदियाँ नर्मदा, मुन्द्रा, वेदा, इन्द्रावती, बोराड एवं चोरल आदि है।

जिला मुख्यालय खरगोन की समुद्र तल से ऊँचाई 259 मीटर है। सबसे अधिक 416 मी. की ऊँचाई सेंधवा तहसील है और सबसे कम बड़वाह 102 मीटर है। खरगोन की सभी तहसीलों की भौगोलिक स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका क्रमांक 2.01

पश्चिम निमाड़ जिले की भौगोलिक स्थिति

क्र.	जिला / तहसील	अंक्षाश(उत्तर)	दक्षांश(पूर्व)	समुद्र तल से ऊँचाई
01	पश्चिम निमाड़ खरगोन	21.22 to 22.96	74.27 to 74.14	300
02	तहसील कसरावद	22.22 to 22.12	75.19 to75.55	239
03	तहसील खरगोन	21.22 to 22.59	75.50 to75.12	259
04	तहसील भगवानपुरा	21.22 to 21.46	75.91 to 75.43	243
05	तहसील सेगांव	21.42 to 21.55	75.19 to75.27	237
06	तहसील बड़वाह	22.00 to 22.35	75.74 to76.16	193
07	तहसील भीकनगाँव	21.22 to 22.01	75.42 to76.10	274
08	तहसील झिरन्या	21.39 to 22.16	76.59 to 76.13	226
09	तहसील गोगांवा	21.37 to 21.53	75.62 to 76.00	240

स्त्रोत– जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2014, पृ. 07

तालिका क्रमांक–01 द्वारा संपूर्ण जिले की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट होती है। 05 तहसीलें नयी बन जाने से उनकी समुद्र तल से ऊँचाई की स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।

सीमा –

यह जिला उत्तर में धार और इंदौर जिलों से दक्षिण में महाराष्ट्र के जलगांव तथा धुलिया जिलों से पूर्व में खण्डवा (पूर्वी निमाड़) से तथा पश्चिम में पुनः महाराष्ट्र से धुलिया जिले से घिरा हुआ है। उत्तरी, पूर्वी, सीमा कुछ दूरी तक देवास जिले की सीमा से मिली हुई है। इस प्रकार पश्चिम निमाड़ मध्यप्रदेश राज्ये के 04 जिलों से और कुल 06 जिलों से घिरा है।

क्षेत्रफल –

यह जिला त्रिकोणाकार फैला हुआ है, जिसका शिखर अर्थात् दूरतम् कोण पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 13485 वर्ग कि.मी. है। यह मध्यप्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 3.01 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस जिले का मध्यप्रदेश में सातवां स्थान है। इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 273 कि.मी. है।

जलवायु –

जिले की जलवायु दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम को छोड़कर शेष वर्ष पूर्णतः शुष्क रहती है। वर्ष को चार मौसमों में विभाजित किया जा सकता है। दिसम्बर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है और इसके पश्चात् सितम्बर तक दक्षिण–पश्चिमी मानसूनी मौसम रहता है। अक्टूबर तथा नवम्बर ऋतु परिवर्तन के माह है। वैसे जिले में प्रमुख रूप से तीन ऋतुएँ –

(अ) ग्रीष्म ऋतु –

गर्मी के दिनों में तेज धूप गिरने के कारण चारों तरफ की घास सूख जाती है। जिसके फलस्वरूप गरम हवा के साथ लू चलती हैं हवा में, जो तापक्रम

होता है उसे तापमापक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। खरगोन जिले में गर्मी के दिनों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। मई के महीने में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर अधिकतम तापमान के कारण कम वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है। इसकी पूर्ति के लिए अधिकतम वायुदाब वाले क्षेत्र से हवाएँ चलने लगती है। अत्यधिक गर्मी के कारण जून से अरब सागर की ओर से दक्षिणी–पश्चिमी हवाएं आने लगती है।

(ब) वर्षा ऋतु –

इस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 831 मिली मीटर है तथा अधिकांश वर्षा जून से सितम्बर के बीच होती है। दक्षिण–पश्चिम से आने वाली हवाओ से जिले में वर्षा होती है।

(स) शीत ऋतु –

यह ऋतु नवम्बर से फरवरी तक होती है। दिसम्बर तथा जनवरी में सबसे अधिक ठण्ड पड़ती है। तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में ठण्ड अधिक पड़ती है। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम में होने वाली मौसमी गड़बड़ीयों के पूर्वगामी मार्ग पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जिले में ठंडी बार–बार बढ़ जाती है। उस समय कभी–कभी न्यूनतम तापमान जल के हिमांक में एक या दो अंश ऊपर तक पहुँच जाता है।

आंद्रता –

दक्षिण–पश्चिम मानसूनी महीनों को छोड़ अन्य महीनों की सापेक्षिक आद्रता 70 प्रतिशत से अधिक रहती है, तथा वायुमण्डल सामान्यतः शुष्क होता है। दोपहर, प्रातःकाल की अपेक्षा अधिक शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु वर्ष का सबसे शुष्क भाग होता है, जबकि सापेक्षिक आंद्रता विशेष रूप से दोपहर में केवल 10 से 20 प्रतिशत तक रहती है।

मेघाच्छन्नता –

दक्षिण–पश्चिम मानसूनी मौसम में आकाश अत्यधिक मेघाच्छन्नता या मेघावृत रहता है। वर्ष के शेष महीनों में आकाश अधिकांशतः साफ या कुछ–कुछ मेघाच्छन्न रहता है। दक्षिण–पश्चिम मानसूनी मौसम में आकाश अत्यधिक मेघाच्छन्नता या मेघावृत रहता है। वर्ष के शेष महीनों में आकाश अधिकांशतः साफ या कुछ–कुछ मेघाच्छन्न रहता है।

हवाएँ –

ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्द्ध को छोड़कर हवाएं सामान्यतः हल्की होती है। तथा दक्षिण–पश्चिम मानसूनी मौसम में सामान्य होती है। ग्रीष्मऋतु में हवाएं अधिकांशतः पश्चिम या उत्तर पश्चिम की और बहती हैं। दक्षिण–पश्चिम मानसूनी मौसम में हवाएं हल्की होती है, तथा प्रातःकाल उनकी दिशा भिन्न–भिन्न होती है, जबकि दोपहर में वे अधिकांशतः उत्तर–पूर्व की ओर बहती है।

वन –

किसी भू–भाग के वन उस क्षेत्र की आर्थिक संपदा के साथ–साथ कृषि के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व रखते है। खरगोन जिले में वनों का विवरण इस प्रकार है। जिले में वनों का वितरण असमान है। दक्षिण–पूर्वी भाग में वनों की मात्रा बहुत कम है। संपूर्ण जिले का 2/5 भाग वनोन्छादित है। दूसरे शब्दों में पश्चिम निमाड़ अर्थात् खरगोन का कुल वन से ढ़का हुआ भाग 5778 वर्ग मील है, जिसमें से 2074.76 वर्गमील भू–भाग से ढ़का है। संपूर्ण जिले के वनों को दो भागों में बाँटा जा सकता है –

1. पश्चिमी खरगोन वनमण्डल – पश्चिमी खरगोन के वन मण्डल को हम बड़वानी विभाग के वन भी कह सकते है, क्योंकि इनका मुख्यालय बड़वानी में है। उक्त विभाग में 3 तहसीलें सम्मिलित है– बड़वानी, सेंधवा, राजपुर, जिसमें सरकार

द्वारा निर्धारित शुल्क देकर लकड़ी काटी जा सकती है, इस प्रकार के वनों में पशुओं की चराई की भी सुविधा हैं, शेष वन पूर्णतया रक्षित वनों के अंतर्गत आते है।

2. पूर्वी खरगोन वन मण्डल – पश्चिम खरगोन वन मण्डल की अपेक्षा पूर्वी खरगोन वन मण्डल में वनों की अधिकता है। यहाँ के वन 1755.63 वर्ग मील भू–भाग पर फैले है। इसमें से 98.70 प्रतिशत आरक्षित वन है और 1.30 प्रतिशत संरक्षित वन है। नई इकाई के अनुसार इनका क्षेत्रफल 1587.046 वर्ग कि.मी. है। पूर्वी खरगोन वनमण्डल में तहसील खरगोन, भीकनगांव, कसरावद, बड़वाह एवं महेश्वर तहसीले आती है।

यहाँ पहाड़ों में ढ़ाल पर सलाई के वृक्ष लगाये जाते है, इसके अलावा सादड, अंजन आदि के वृक्ष भी पहाड़ों की ढ़लानों पर मिलते है। इसमें मुख्य सागवान है।

खनिज –

पश्चिम निमाड़ जिले की बड़वाह तहसील के ग्राम भीतरखेड़ा में चूना, पत्थर की खाने है, तथा ग्राम चंदपुरा में सिलिका रेत की खाने है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी के किनारों से बारीक रेत एवम् पत्थर प्राप्त किया जाता है। जिसका उपयोग मकान बनाने में होता है।

कृषि विकास –

पश्चिम निमाड़ जिले में खरीफ रबी एवंम जायद तीनों प्रकार की फसले बोयी जाती है जिसकी स्थिति इस प्रकार है –

(अ) कपास – यह खरीफ की फसल है। खरगोन जिले में कपास का कुल क्षेत्र 2.15 लाख हेक्टयर से अधिक है, जिसमें लगभग 8000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है तथा शेष अधिकांश क्षेत्र असंचित है। काली पथरीली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी

है। खरगोन जिले में कपास बहुत होती है। ये रेशेदार फसल है, इससे वस्त्र बनते है।

(ब) ज्वार – खरगोन जिले में ज्वार का कुल क्षेत्र लगभग 183135 हेक्टर है। यह मध्यम एवम् गरीब लोगों का मुख्य भोजन है।

(स) मक्का – वर्षा होते ही इसकी बोनी हो जाती है। यह अन्न ढाई महिनों में पक जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 47015 हेक्टयर है। ज्वार के समान मक्का भी गरीब लोगों का भोजन है।

(द) गेहूँ – खरगोन जिले में गेहूँ का क्षेत्रफल लगभग 60574 हेक्टेयर है। दशहरे के आस–पास इसकी बोनी हो जाती है और होली तक इसकी फसल पक जाती है। पकते समय इसको गर्मी की जरूरत होती है। यह मध्यम और उच्च श्रेणी के लोगों का मुख्य भोजन है। इसकी भूसी जानवरों को खिलाने के काम आती है।

(ई) मुंगफली – जिले में मुंगफली का क्षेत्र लगभग 51629 हेक्टयर है इससे तेल निकाला जाता है और इसकी खली पशुओं को खिलाते है।

(उ) सोयाबीन – जिले में सोयाबीन का क्षेत्र लगभग 21234 हैक्टेयर हैं। 2000–01 से 2003–2004 में सोयाबीन के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इसमें से भी तेल निकाला जाता है और इसकी खली पशुओं को खिलाते है।

(ए) गन्ना – यह एक ऐसी फसल है जिसे तैयार होने में लगभग एक वर्ष लगता है इसके लिए गरम जलवायु की आवश्यकता होती है। खरगोन जिले में गन्ने का क्षेत्रफल 3028 हेक्टयर है।

इन फसलों के अतिरिक्त यहाँ चना, चावल, बाजरा, अलसी, तिल्ली एवम् मसाले की वस्तुएँ हल्दी, धनिया, लाल मिर्च भी उत्पन्न किये जाते है।[2]

सिंचाई एवं विद्युत की सुविधाएँ –

जिले में वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। अतः जल के लिये कुओं, तालाबों और नदियों पर निर्भर रहना पड़ता है। खेतों की फसलों के लिए भी इन्हीं साधनों से पानी देते है, जिले की कुल कृषि योग्य भूमि के 20 प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है।

जिले में सिंचाई के साधन कुएँ, तालाब आदि इस प्रकार है –

(अ) कुएँ – पश्चिम निमाड जिले में 2003–04 में 74763 कुएँ है। कुओं से चरस, इंजन, विद्युत पम्प आदि द्वारा जल निकाला जाता है। जिले में विद्युत पम्पों की कुल संख्या 53811 है तथा तेल से चलित पम्प 7448 है, ये कुएँ तथा नदियो पर लगाये जाते है।

(ब) तालाब – जिले की भूमि ऊँची नीची है, जिले में छोटे–बड़े तालाबों की कुल संख्या वर्ष 2003–04 के अनुसार 89 है। जिनसे खेतों में सिचांई की जाती है। इस जिले में सिंचाई के लिए दो प्रकार की योजनाएँ लागू है–

01. मध्यम सिंचाई योजनाएँ – इसमें कसरावद एवम् महेश्वर तहसीले है, कसरावद में साहक बांध, महेश्वर में गनन तालाब मानसरोवर है।

02. लघु सिंचाई योजनाएँ– इसमें बड़वाह, भीकनगांव, झिरन्या, खरगोन तहसील आती है। बड़वाह तहसील में लाघोरा, जेठवाय, बलवाडा, पिपमोर का तालाब, खरगोन में बनहेर का तालाब, से सिंचाई होती है।

(स) नलकूप – जिले में कुल नलकुपों की संख्या 2010–14 के अनुसार 4024 है। नलकूपों द्वारा 2010–14 तक 15450 हेक्टयर क्षेत्र है को सिंचित किया जा चुका है।

(द) नदी नालों द्वारा भी जिले में सिंचाई होती है। कुछ कृषक अपने खेतों के किनारों से बहने वाले नालों से खेत सींचते है।[3]

शोध पध्दति –

अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन के उद्देश्यों तथा परीक्षणार्थ परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेने के पश्चात्, अध्ययनकर्ता के समक्ष सबसे प्रमुख तथा जटिल समस्या निदर्शितों का चयन करने की होती है जो कि शोध कार्य की आधारशिला होती है। यहाँ आधारशिला जितनी स्पष्ट तथा सुदृढ़ होगी, अध्ययन के परिणाम, उतने ही अधिक मौलिक, वस्तुनिष्ठ, सार्थक, विश्वसनीय, वैध तथा परिशुद्ध होगे; क्योंकि एक निर्देशन, किसी समूह का वह लघु किन्तु प्रतिनिधिक अंश होता है जिसमें उस समूह के समस्त गुण–धर्म विद्यमान होते है। निदर्शन प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् है, जिनकी वजह से अध्ययन की इकाईयों के चुनने के लिये निदर्शन पद्धति को चुना गया है[4] –

1) निदर्शन पद्धति द्वारा चुनी गयी इकाईयां, समग्र के समस्त गुण धर्मो का प्रतिनिधित्व करती है।

2) समग्र की इकाईयों की तुलना में निदर्शन इकाईयां संख्या(आकार) में सीमित तथा कम होती है क्योंकि समग्र की इकाईयों में से ही कुछ प्रतिशत इकाईयाँ चुन कर अध्ययन सम्पादित किया जाता है।

3) निदर्शन पद्धति, मिथ्या झुकाव तथा पक्षपात से रहित होती है।

4) कुछ ही चयनित इकईयों से अध्ययन पूर्ण किया जा सकता है अतः समय, धन तथा श्रम कम अपव्यय होता है।

5) निदर्शन एक वैज्ञानिक पद्धति है जो कि तर्क पर आधारित होती है।

6) शोधार्थी ने उपर्युक्त विशेषताओं के कारण निदर्शन प्रणाली का चयन किया है न कि संगणना पद्धति का। सामाजिक शोध अध्ययनों में इकाईयों के चयन में निदर्शेन की भूमिका अहम् व अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है क्योंकि निष्कर्षो की वैज्ञानिक परिशुद्धता चयनित प्रतिनिधि निर्देश पर ही निर्भर करती है। इसलिए यह

आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी; अनुसंधान के परिणाम उतने ही वैज्ञानिक, तार्किक, मौलिक, परिशुद्ध तथ्यपरक तथा विश्वसनीय होंगे। किन्तु अनुसंधान के सम्पादन हेतु निदर्श इकाईयों का चयन करना स्वयं में एक जटिल समस्या होती है क्योंकि निदर्शन के चयन की कई एक पद्धतियां है। प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययनार्थ निदर्शित चयन करना यद्यपि एक जटिल समस्या रही है।[5]

अध्ययन में प्रयुक्त पद्धतियाँ एवं प्रविधियाँ –

इस शोध अध्ययन में देव निर्देशन की लॉटरी पद्धति का उपयोग किया गया है। सामान्यतः किसी शोध के वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए एकाधिक व्यवस्थित अध्ययन प्रणालियों का अपनाया जाना, स्वाभाविक तथा अनिवार्य होता है क्योकि ''विज्ञान का सम्बन्ध वैज्ञानिक पद्धतियों से होता है, न कि अध्ययन विषय से।'' तथ्यपरक निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में कोई एक संक्षिप्त मार्ग नहीं है। जैसा कि सर्वश्री कार्ल पियर्सन ने लिखा है कि –''सत्य को खोजने के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं, समग्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, सिवाय वैज्ञानिक पद्धति के।'' अर्थात् एक अध्ययनकर्ता को अध्ययन करने के लिए विभिन्न ''वैज्ञानिक पद्धतियों'' के द्वार से गुजरना पड़ेगा क्योंकि किसी भी सामाजिक अनुसंधान का मूल आधार वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय सूचनाएं एवं आंकड़े होते हैं। जिन्हें संकलित करने के लिए अनुसंधित्सु को अनेक पद्धतियों, उपकरणों व प्रविधियों; को अपनाना पड़ता है। शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन के लिए जिन वैज्ञानिक पद्धतियों, उपकरणों तथा प्रविधियों को अपनाया है, वे अग्रांकित है।

अग्रगामी सर्वेक्षण –

अध्ययनकर्ता को क्षेत्र में जाकर उनका परीक्षण करना आवश्यक होता है। पूर्वगामी सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा अनुसूची की सार्थकता, उपयुक्तता तथा शोध योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संभावित

विकल्पों व उचित प्रविधियों व पद्धतियों का पता लग जाता है। ऐसे सर्वेक्षण को अग्रगामी या पूर्वगामी सर्वेक्षण कहते हैं। यह सर्वेक्षण कार्य अनुसंधान कार्य आरम्भ करने से पहले ही कर लिया जाता है। शोधार्थी ने अपना अध्ययन आरम्भ करने से पूर्व अपने अध्ययन क्षेत्र में इकाईयों के पास जाकर "पाइलट सर्वे" भी किया है क्योंकि यह सर्वेक्षण –

(1) शोध प्रश्नों तथा परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होता है।

(2) अनुसंधान कार्य से संबंधित आवश्यक जानकारी तथा प्रारंभिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है।

(3) अध्ययन क्षेत्र व निदर्श इकाईयों के चयन की उचित जानकारी सुनिश्चित हो जाती है।

(4) सूचनादाताओं का स्वभाव, व्यवहार, विचार, विश्वास, दृष्टिकोणों इत्यादि का पूर्वाभास हो जाता है कि उनका चयन सही हुआ है, अथवा नहीं।

(5) साक्षात्कार अनुसूची की परीक्षा तथा पुर्नपरीक्षा; उचित निदर्शन के चयन में सहायक होता है।

(6) अनुसूची की उपयुक्तता, सार्थकता तथा सत्यता की जानकारी होती है।

(7) अनुसंधान (अध्ययन) के मार्ग में आने वाली सम्भावित समस्याओं का भी पूर्वाभास हो जाता है। जिनसे अध्ययनकर्ता बचकर चलते हुए तथ्यपरक जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकाधिक प्राथमिक आंकड़े संकलित करता है इत्यादि।[6]

साक्षात्कार–अनुसूची का निर्माण व सार्थकता का परीक्षण –

प्रत्येक शोध में अध्ययन–विषय से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्यों का संकलन, सामाजिक शोध की महती आवश्यकता होती है क्योंकि द्वितीयक तथ्य तो अध्ययन–समस्या से सम्बन्धित अतीत के लिखित प्रलेख होते हैं, जबकि प्राथमिक

तथ्य शोध विषय की वर्तमान वास्तविकता होते हैं। वास्तविक तथा मौलिक प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए अनावश्यक व व्यर्थ की सामग्री के संकलन से बचने के लिए एक अध्ययनकर्ता को अनेकों उपकरणों तथा प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। अनुसूची; इनमें से एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसे शोधार्थी ने अपने अध्ययन से अपनाया है। सामान्यतः अनुसूचीः लिखित प्रश्नों की वह व्यवस्थित सूची होती है जिसमें अध्ययन समस्या के उद्देश्यों की पूर्ति निहित रहती है।

यह अध्ययन समस्या के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कराने का एक उत्तम साधन (उपकरण) होती है जो निरर्थक अध्ययन सामग्री एकत्रित होने से रोकती है। मुकर्जी आर.एन. (1990 : 256) ने भी ''साक्षात्कार–अनुसूची'' के सन्दर्भ में लिखा है कि : ''अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक औपचारिक लिखित सूची होती है जिसे अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान विषय की प्र.ति. और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार करता है, जिससे कि उन प्रश्नों के उत्तर निदर्श सूचनादाताओं से ज्ञात किए जा सकें और इस प्रकार आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित रूप में लिख सके।''

सर्वश्री गुडे एण्ड हाट (1956 : 113) के शब्दों में : ''अनुसूची प्रश्नों के उस प्रश्न समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी सूचनादाता अथवा सूचनादाताओं से आमने सामने की (प्रत्यक्ष) स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं।''

सर्वश्री ईमोरी एस. बोगार्ड्स (1968 : 15) के अनुसार : ''एक अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वस्तुनिष्ठ रूप में होती है तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य होती है।'' इन प्रतिनिधि परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक अनुसूची; सूचनादाताओं से पूछे जाने वाले प्रश्नों की नियोजित तथा लिखित सूची होती है जो व्यवस्थित, विस्तृत एवं सुविचारित ढंग से अध्ययन समस्या की प्र.ति. एवं उद्देश्यों के आधार पर बनाए जाते हैं। सामान्यतः किसी भी अनुसूची में निम्न विशेषताएं होती है, इस

कारण भी शोधार्थी ने अपने इस अध्ययन में अनुसूची उपकरण को मुख्य पद्धति के रूप में अपनाया है[7] –

(1) अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनादाता से प्रश्नोत्तर करके स्वयं भरी जाती है।

(2) अनुसूची एक विस्तृत, वर्गीकृत, सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रश्नों की एक सूची होती है जो अध्ययन समस्या से सम्बन्धित होते है।

(3) अध्ययनकर्ता तथा उत्तरदाता प्रत्यक्ष स्थिति में होने के कारण शोधार्थी को घटना (परिस्थिति) का अवलोकन करने का अवसर मिल जाता है।

(4) अनुसूची अशिक्षित व शिक्षित दोनों तरह के उत्तरदाताओं से तथ्य संकलन की एक पद्धति होती है।

(5) अनुसूची के मौलिक, विश्वसनीय व वैषयिक तथ्य प्राप्त करना सरल होता है।

(6) अध्ययनकर्ता अपूर्ण तथा अनावश्यक तथ्यों को एकत्रित करने से बच जाता है।

(7) अनुसूची द्वारा अध्ययन करने पर अध्ययनकर्ता को अध्ययन समस्या से संम्बन्धित प्रमाणिक सामग्री व्यवस्थित रूप में सरलता से उपलब्ध हो जाती है।

(8) अध्ययनकर्ता को सर्वेक्षण करते समय उत्तरदाताओं को प्रश्न समझाने, पूरक प्रश्न करने, प्रश्नों में संशोधन तथा परिवर्तन करने का अच्छा अवसर मिल जाता है।

(9) सही प्रत्युत्तरों की प्राप्ति अधिकतम तथा जल्दी से जल्दी और आसानी से हो जाती है।

(10) अनुसूची पद्धति से अध्ययन करने पर अनुसंधानकर्ता को प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने, विभिन्न परिस्थितियों के अवलोकन करने से; साक्षात्कार व अवलोकन दोनों ही प्रविधियों का सदुप्रयोग करने का एक साथ अवसर मिल जाता है; जो किसी अन्य पद्धति से संभव नहीं होता।

(11) अनुसूची द्वारा संकलित तथ्यों से अध्ययनकर्ता को तथ्यों के सांख्यकीय विश्लेषण करने में सुविधा होती है क्योंकि अनुसूची से अध्ययन करने पर प्राथमिक आँकड़े व्यवस्थित रूप में प्राप्त हो जाते हैं।[8]

शोध सर्वेक्षण में अवलोकन तथा सहभागी अवलोकन प्रविधि को भी अपनाया गया है।

इस प्रकार साक्षात्कार–अनुसूची एक ऐसा उपकरण है जो क्षेत्रीय तथ्यों के एकत्रित करने हेतु लिखित प्रश्नों की नियोजित, वर्गीकृत तथा अभिकल्पित सूची होती है जो अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से आमने सामने की प्रत्यक्ष स्थिति में प्रश्नोत्तर करके उत्तरों से भरी जाती है। उपरोक्त लाभों को देखते हुए शोधार्थी ने अपने अध्ययन में ''साक्षात्कार–अनुसूची'' को उपकरण के रूप में अपनाया है।

भारत एक विकासशील देश है और देश की अनेक विशेषताएं हैं, इसमें जाति, धर्म, भौगोलिक दशाएं विकास की तकनीक प्रमुख है। भारत देश को गांवो का देश माना जाता है, क्योंकि भारत की 68 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। दुर्भाग्य से विकास के रथ का पहिया अभी तक गांवों में पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाया हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् विकास की अनेक नीतियां बनी है, जिसके कारण भारत निरन्तर विकास कर रहा है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं के नियोजित तरीकों के कारण हर क्षेत्र में विकास संभव हो पा रहा हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों के तमाम प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक विसंगतियां देखने को मिल रही है।

इस विसंगतियां दूर करने के लिए योजनाओं और उपयोजनाओं के माध्यम से निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। स्वतंत्रता के पश्चात् से ही महात्मा गांधी ने विकास की नीति को अपनाने पर जोर दिया था। महात्मा गांधी का स्पष्ट मत था, कि ग्रामों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है, इसलिये ही गांधी जी ने ''पंचायती राज प्रणाली'' अपनाने पर जोर दिया था। गांधी जी का ग्राम स्वराज और रामराज्य एक स्वप्न था, जिसे वह पूरा करना चाहते थे। संक्षेप में कहे तो गांवो और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना देश का विकास अधूरा होगा।[9]

अध्ययन का समग्र एवं निदर्शन –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निदर्शन की इकाई के रूप में खरगोन जिले को लिया गया है और समग्र के रूप में खरगोन जिलें की 9 तहसीलें खरगोन, भगवानपुरा, सेगाँव, भीकन गाँव, झीरन्या, महेश्वर, बड़वाहा, कसरावाद, गोगांवा सम्मिलित है। अध्ययन की इकाई के रूप में मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएँ उनके क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन, के अध्ययन करने के लिए योजनाओं का लाभ उठाने वाले तथा प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग में विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी, प्राध्यापक, अधिवक्ता, व्यापारी, शिक्षक, इंजीनियर, चिकित्सक, पत्रकार, पैंशनर को सम्मिलित किया गया है। हर वर्ग से 9 तहसीलों की भौगोलिक संरचना को दृष्टिगत रखते हुए समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच–पाँच सौ लोंगों की सूची प्रत्येक तहसील से सुविधानुसार तैयार की गई, उसके अनुसार पर्चिया डालकर देव निदर्शन पध्दति की लॉटरी पध्दति से दस वर्गो से तीस उत्तरदाताओं का चयन कर कुल 300 निदर्शन का निर्धारण सुनिश्चित किया गया।

इसमें संबंधित शोध कार्य में सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएँ एवं उसके क्रियान्वयन से संबंधित विविध पहलुओं को सम्मिलित करते हुए साक्षात्कार अनुसूचि के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया।

खरगोन जिलें से चयनित उत्तरदाताओं की संख्या

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	संख्या
01	विद्यार्थी	500	30
02	चिकित्सक	500	30
03	प्राध्यापक	500	30
04	शिक्षक	500	30
05	इंजीनियर	500	30
06	व्यापारी	500	30
07	कर्मचारी	500	30
08	अधिवक्ता	500	30
09	पत्रकार	500	30
10	पैंशनर्स	500	30
कुल		5,000	300

शोध के उद्देश्य –

सामान्यतः अनुसंधान हेतु निर्मित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्ययनकर्ता को कुछ शोध प्रश्नों अथवा परीक्षणार्थ परिकल्पनाये निर्मित करनी होती है। अध्ययन के अन्तिम सोपान में इन परिकल्पनाओं की सत्यता तथा सार्थकता का परीक्षण करके निष्कर्ष उद्घाटित (स्थापित) किये जाते है, जिसे सिद्धान्तीकरण कहते है। अध्ययनकर्ता ने भी कतिपय परिकल्पनाएँ निर्मित की है अनुसंधान कार्य हेतु यह परमावश्यक होता है कि सर्वप्रथम ''परिकल्पनाएँ'' शब्द की अवधारणा स्पष्ट कर ली जाए। सामान्यतः शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से परिकल्पना (परि + कल्पना) दो शब्दों

का योग है जिनके अर्थ क्रमशः ''चारों'' ओर तथा ''विचार या चिन्तन करना'' है अर्थात अध्ययन समस्या के सन्दर्भ में एक सामान्य अनुमान के आधार पर विचार करना। इस प्रकार एक शोधकर्ता अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के पूर्व ही अध्ययन की समस्या के विभिन्न पक्षों तथा उद्देश्यों से सम्बन्धित कुछ सामान्य अनुमान लगा लेता है, जिसका उद्देश्य अध्ययन के लिए एक निश्चित दिशा निर्धारित करना होता है ताकि अध्ययनकर्ता इधर–उधर निरर्थक न भटक कर सुनिश्चित आधार पर सम्बन्धित आकड़े एकत्रित करता है।

इस प्रकार परिकल्पनाएँ अध्ययनकर्ता को उचित दिशा प्रदान करते हुए मार्ग दर्शक बनकर उसे गन्तव्य तक पहुँचाती है। इसी प्रसंग में सर्वश्री गुडे एण्ड हाट ने लिखा है कि– ''परिकल्पना; सिद्धान्त और शोध के बीच की एक आवश्यक कड़ी होती है जो नवीन तथ्यो के सम्बन्ध में अतिरिक्त ज्ञान की खोजकरने में सहायक होती है।'' स्पष्टतः परिकल्पनाएं, अनुसंधान के लिए एक ऐसा आवश्यक आधार प्रस्तुत करती है; जिसकी सहायता से नवीन तथ्यों को खोजा जाता है।[10]

शोध अध्ययन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये थे, जिन्हे पूर्ण करने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य –

इस दृष्टिकोण से इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अध्ययन करना।
2. मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त योजना की जानकारी क्रियान्वयन प्रभाव एवं मूल्यांकन आदि के संबंध में जानकारी एकत्रित करना।
3. चुनावी घोषणा–पत्रों का सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव का अध्ययन करना।
4. मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं।

शोध परिकल्पनाएँ –

किसी भी शोध को केन्द्रित करने के लिये परिकल्पनाओं का सहारा लेना आवश्यक है, जिससे शोध को दिशा निर्देश दिया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन को वैज्ञानिक आधार पर निर्देशित दिशा की ओर ले जाने हेतु कुछ उपकल्पनाओं (पूर्वानुमानित निष्कर्षों) का निर्माण किया गया है और इन्हीं उपकल्पनाओं को (निष्कर्ष को) उत्तरदाताओं की सहायता से वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणीकृत करने की चेष्टा की गयी है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने अपने अनुभव और विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ काल्पनिक निष्कर्षों की प्रस्थापना की है, जो कि शोधार्थी का मार्गदर्शन करेगें। यह सर्वप्रथम परिणामों की ओर संकेत करती है, पर उसकी पुष्टि नहीं करती है।

वस्तुतः ई.एस. बोगार्डस का कथन उल्लेखनीय है कि ''परिकल्पना परिलक्षित होने वाला प्रस्ताव है।''

प्रस्तुत शोधकार्य में उपकल्पना को सुत्रीकृत करते समय उन समस्त बातों का ध्यान रखा गया है, जो कि शोध की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। शोधकार्य में चरों को गुणात्मक से गणनात्मक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। साथ ही उपकल्पनात्मक कथन की भाषा सरल एवं निश्चित अर्थ संप्रेषित करने वाली हैं। जिससे उसमें संशय, संदेह अथवा अस्पष्टता है एवं इसकी परीक्षा एवं सत्यापन नहीं है, अर्थात् इनमें भाषागत तथा विचारात्मक स्पष्टता है एवं इसकी परीक्षा एवं सत्यापन शेष है।

उपर्युक्त विशलेषण से यह स्पष्ट होता है, कि उपकल्पना न केवल अध्ययन क्षेत्र से संबंधित उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक होती है, बल्कि अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर शोध कार्य को एक दिशा भी प्रदान करती है।[11]

वर्तमान अध्ययन की प्रमुख परिकल्पनाएँ निम्नलिखित है –

1. प्रदेश में निवासरत परिवारों को सरकार की योजनाओं की जानकारी का अभाव है।
2. आम जन को इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
3. शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कर्मचारी लापरवाही बरततें है।
4. योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अशिक्षित तथा जाति एवं जनजाति के लोगों को समस्याओं का सामना करता पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर खरगोन, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल, पृष्ठ सं. 38
2. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर खरगोन, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल, पृष्ठ सं. 86
3. मानव विकास प्रतिवेदन जिला खरगोन राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल पृष्ठ सं. 113
4. मुखर्जी आर.एल., सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, विवके प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993 पृष्ठ सं. 67
5. रविन्द्रनाथ मुखर्जी, सामाजिक अनुसंधान, पृष्ठ सं. 37
6. एम.पी.शर्मा शोध पध्दति, पृष्ठ सं. 59
7. बोगार्ड्स ई.एस. 1968 ऐन इन्ट्रोडक्शन टू सोसल रिसर्च, ऐन्जिल एण्ड सट्टन हाउस, (प्रा.लि.), नई दिल्ली पृष्ठ सं. 92
8. सिंह श्यामघर 1979 वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, प्रिन्स यशवंत रोड, इन्दौर, पृष्ठ सं. 206
9. चौबे रमेश, सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविधि हिन्दी गंथ अकादमी भोपाल, पृष्ठ सं. 16
10. मुखर्जी आर.एन. 1990 सोसल रिसर्च एण्ड स्टेटिस्टिक्स, विवके प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ सं. 87
11. आल्फ्रेड जे. काहन 1960 दि डिजाइन ऑफ सोसल रिसर्च, दि युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो, पृष्ठ सं. 56

अध्याय तृतीय

सत्ता परिवर्तन के प्रमुख कारक – प्रशासनिक एंव नीतिगत

भारत की आजादी के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान मे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते हुए संघात्मक शासन की स्थापना की गयी। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित न कर केन्द्र एवं राज्य सरकारों में विभाजित कर दी। संविधान में इन दोनों स्तरो की सरकारो के कार्य एवं शक्तियों का स्पष्ट वर्णन है तथा अपेक्षा की गयी है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपने–अपने क्षेत्र में सवतंत्र रूप से कार्य करेगी तभी लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी।

संविधान लागू होने के पश्चात् राज्यों की सीमाओं में कई परिवर्तन होते रहे। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुसंशा पर 1 नवम्बर, 1956 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ और ठीक 44 वर्ष पश्चात् 1 नवम्बर, 2000 को मध्यप्रदेश की सीमाओं का पुनर्निधारण किया गया। वर्तमान मध्यप्रदेश 9 राजस्व एवं प्रशासनिक संभागों एवं 51 जिलों में विभक्त है। जनसंख्या से मध्यप्रदेश देश का सातवां एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है।

मध्यप्रदेश राज्य में अब तक 14 विधानसभाओं के निर्वाचन हो चुके है। प्रदेश में अधिकांशतः समय कांग्रेस की ही सरकार रही है। कांग्रेस का वर्चस्व 1977 में पहली बार समाप्त हुआ और प्रदेश में पहली बार जनता पार्टी एवं जनसंघ ने मिलकर कैलाश जोशी के नेतृत्व में सरकार बनायी। लेकिन इसके पश्चात् पुनः 1980 से लेकर और 1990 दस वर्ष तक अर्जुनसिंह एवं मोतीलाल वोरा के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही। 1990 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी

सरकार बनायी किंतु वह अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सकी। 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह के नेतृत्व में दो कार्यकाल प्रदेश में पुनः कांग्रेस सरकार के रहे।

मुख्यमंत्री दिग्विजसिंह के नेतृत्व में द्वितीय कार्यकाल में प्रदेश में विकास की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। बुनयादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली एवं सड़क जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार विफल रही। वर्ष 2003 के विधानसभा निर्वाचनों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विकास को मुद्दा बनाते हुए चुनाव में भाग लिया एवं बेहतर सरकार देने का वादा किया। विकास को मुख्य मुद्दा बनाते हुए भाजपा ने बिजली संकट, सड़को की बदहाल स्थिति, पानी संकट को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास प्रदर्शित करते हुए प्रदेश की जनता ने उसे प्रदेश में शासन करने का अवसर प्रदान किया। निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली एवं 230 स्थानों में से 173 स्थानों पर सफलता के साथ प्रदेश में सुश्री उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ।

सुश्री उमा भारती 8 दिसम्बर, 2003 से 22 अगस्त, 2004 तक मुख्यमंत्री पद पर रही। इसके पश्चात् बाबूलाल गौर 27 नवम्बर, 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। बदलते मुख्यमंत्री की इस दौड़ को समाप्त करने एवं प्रदेश में स्थायी एवं साफ सुथरी सरकार बनाने के उद्देश्य से पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने विचार–विमर्श कर 28 नवम्बर, 2005 को श्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान सौपी।

प्रदेश में सत्ता आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में उल्लेखित कई मुद्दों को पूर्ण करने का प्रयास किया एवं प्रदेश की स्थिति सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाये। प्रदेश में मुख्य मुद्दों – बिजली, सड़क एवं पानी जिनके आधार पर पार्टी सत्ता में आयी थी, उनकी स्थिति में सुधार किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ा

गया। विगत वर्षो में प्रदेश में बिजली का उत्पादन भी प्रदेश में बढ़ा। निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने वाला पहला प्रदेश राज्य बना। ओवर ड्राफ्ट की समाप्ति, प्रदेश के विकास हेतु एक लाख तीस हजार करोड़ रूपयें की पूंजी निवेश का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास की दिशा में कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाकर्मियों को स्थायी एवं उनके वेतनमान में सुधार, स्वास्थ हेतु गाँव–गाँव में उपस्वास्थ केन्द्रों की स्थापना का प्रयास, रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी, समग्र स्वच्छता अभियान आदि क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियाँ उल्लेखनीय है।

चूँकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में विकास के मुद्दें को लेकर चुनाव मे उतरी थी एवं प्रदेश की जनता ने उस पर विश्वास प्रकट करते हुए प्रदेश की कमान को सौंप दी थी। वर्तमान में जबकि सरकार को कार्य करते हुए 11 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है तो यह जानना सर्वाधिक प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर कहाँ तक खरा उतर सकी है तथा इस सरकार की उपलब्धियाँ एवं कमियाँ क्या है?

सत्ता परिवर्तन के प्रमुख कारक : प्रशासनिक एवं नीतिगत –

मध्यप्रदेश ने स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के संविधान के अनुसार संसदीय प्रणाली को अपनाया। विधायिका के रूप में विधानसभा, राज्य के लिये कानून बनाती है, जबकि उच्च न्यायलय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायलय कानूनों की व्याख्या करते है।

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री मंत्रिमण्डल का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। सरकार के कार्यों को लागू करने में विभिन्न विभागों में कार्यरत लोक सेवक सहायता प्रदान करते हैं, जो सचिवालय संचालनाय तथा अधीनस्थ निकायों में कार्यरत होते है। प्रशासन की सुविधा के लिये राज्य को संभागों में बाँटा गया है, जो संभागीय आयुक्त द्वारा संचालित होते है। संभाग के

बाद जिला सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। जिला प्रशासन जिलाधीश के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। जिले के अधीन उपखण्ड तथा तहसीलें कार्यरत होती है।

मध्यप्रदेश में नगरीय स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के रूप में नगर निगम, नगर पालिका कार्यरत है। ग्रामीण स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिये जिला परिषदें, जनपद तथा ग्राम पंचाचतें स्थापित की गयी हैं।

औद्योगिक, व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक कार्यो को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक निगम, मंडल, लोक उपक्रम आदि जन–साधारण सेवाएँ उपलब्ध कराते है। ऐसे उपक्रमों की संरचना, कार्यप्रणाली विभागों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।

राज्य शासन का संवैद्यानिक ढाँचा –

भारत 'राज्यों का संघ' है। संघात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय तथा राज्यों में शासन की दो पृथक व्यवस्थाएँ होती है। इसमें दुहरी नीतियाँ अपनायी जाती है। एक ही राज्य के ढाँचे के अंर्तगत राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय शासन में सह–अस्तित्व रहता है। दोनों ही सरकार संविधान द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं तथा संविधान द्वारा सुनिश्चित सीमाओं के अंतर्गत दोनों ही सर्वोच होते है। संघवाद दोनों ही शासन–व्यवस्थाओं में समान स्तर की मान्यता पर आधारित है। उनमें से कोई एक अन्य दूसरे की कृति नही है। न्यायिक स्तर तथा वैधानिक व्यक्तित्व दोनों के लक्षण है। राज्य के राजनीतिक और प्रशासनीक संगठन केन्द्र समकक्ष है।

संघ सरकार	राज्य सरकार
1. राष्ट्रपति	1. राज्यपाल
2. मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री	2. मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री
3. संसद	3. विधानमण्डल

4. सर्वोच्च न्यायालय	4. उच्च न्यायालय
5. अखिल भारतीय सेवाएँ	5. राज्य सेवाएँ
6. केन्द्रीय सचिवालय	6. राज्य सचिवालय
7. संघीय लोक सेवा आयोग	7. राज्य लोक सेवा आयोग
8. एटॉर्नी जनरल	8. एडवोकेट जनरल
9. लोकपाल	9. लोकायुक्त
10. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	10. राज्य सतर्कता आयोग

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति शासन, जिला प्रशासन, नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय स्वाशासन राज्य के संवैधानिक दायित्व के अंतर्गत है।

राज्य के प्रशासनिक ढाँचे का अध्ययन करते समय हमें संविधान की निम्न मूलभूत विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है इस प्रकार मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. सामान्य रूप से भारतीय संविधान संघात्मक है।
2. केन्द्र और राज्य में संसदीय सरकार की व्यवस्था है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित है।
3. सम्पूर्ण भारत में एक भारतीय नागरिकता है।
4. संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संसद और विधानमण्डल द्वारा बनाये गये कानून संविधान के विपरीत होने पर न्यायपालिका द्वारा अवैद्यानिक घोषित किये जाते है।
5. संविधान सबको समान मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
6. कानून के समक्ष सब समान है।
7. भारत एक गणतंत्र है जिसका प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति होता है।
8. शासन की समस्त शक्ति का स्त्रोत जनता ही है।
9. शक्तिशाली के केन्द्रीय सरकार।

मध्यप्रदेश राज्य प्रशासन की संरचना

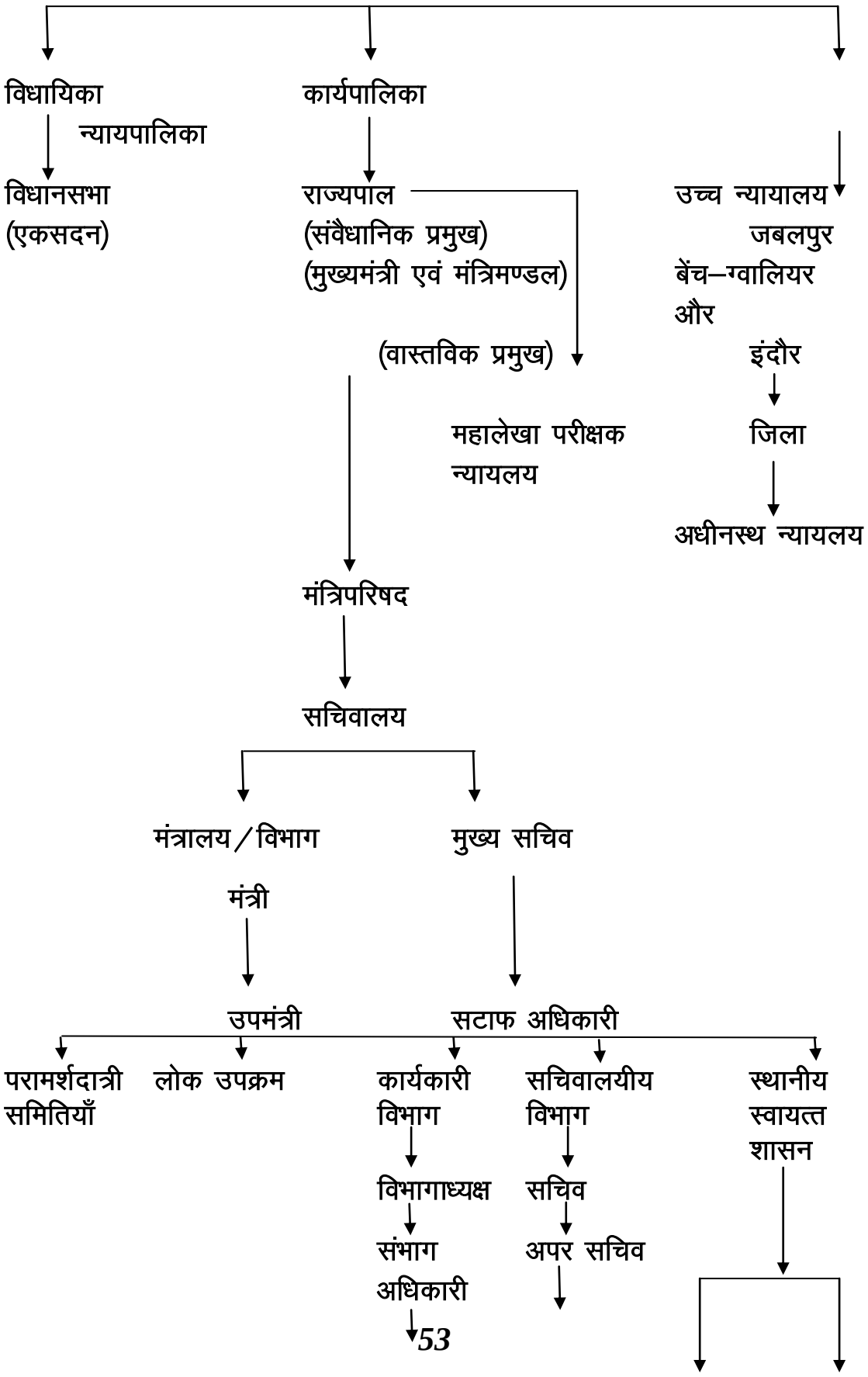

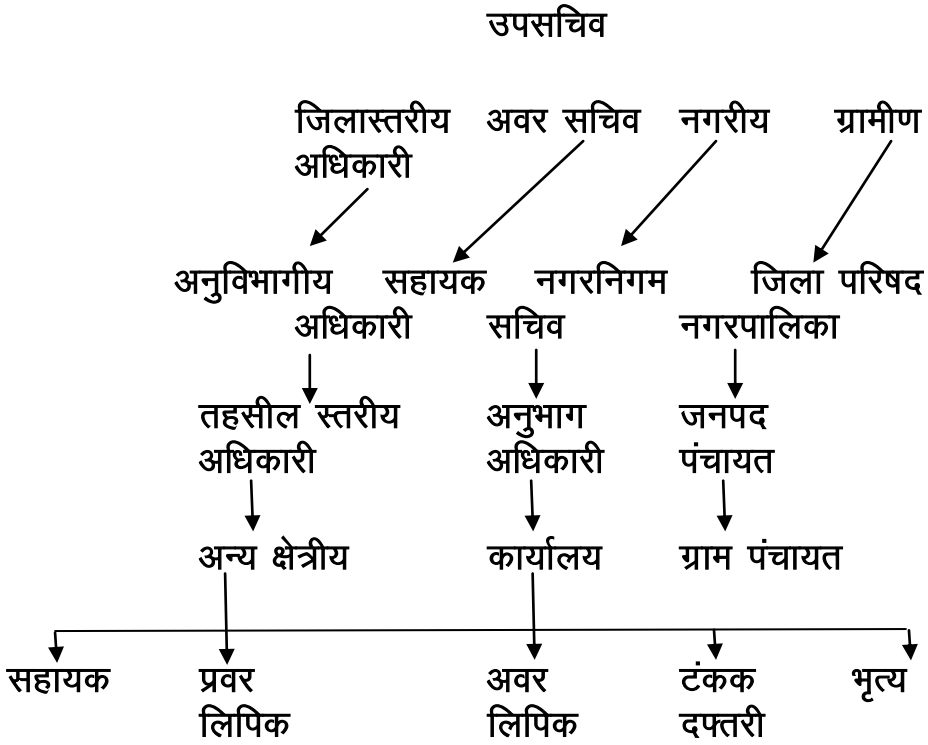

भारत में प्रशासन के तीन स्तर हैं– केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। प्रशासन ने इन तीनों स्तरों की पुस्तकों में पर्याप्त चर्चा की गयी है और अध्ययनकर्ताओं की विषय संबंधी जानकारी सहज उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त प्रशासन के तीन स्तरों के अतिरिक्त देश के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग देने वाले कुछ अभिकरण अथवा इकाईयाँ भी विद्यमान है। इनका प्रशासन संचालन में अपना विशिष्ट स्थान एवं भूमिका होती है। प्रशासन की पुस्तकों में इन इकाइयों की अपेक्षाकृत कम चर्चा की जाती है अतः अध्ययनकर्ता समुचित जानकारी से वचिंत रह जाते है। इस अध्याय में यथासंभव विभिन्न इकाईयों के संबंध में अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। मध्यप्रदेश कें संदर्भ में निम्नलिखित इकाइयों, आयोगों अथवा समितियों का अध्ययन किया गया है।

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त –

विश्व के विभिन्न देशों में नागरिकों की शिकायतों के निवारणार्थ विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। अन्य देशों की भाँति भारत में भी लोक प्रशासन पर प्रशासकीय, विधायी तथा न्यायिक नियंत्रण है। हमारे यहाँ नागरिक सेवा से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गयी है। भारत में कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति' के आयोग द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की अनुशंसा को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुरूप तथा शासन में भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद से निपटने के लिए राज्यों में लोकायुक्त नामक संगठन की स्थापना अनेक राज्यों में की गयी है।

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का विचार 20 जून, 1969 में नरसिंहराव की अध्यक्षता में गठित मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग ने जनसमस्याओं के निराकरण के लिए लोकायुक्त के रूप में 'प्रहरी मण्डल' की स्थापना का सुझाव दिया था। इसका कार्य प्रशासन में सत्यनिष्ठा एवं सामर्थ्य स्थापित करने में शासन को परामर्श देना था। इस विषय पर आयोग का विचार था कि हमारी यह धारणा है कि नागरिको को उचित शिकायत पर तुरन्त ध्यान देने वाला और उसके अधिकारों की रक्षा करने वाले एक स्वतंत्र एवं समर्पित अभिकरण सिध्द होगा। दुर्भाग्यवश आयोग की इस महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद केन्द्रीय सरकार के अनुदेश पर 'मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त' अधिनियम, 1975 पारित किया गया। किन्तु वह विधेयक भी लागू नहीं हो सका। इसके पश्चात् पुनः मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 पारित किया गया जिसे अक्टूबर 1981 से लागू कर दिया गया।

लोकायुक्त द्वारा की गयी जाँच को गोपनीय रखा जाता है। ये सामान्यतः व्यथित (पीड़ित) पक्ष द्वारा की गयी शिकायतों की जाँच करते है। कोई भी प्रभावित

व्यक्ति जो राज्य का लोक–सेवक न हो, वह लोकायुक्त सचिवालय को अपनी शिकायत स्वंय उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकता है।

वैसे तो लोकायुक्त के पद के संबंध में अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग प्रकार के अधिनियम बनाये गये हैं परन्तु आमतौर पर उनमें निम्नलिखत विशेषताएँ देखने को मिलती है–

1. लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश एवं विपक्षी दल के नेता के परामर्श से की जाती है।

2. लोकायुक्त का वेतन, भत्ता तथा सेवा की अन्य शर्तें लगभग वही होती हैं जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है।

3. राज्यों में लोकायुक्त के लिए अलग सचिवालय एवं प्रशासन की व्यवस्था की गयी है।

4. ये अपने निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होते है और इन पर किसी तरह का आंतरिक एवं बाहरी नियंत्रण नहीं रहता है।

5. कार्यकाल पाँच वर्ष है।

6. प्रतिवर्ष लोकायुक्त राज्यपाल को अपने कार्यों के संबंध में एक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। जो विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराता है।

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से की जाती है। उपलोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त से परामर्श के बाद राज्यपाल करता है।

लोकायुक्त वही व्यक्ति बन सकता है जो –

(अ) सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायलय में न्यायाधीश रहा हो।

(ब) भारत सरकार का सचिव या किसी राज्य सरकार का मुख्य सचिव रहा हो।

(स) 66 वर्ष से कम आयु का हो, तथा

(द) उपलोकायुक्त के लिए 63 वर्ष की आयु की पात्रता रखी गयी है।

लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष है। उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। समय के पूर्व वे राज्यपाल को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। विधेयक की धारा 6 के अनुसार लोकायुक्त को अपने पद से मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव, जिसमें वह दुर्व्यवहार या अक्षमता का दोषी सिध्द पाया जाये, और राज्यपाल ऐसा आदेश पारित कर दे। ऐसे प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण, जाँच एवं दोष सिध्दि के लिए वे प्रकियाएँ अपनायी जायेंगी जो न्यायधीश जाँच अधिनियम, 1986 की व्यवस्था द्वारा न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनायी जाती है।

लोकायुक्त अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत लोकायुक्त किसी लोक–सेवक के विरूद्ध प्राप्त शिकायत अथवा सूचना के आधार पर जाँच प्रारम्भ कर सकता हैं। लोकायुक्त के सामान्य निदेशन एवं नियंत्रण में अधिकारियों के विरूध्द उपलोकायुक्त शिकायत या सूचना की जाँच कर सकता है। विधेयक में 'लोक–सेवक' के अधीन मंत्री एवं मंत्रीस्तर के लोग तथा लोक–सेवक आतें है। विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरूध्द लोकायुक्त कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। 1982 के संशोधन के बाद मुख्यमंत्री भी इस अधिनियम के अंतर्गत जाँच की परिधि में आ गये है। विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त निम्न विषयों की जाँच नहीं करेंगे:

(अ) जो विषय जाँच आयोग अधिनियम, 1950 के अधीन जाँच के लिए संदर्भित किया गया हो,

(ब) यदि किसी विषय पर जाँच अधिनियम, 1950 के अधीन औपचारिक एवं सार्वजनिक जाँच चल रही हो,

(स) किसी लोक–सेवक द्वारा किये गये आचरण, जिसकी शिकायत की जा रही है, को 5 वर्ष निर्धारित अवधि की सीमा से अधिक न हो।

कार्य प्रणाली –

कोई भी व्यक्ति शपथ–पत्र भर कर लोकायुक्त को शिकायत कर सकता है। लोकायुक्त स्वयं भ्रष्ट आचरण की जानकारी प्राप्त होने पर जाँच कर सकता है। लोकायुक्त साक्ष्य अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार गुप्त रूप से जाँच करके रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करता है। झूठी शिकायत करने वाले को 2 वर्ष की सजा या 5,000 रूपये का जुर्माना या दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

राज्यपाल द्वारा प्रथम लोकायुक्त के पद पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमुर्ति श्री पुरूषोत्तम विनायक दीक्षित तथा उपलोकायुक्त के पद पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री रघुनाथ जगन्नाथ भावे की नियुक्ति की थी।

मार्च 1998 में विधानसभा में पारित संशोधन विधेयक के द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा कुलसचिव को भी इसकी परिधि में सम्मिलित कर लिया गया है। श्री दीक्षित के बाद गुरूप्रसन्न सिंह को लोकायुक्त बनाया गया। इनके समक्ष दिग्विजय सरकार के 22 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के विरूध्द शिकायतें की गयी थीं किन्तु सरकार ने लोकायुक्त की रिर्पोट पर कोई निर्णय नही लिया। वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति फैजानुद्दीन को 30 मार्च, 1997 को नियुक्त किया गया।

पिछले कुछ वर्षो के कार्यों की समीक्षा करने पर विदित होता है कि लोकायुक्त अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है। सरकार से उसे पूर्ण

सहयोग नहीं प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त लोकायुक्त के अधिनियमों में संशोधन के बाद भी लोकायुक्त की जाँच का दायरा सीमित ही दिखलायी देता है। विधायकों को इसकी परिधि से बाहर रखना कुछ तर्क पूर्ण नहीं लगता। इस संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि संसदीय उत्तरदायित्व एवं विधायिका की मर्यादा के प्रश्न अहम् हैं और विधायकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध अलोकतांत्रिक होगा। किन्तु व्यवस्थापिका के समष्टि रूप से विधायकों के लोकतांत्रिक मुल्य पृथक हैं एवं उनके व्यक्तिगत मुल्य पृथक है। विधायकों को व्यक्तिगत कार्यो के दायित्वों को व्यवस्थापिका की मर्यादा के साथ नही जोड़ा जा सकता। मध्यप्रदेश के संदर्भ में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन के रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति विधायकों में बढ़ी है। यह भी एक खुला भेद है कि प्रशासनिक अधिकारी बहुत–से कार्य 'स्थानीय राजनीतिक दबावों' में आकर करते है, (या उन्हें करने पड़ते हैं) ऐसी स्थिति में के प्रशासनिक अधिकारी अधिकारी ही लोकायुक्त की जाँच विषय हो, यह प्राकृतिक न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। विशेषकर विधायकों द्वारा अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 1 करोड़ रूपये के कार्य करवाने के अधिकार की स्थिति में तो यह कदापि उचित नहीं है। यह सही है कि प्रत्येक विधायक की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी पर अँगुली नही उठायी जानी चाहिए किन्तु समूचे तालाब को गंदा करने वाली कुछ मछलियों से बचाव के लिए यह जरूरी है कि विधायकों के व्यक्तिगत स्तर पर किये गये सार्वजनिक कार्यो की जाँच लोकायुक्त के विचाराधिकार का विषय बने।

विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उच्च न्यायलय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहने वाले न्यायिक सेवा के सदस्य तथा प्रदेश सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष भी लोकायुक्त विचाराधिकार से बाहर रखे गये हैं। इनमें प्रथम दो पद जनप्रतिनिधि संख्या की मर्यादा के प्रतीक हैं और न्यायिक सेवा के सदस्य न्यायपालिका की "स्वतंत्रता के सिध्दांत" के अनुकूल होने का कारण निश्चय ही इस संस्था की परिधि से परे हैं किंतु लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को (जिनकी एक बड़ी संख्या उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की होती हैं एवं जन

प्रतिनिधी सदस्य, सरकार से राजनीतिक सेवाओं के बदले पुरस्कृत होते है।) लोकायुक्त की जाँच की परिधि से परे रखना सिध्दांततः कितना ही तर्कसंगत क्यों न हो वर्तमान संदर्भो में संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। किन्तु वे व्यवसायिक नियंत्रण से मुक्त नहीं है और चूँकि लोकायुक्त सिध्दान्ततः एक संसदीय अधिकारी है। अतः आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के व्यक्तिगत हैसियत से किये गये कार्य की निष्ठा विधानसभा और उसके बाहर सार्वजनिक चर्चा का विषय रही है और आज भी यह संस्था जनसंदेहों से पूर्णतः मुक्त नही है। अतः विधेयक में आयोग के कृत्यों को लोकायुक्त की जाँच का विषय बनाया जा सकता है।

विधेयक में लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस हेतु राज्यपाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता से परामर्श करेगा और ऐसा नेता न होने पर अध्यक्ष द्वारा निर्देशित पध्दति से विपक्ष के सदस्य इस उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति का चयन करेगें। लोकायुक्त एवं संसदीय अधिकारी होता है। ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ दल के साथ ही विपक्ष के नेता से अनिवार्यतः परामर्श का प्रावधान विधानमण्डल की 'सर्वसम्मति' का ही प्रशंसनीय प्रयत्न है। चूँकि यदि राज्यपाल द्वारा की गयी नियुक्ति विधानसभा की पुष्टि का विषय होती तो ऐसी स्थिति में प्रचण्ड बहुमत प्राप्त किसी सत्तापक्ष द्वारा प्रतिपक्ष की उपेक्षा की जा सकती थी। ऐसी स्थिति इस पद की अस्मिता के लिए घातक होती है। अतः प्रतिपक्ष के नेता से अनिवार्यतः परामर्श का प्रावधान लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा करता है।

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं लोक–सेवकों के आचरण को नियंत्रित करने वाली अन्य ऐजेन्सियों के कार्यरत रहते हुए लोकायुक्त का विशिष्ट महत्व क्या है? वस्तुतः ऐसी दो प्रमुख एजेन्सी है। एक तो न्यायालय और दूसरे केन्द्रीय तथा राज्य सतर्कता आयोग। न्यायालय का कार्य कानून चारदीवारी तक सीमित है और उसमें अनेक तकनीकी और प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ होती है, जो ऐसे प्रकरणों के लिए जिनमें त्वरित निर्णय अनिवार्य होता

है, अनुपयोगी सिध्द होते है। दूसरी ओर ऐसे भी अवसर उत्पन्न होते है, जहाँ अन्याय हुआ लगता है लेकिन कानून की खामोशी न्यायालय की विवशता बन जाती है। केन्द्रीय और राज्य सतर्कता आयोग प्रशासनिक अदक्षता एवं भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक तो रहे हैं किन्तु राजनीतिक दबावों और नौकरशाही के दोषों से वे भी मुक्त नही है। दूसरे, वे स्वयं पहल नहीं कर सकते। नागरिक जागरूकता का अभाव भी उनके कार्य सम्पादन में बाधक है और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वे केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित है। एक अन्य व्यवस्था भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वह है – ''जाँच आयोग'' का गठन। चूँकि आयोग के गठन की प्रवृति समस्या के समाधान से अधिक समस्या से मुँह चुराने की रही है। आयोगों के परामर्श बंधनकारी नहीं होते। अतः सत्तापक्ष के लिए अवांछनीय प्रतिवेदन सरकारी कूड़ेदान की शोभा बन जाते है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अब आयोग जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इन त्रुटियों से भिन्न इस लोकायुक्त विधेयक में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि प्रतिवेदन पर अक्षम अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवायी से लोकायुक्त संतुष्ट नही है और विचार करता है कि प्रकरण में आवश्यक है तो वह राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन दे सकता है। इन सब बातों का यह अर्थ नहीं है कि लोकायुक्त का पद कोई जादूई–छड़ी सिध्द होगा जिसके घुमाते ही प्रशासन और राजनीति पवित्र हो जावेगी। इस संदर्भ में ब्रिटिश संसद के एक वरिष्ठ सदस्य लॉर्ड शा क्रास के शब्द इस पद की उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं – जहाँ विशाल नौकरशाही विद्यमान रहती है वहाँ अनिवार्यतः ऐसे और काफी अवसर पैदा होते हैं जहाँ गलतियों और लापरवाही की वजह से अन्याय हुआ लगता है। ऐसी स्थिति का दमदार व्यक्ति सामना कर लेते हैं लेकिन अक्सर छोटे लोग और सामान्य बेचारे नागरिक स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं। ओम्बुड्समैन (लोकायुक्त) ऐसे बेचारे नागरिकों की मदद करेगा और उन्हें न्याय दिलाने में सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त वह हमारे प्रशासनिक अस्तबलों की सफाई करेगा और निरतंर मानव सम्मान तथा उसकी स्वाधीनता की रक्षा एवं संस्थापना करता रहेगा।

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति स्वागत योग्य है। प्रदेश के विकास के लिए यह शुभ संकेत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन पदों पर नियुक्त विधि पण्डितों के सुदीर्घ अनुभव एवं कुशलदक्षता का लाभ प्रदेश को मिलेगा एवं प्रशासनिक दक्षता को गति मिलेगी। किंतु वर्तमान भ्रष्टाचारी परिस्थितियों में अधिक अपेक्षाएँ या किसी चमत्कार की बात बेमानी है मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री पी.वी. दीक्षित के शब्दों में, ''भ्रष्टाचार और दल–बदल के कारण पिछले बारह–पन्द्रह सालों से देश एक गंभीर राजनीतिक संकट की गिरफ्त में है। न्याय व्यवस्था तक भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। जब तक समाज में भ्रष्टाचार मे विरूध्द संवेदनाएँ नहीं जागतीं, तब तक लोकायुक्त या इसी तरह की अन्य जाँच एजेन्सियाँ घने अँधेरें में दीपक की तरह सीमित और सांकेतिक प्रकाश ही बिखेर सकती है।''

इसी संदर्भ में अप्रैल 1998 में पदमुक्त हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री शफी मुहम्मद कुरैशी के विचार महत्वपूर्ण हैं। श्री कुरैशी के मत में लोकायुक्त संगठन को शक्तिसंपन्न बनाने के लिए संबंधित अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए। निवृतमान लोकायुक्त श्री गुरूप्रसन्न सिंह की शिकायत तथा आयुक्त द्वारा मंत्रियों के विरूध्द भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा चलाये जाने की अनुमति देने हेतु सक्षम प्रधिकारी मुख्यमंत्री है, राज्यपाल तो केवल मुख्यमंत्री अथवा विपक्ष के नेता पर मुकदमा चलाये जाने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। श्री कुरैशी ने कहा कि कर्नाटक में लोकायुक्त को ही यह अधिकार है कि वह स्वयं मंत्रियों अथवा अधिकारियों के विरूध्द मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। मध्यप्रदेश में भी ऐसे संशोधन होने चाहिए।

लोक आयुक्त को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए भोपाल में लोक आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गयी है। कार्यालय का संगठन निम्न प्रकार है –

1. लोकायुक्त
2. उप लोकायुक्त
3. सचिव
4. विशेष महानिदेशक
5. पुलिस महानिरीक्षक
6. कार्यालयीन स्टॉफ

मध्य प्रदेश में राज्य उपक्रम समिति –

मध्यप्रदेश में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग हैं। निजी उद्योग, निजी उद्योगपतियों द्वारा प्रायः लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किये जाते है। यह आवश्यक है कि राज्य के विकास के लिए आधारभूत उद्योगों की स्थापना आवश्यक है। ऐसे उद्योग जनहित तथा प्रदेश के विकास के लिए लगाये जाते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं। इस प्रकार के उद्योग सरकार द्वारा लगाये जाते है जिनके प्रबंध पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है। ऐसे अनेक निगम एवं सरकारी कम्पनियाँ कार्यरत रहती है 'राज्य उपक्रम' कहलाते है।

राज्य उपक्रम में चूँकि राज्य सरकार की पूँजी लगी होती है इसलिए विधानसभा का नियंत्रण रखने के लिए 1972 में एक 'उपक्रम समिति' का गठन किया गया। इस समिति में 15 सदस्य विधानसभा में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाते है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

कार्य – राज्य उपक्रम समिति सरकारी धन के दुरूपयोग को रोकने में अहम् भूमिका निभाती है। समिति उपक्रमों की जाँच पर अपना प्रतिवेदन विधानसभा को सौंपती है। इस जाँच के डर के कारण उपक्रमों के संचालनकर्ता कुशलतापूर्वक कार्य करने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में समिति के कार्य निम्नलिखित हैः

1. सरकारी उपक्रमों के लेखों और प्रतिवेदनों का परीक्षण।
2. सरकारी उपक्रमों के विषय में लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों का परीक्षण।
3. समिति सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में इस बात का परीक्षण करती है कि क्या सरकारी उपक्रमों को प्रबंध व्यापार ठोस सिध्दांत तथा वाणिज्य संबंधी दूरदर्शितापूर्ण प्रथाओं के अनुसार किया जा रहा है।
4. समिति ऐसे विषयों या प्रकरणों की जाँच
5. दौरा करके परीक्षण कर सकती है, तथा
6. ऐसे अन्य कार्य जो लोक–सेवा समिति तथा प्राक्कलन समिति को सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में करने होते है।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरण –

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत् इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि भारत सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित किसी बैंकिग, उद्योग तथा बीमा कंपनी से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उसके निपटारे के लिए औद्योगिक विवादों के न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी औद्योगिक विवादों के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। यह न्यायाधिकरण उद्योगों के मालिकों और मजदूरों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करता है। न्यायाधिकरण में एक से अधिक सदस्य होते है तथा उनका एक अध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष को विधि का समुचित ज्ञान होना चाहिए उसकी योग्यताएँ उच्च–न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होनी चाहिए।

अन्य राज्यों की भाँति मध्यप्रदेश में भी औद्योगिक न्यायाधिरण की स्थापना की गयी है। यह श्रमिकों तथा नियोक्ता के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करते है। ऐसे न्यायाधिकरण इन्दौर, जबलपुर और ग्वालियर में कार्यरत है। औद्योगिक

न्यायाधिकरण में केवल औद्योगिकरण में केवल औद्योगिक विवादों की ही सुनवाई होती है। जिसमें नियोंक्ता और श्रमिक के पक्ष भी होते है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत विवाद उत्पन्न होने वाले मतभेदों का उल्लेख किया गया है :

(अ) स्वामी तथा सेवक के बीच,

(ब) स्वामी तथा मजदूरों के बीच,

(स) मजदूरों व मजदेरों के बीच ऐसा विवाद जो कि रोजगार या बेरोजगार से संबंधित या श्रम–शर्तों से संबंधित हो।

इस संबंध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 (अ) निम्न उपबन्ध का उल्लेख करती है :

(1) समुचित प्राधिकारी, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में निर्धारित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवाद के नपटारे के लिए न्यायाधिकरण का गठन कर सकता है तथा उसकी सूचना राजकीय गजट में प्रकाशित कर सकता है।

(2) समुचित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण का केवल एक सदस्य होगा।

(3) कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद की नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जबकि (अ) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, (ब) वह किसी श्रम अपील न्यायाधिकरण का कम से कम 2 वर्ष सदस्य रह चुका हो या अध्यक्ष पद धारण किया हो।

(4) यदि सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति को न्यायाधिकरण की सहायता के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त कर सकती है।

औद्योगिक न्यायाधिकरण न्याय के सामान्य सिध्दांतों का पालन करते है। वह सामान्य न्यायाधीश की तरह पूर्णतया कानून से बँधा नहीं होता है। वह सरकारी नीति को लागू करने की दृष्टि से न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करते है। न्याय के संबंध में न्यायाधिकरण सामान्य सिध्दांतो का पालन करते हैं और न्यायाधीश के समान पूर्णतः कानून से बँधे नहीं होते है। वह सरकारी नीति को लागू करने की दृष्टि से अपना निर्णय करते है। उन्हें दीवानी अदालत का अधिकार प्राप्त होता है और इस रूप में विवाद से संबंधित किसी पक्ष को बुला सकते है, सबूत आंमत्रित कर सकते है। औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णय अर्ध्दन्यायिक होते है।

संविधान के अनुच्छेद 227 के द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। यह निरीक्षण न्यायिक और प्रशासकीय दोनों प्रकार का हो सकता है। इनके द्वारा मजदूरी, कार्य के घण्टे, बोनस, छँटनी तथा संस्थाओं को बंद करने संबंधी मामलों में भी निर्णय दे सकते है।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक नीति, 1994 के लागू होने से अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्मित हुआ है। मार्च 1999 तक मध्यप्रदेश में 926 वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो चुकी है। इन इकाइयों में 15 हजार 800 करोड़ रू. की पूँजी का निवेश हुआ है। लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना में वृध्दि हुई है, और 1700 करोड़ रू. का पूँजी निवेश हुआ है। प्रदेश की लघु, मध्यम एवं वृहद् औद्योगिक इकाइयों में लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।

मध्यप्रदेश में निम्नलिखित उद्योग निगम कार्यरत है :

1. मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम (1969), मुख्यालय भोपाल
2. मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (1965), मुख्यालय भोपाल
3. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (1969), मुख्यालय भोपाल
4. मध्यप्रदेश वित्त निगम, मुख्यालय इन्दौर
5. मध्यप्रदेश हस्तशिल्प मण्डल (1972), मुख्यालय भोपाल

6. मध्यप्रदेश वस्त्रोद्योग निगम, मुख्यालय इन्दौर
7. मध्यप्रदेश निर्यात निगम (1971), मुख्यालय भोपाल
8. मध्यप्रदेश हथकरघा विकास निगम (1976), मुख्यालय भोपाल
9. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मुख्यालय भोपाल
10. जिला उद्योग केन्द्र, समस्त जिलों में मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज निगम, मुख्यालय भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य योजना मण्डल –

प्रशासन और विकास के संतुलित और जल्दी सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य की सरकारों में घनिष्ट सहयोग आवश्यक है। व्यवस्थित रूप से नियोजित विकास के कार्य को लेना और उसे लागू करना केन्द्र और राज्यों का उत्तरदायित्व है। नियोजित कार्य के लिए योजना आवश्यक है। केन्द्र के विपरीत राज्यों में योजना विभाग हैं न कि योजना आयोग। योजना विभाग का प्रमुख या तो मुख्यमंत्री अथवा वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होता है। समस्त राज्य के लिए योजना विकास की तैयारी के लिए योजना विभाग केन्द्र के योजना आयोग, विभिन्न मंत्रियों और राज्य सरकार के विभागों से सम्पर्क बनाये रखता है। चूँकि योजना विभाग राज्य के वार्षिक और पंचवर्षीय बनाने और मूल्यांकन करने की केन्द्रीय इकाई है, इसलिए उसे अधिक प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया गया है। 1972 में योजना आयोग ने राज्यों के योजना विभाग को अधिक सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित यूनिटों की स्थापना की अनुशंसा की थी, विशेषकर जिन राज्यों में विद्यमान नहीं थीः

1. परिप्रेक्ष्य योजना इकाई;
2. परिवीक्षण, योजना निर्माण एवं मूल्यांकन इकाई;
3. परियोजना मूलयांकन इकाई;
4. क्षेत्रीय जिला योजना इकाई;
5. योजना समन्वय इकाई;
6. जनशक्ति और रोजगार इकाई।

चूँकि राज्य योजना विभागों को इस कार्य हेतु केन्द्रीय आर्थिक सहायता उपलब्ध थी, अतः अधिकांश राज्यों ने राज्यों में योजना मण्डल का उपयोग करके अपनी मशीनरी को सशक्त बनाया।

प्रशासनिक सुधार आयोग (1967) की रिपोर्ट के काफी पूर्व विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सुधार समितियों ने राज्यों में योजना मण्डल अथवा आयोग की स्थापना की अनुशंसाएँ की थी। राजस्थान के समान, अन्य राज्यों ने भी राज्य स्तर पर योजनातंत्र को सशक्त बनाने हेतु उचित योजना संस्थाओं की स्थापना की दिशा में पहल की। बाद में योजना आयोग ने राज्यों में राज्य योजना बोर्ड की स्थापला का सुझाव दिया। फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में योजना मण्डल स्थापित किये।

मध्यप्रदेश की सरकार ने 24 अक्टूबर, 1972 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य योजना मण्डल का गठन किया।

संगठन – राज्य योजना मण्डल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। उपाध्यक्ष मंत्री तथा राज्य शासन के योजना सचिव, इसका पदेन सचिव होता है। साथ में मण्डल में 6 सदस्य, 15 सलाहकारों, 12 उपसलाहकार तथा अर्थशास्त्रियों का प्रावधान है। राज्य का योजना विभाग द्वारा उसके सचिवालय के रूप में कार्य किया जाता है। यह पूर्णतः परामर्शदात्री संस्था है।

मध्यप्रदेश योजना मण्डल द्वारा नियमित रूप से उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्ष की जाती है जिनका पूँजीगत प्रावधान 50 लाख रूपये या उससे अधिक तथा आयगत प्रावधान 10 लाख रूपये या उससे अधिक होता है। योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीयकरण करने के उद्देश्य से 1988–89 में राज्य योजना मण्डल ने जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर योजना बनाने के कार्य की शुरूआत की है। इसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के सांसद द्वारा की जाती है। जिला योजना मण्डल द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो जिला योजना और मानवीय संसाधनों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करते है। उनके सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए

प्राथमिकताएँ तय करते हैं और जिला विकास के कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यों के लिए वार्षिक और पंचवर्षीय योजना बनाते है।

मध्यप्रदेश राज्य योजना मण्डल का पुनर्गठन 1994 में किया गया है। इस पुनर्गठन के द्वारा योजना मण्डल में विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी गयी है

कार्य – योजना मण्डल निम्नलिखित कार्यों को करता है :

1. राज्य के स्त्रोतों का निर्धारण करना और प्रभावी तरीके से योजनाओं का निर्माण करना जिससे संतुलित तरीके से स्त्रोतो का उपयोग किया जा सके।
2. राष्ट्रीय ढाँचे के अंतर्गत राज्य की प्राथमिकता के अनुकूल योजना का निर्माण करना।
3. जिला सत्ताओं को विकास योजनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करना और इन योजनाओं का राज्य की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
4. राज्य की वार्षिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों का पता लगाना, सफल क्रियान्वयन की शर्तों को निश्चित करना।
5. योजना के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और नीतियों एवं कदमों में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
6. राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नीति में अपेक्षित संशोधन करना।

मध्यप्रदेश में वित्त आयोग –

73वें और 74वें संशोधनों के अनुच्छेद 243–आई एवं 243–वाय में राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य वित्त आयोग का गठन 17 जून, 1994 को किया गया है।

डॉ. सवाई सिंह जी सिसौदिया को प्रथम वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वित्त आयोग निम्नलिखित कार्यो को करता है :

1. राज्य शासन तथा नगरीय/ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के बीच बँटने योग्य करों के शुध्द आगम के वितरण के विषय में और स्थानीय संस्थाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी हिस्से के आंवटन के बारे में सिफारिश करना।
2. ऐसे शुल्क के निर्धारण के विषय में जो स्थानीय संस्थाओं द्वारा विनियोजित किया या सौंपा जाये, उसके संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना।
3. राज्य की संचित निधि से स्थानीय संस्थाओं को दिये जाने वाली अनुदान राशि के संबंध में सिफारिश करना।
4. स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु उपाय बताना।
5. राज्यपाल द्वारा दिये गये कार्यो को करना।

आयोग का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है और जो केवल परामर्श करता है। अपनी स्थापना के बाद आयोग ने नगरीय एवं ग्रामीण संस्थाओं के प्रमुख आय स्त्रोत, वित्तीय स्वायत्तता, अनुदान संरचना, बुनियादी सेवाओं, जवाबदेही आदि क्षेत्रों में सुधार हेतु सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है। वित्त आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रयास किये जा रहे है।

मध्यप्रदेश राज्य विकास परिषद –

राष्ट्रीय विकास परिषद की भाँति मध्यप्रदेश में राज्य विकास परिषद का गठन किया है। राज्य विकास परिषद में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), प्रतिपक्ष नेता, विभिन्न विभागों के मंत्रीगण, जिला परिषदों के अध्यक्ष, नगरीय निकायों के अध्यक्षों एवं राज्य योजना मण्डल के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते है। साथ में मुख्य सचिव और कुछ विभागों के प्रमुख सचिवों को भी सम्मिलित किया जाता है।

राज्य विकास परिषद, प्रदेश के विकास पर प्रभाव डालने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दो पर विचार कर राज्य शासन को अपनी अनुशंसाएँ करती है। परिषद राज्य योजना मण्डल द्वारा तैयार किये गये राज्य आयोजन पर तथा विकेन्द्रीकृत योजना तंत्र विकसित करने पर भी विचार

करती है। परिषद राज्य आयोजन कार्य की समय–समय पर समीक्षा करेगी और ऐसे उपाय सुझायेगी जो राज्य आयोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों। इसमें जतना की भागीदारी एवं सहयोग के वे उपाय भी शामिल हैं जिसने राज्य के विभिन्न भागों तथा समाज के विभिन्न भागों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के समीकरण विकास को सुनिश्चित किया जा सके और राज्य के विकास के लिए संसाधन जुटायें जा सकें। विकास परिषद पंचायतों और नगरीय निकायों की भूमिका, दायित्व तथा कर्तव्यों की समीक्षा करेगी ताकि स्वशासी संस्थाओं के रूप में इन निकायों का पूर्ण रूप विकास हो सके।

मुख्यमंत्री राज्य विकास परिषद के अध्यक्ष होते है। कृषि, राज्य, वन, वित्त, लोक स्वास्थ यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, जनशक्ति नियोजन और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री परिषद के सदस्य होते है। परिषद के अन्य सदस्यों में नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल, आधे से अधिक जिला पंचायतों के अध्यक्ष, दल नगरीय निकायों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव तथा वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्थानीय शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शामिल किये गये है। राज्य विकास परिषद के प्रथम कार्यकाल में 23 जिलों कें पंचायत अध्यक्षों तथा शेष जिला अध्यक्षों को वित्तीय कार्यकाल में शामिल किया गया है। नगरीय निकायों के दस सदस्यों में – दो नगर निगमों, तीन परिषदों तथा पाँच नगर पंचायतों के अध्यक्ष रहेंगे। जिला परिषद तथा नगरीय निकायों के अध्यक्षकों का राज्य विकास परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल दो वर्ष रहेगा। प्रमुख सचिव, योजना विकास परिषद के सदस्य सचिव बनाये गये है।

राज्य विकास परिषद की वर्ष में दो बार जून और दिसम्बर में बैठकें होती है। ऐसे मंत्रीगण और राज्य मंत्रीगण जो विकास परिषद के सदस्य नहीं है तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, उन्हें परिषद की विचार–विमर्श बैठको में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विकास परिषद समय–समय पर उपर्युक्त संख्या में

समितियों अथवा पैनल की नियुक्ति करती है। राज्य विकास परिषद के गठन से नियोजित आर्थिक विकास और विकास के सभी क्षेत्रों में वृध्दि के साथ–साथ राज्य शासन तथा पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। इसके अतिरिक्त परिषद के गठन से संसाधन जुटाने के प्रयासों को बल मिल सकेगा जो विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली के लिए आवश्यक है।

मध्यप्रदेश में अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त –

कल्याणकारी राज्य होने के कारण राज्य प्रशासन को अनेक विकास संबंधी कार्य करने पड़ रहे है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अतः गाँवों का विकास करना आवश्यक है। इसके लिए जिलों को विकास खण्डों (जनपदों, ब्लॉक) में बाँटा गया है। प्रारंभ में इन विकास खण्डों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी कहलाता था। यह राज्य प्रशासकि सेवा से चुना जाता था। मध्यप्रदेश सरकार में पंचायती राज की स्थापना के फलस्वरूप पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने के लिए इस पद को समाप्त करने का प्रयास 1994–95 में किया था। फलस्वरूप ब्लॉक को जनपद पंचायत नाम दिया गया। तथा उसका प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद पंचायत हो गया। अब जिले में विकास आयुक्त का पद बना दिया गया है। वर्तमान में लोक सेवा आयोग अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त की भर्ती करता है। इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं :

1. प्रमुख कार्य अपने विकास खण्ड में कार्य प्रसार अधिकारियों की सहायता से पंचायत समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन करना।
2. यह विभिन्न एकीकृत योजनाएँ तैयार करता है। इन योजनाओं को बनाने के पश्चात् उनका क्रियान्वयन करता है तथा योजनाओं का हिसाब–किताब तथा लेखा तैयार करता है।
3. वह उच्च अधिकारियों से प्राप्त आदेशों का क्रियान्वयन करता है तथा इस हेतु वह समय–समय पर अपने अधीनस्थ स्टाफ की बैठकें आयोजित करता है।

4. वह खण्ड के विकास से संबंधित प्रशासनिक स्टाफ की कार्यकुशलता में वृध्दि करने के लिए विभिन्न कदम उठाता है।
5. अपने विकास खण्ड (ब्लॉक) का दौरा करता है तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है और आवश्यक धन व्यय करता है।
6. वह जन–शिकायतें सुनता है तथा उनके निराकरण की उचित योजना बनाता है।
7. अपने खण्ड के समस्त कार्यों, प्रगति आदि से समय–समय पर अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराता है।
8. खण्ड विकास अधिकारी ग्रामीण जनता के लिए सरकार के रूप में भूमिका निभाता है। वह ग्रामीणों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है।
9. उच्चाधिकारियों के निर्देशों को एकत्र कर उनके अनुसार कार्य कराता है।

ग्राम स्वराज की स्थापना –

मध्यप्रदेश में 26 जनवरी, 2001 से भागीदारी को अधिक सशक्त बनाने के लिये 'ग्राम स्वराज' की स्थापना की गयी है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीति से लोकनीति की ओर बढ़ने के लिये व्यावहारिक कदम उठाना है। महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने के लिये मध्यप्रदेश में पिछले वर्षों से अनेक प्रयास हो रहे है। इसके माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ग्राम स्वराज के द्वारा गाँवों में रहने वाले लोगों को सत्ता में सीधे भागीदार बनाना है।

प्राचीन भारत में गाँव आत्मनिर्भर थे। सामुदायिक भावना, सहयोग, भाईचारा उनके जीवन के आवश्यक हिस्से थे। इसी भावना से प्रेरित होकर सरकार गाँवों को यह स्वरूप एक बार पुनः मजबूत करके लोकतंत्र की स्थापना करके ग्रामीण जनता की भागीदारी की स्थापना को सुनिश्चित करना चाहती है।

सरकार यह चाहती है कि लोकतंत्र पंचायतों तक ही सीमित न रह जाये बल्कि वास्तविक शक्ति ग्रामसभा के माध्यम से गाँव वालों के हाथ में हो और वे अपने आपको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में मजबूत बनाकर अपना विकास स्वयं कर सकें। ग्राम स्वराज सरकार पर गाँवों की निर्भरता को कम करेगा। इसकी स्थापना से पंचायतों की भूमिका में कोई कठिनाई नहीं आयेगी बल्कि हमारी पंचायतें गाँव के लोगों के बीच अधिक विश्वास के साथ कर सकेंगी और उनके काम में खुलापन आयेगा।

ग्रामसभा –

ग्राम स्वराज व्यवस्था में प्रत्येक गाँव की एक ग्रामसभा होगी जिसकी प्रत्येक माह में एक बैठक होती है। बैठक की तिथी और समय गाँव के लोग अपनी सुविधा से निश्चित करते है। इसका अध्यक्ष ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। ग्रामसभा में एक तिहाई महिलाएँ और आनुपातिक रूप से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों की उपस्थिति ग्राम सभा की बैठक में आवश्यक है। निर्णय नहीं लिये जा सकते है। बैठक में फैसले सहमति से या आम राय से लिये जाते है। किन्तु यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो गुप्त मतदान से निर्णय लिये जाते है।

गाँव की विकास से संबंधित समस्त विषयों पर निर्णय करने का अधिकार ग्राम सभा को है। पंचायतें ही नहीं बल्कि स्वयंसेवी संस्थाएँ भी ग्रामसभा की सहमति से ही कार्य करती है।

ग्राम पंचायत का सचिव ही ग्रामसभा का सचिव होता है।

ग्राम सभा की समितियाँ –

ग्राम सभा अपने रोजमर्रा के कार्यों को समितियों द्वारा सम्पन्न करती है। प्रमुख समितियाँ निम्न प्रकार है :

1. ग्राम विकास समिति।

2. सार्वजनिक सम्पदा समिति।
3. कृषि समिति।
4. स्वास्थ्य समिति।
5. ग्राम रक्षा समिति।
6. अधोसंरचना समिति।
7. शिक्षा समिति।
8. सामाजिक न्याय समिति।

उपरोक्त समितियाँ स्थाई समितियाँ है। इन समितियों के अतिरिक्त ग्रामसभा अपनी सुविधाओं और आवश्यकताओं के अनुसार किसी समयबध्द कार्य के लिये अस्थायी समितियों की स्थापना कर सकती है। समितियाँ अपने कार्य के लिये ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

सभी स्थायी समितियों के सभापति ग्राम विकास समिति के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच इस समिति के सभापति और उपसरपंच, उपसभापति होते है। यह समिति समस्त गाँव के पूर्ण विकास के लिये योजना तैयार कर ग्रामसभा से स्वीकृति प्राप्त करती है।

ग्रामकोष –

प्रत्येक ग्रामसभा उका निधी स्थापित करती है जो ग्रामकोष कहलाता है। इसके चार भाग होते हैं :

1. अन्न कोष
2. श्रम कोष
3. वस्तु कोष
4. नगद कोष

ग्राम कोष में विविध तरीकों से प्राप्त होने वाली आय के अतिरिक्त दान से प्राप्त आय भी शामिल होती है। इसके साथ–साथ भू–राजस्व, उपकर, चराई फीस और शाला भवन उपकर की राशि भी इसी कोष में जमा होती है।

ग्राम कोष की देखरेख के लिये एक कोषाध्यक्ष होता है जिसे ग्राम विकास समिति मनोनीत करती है।

ग्राम सभा के कार्य –

गाँव के विकास से संबंधित समस्त कार्यों को ग्राम सभा करती है। इसके प्रमुख कार्य गाँव की सफाई, सार्वजनिक कुओं, तालाब की रक्षा, गाँव के लोगों एवं पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों, पुलों, बाँधों को बनाना तथा उनकी रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण कार्य है।

ग्राम सभा के कार्यो में वृध्दि के फलस्वरूप अब गाँव के बाजार और मेले ठेले भी उसके नियंत्रण में कार्य करते है। सार्वजनिक भूमि के प्रबंध और विकास का उत्तरदायित्व भी ग्रामसभा का हो गया है। गाँव के काँजी हाउस की स्थापना और प्रबंध भी ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा अपने गाँव में रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन, शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के क्षेत्र में अपनी अहंम भूमिका निभाती है।

वर्तमान वित्तीय व्यवस्था के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार से जो धनराशि प्राप्त होती है, उसे पंचायत ही नियमानुसार ग्रामसभा को देती हैं। सरकार से प्राप्त धनराशि के सही खर्च के लिये ग्राम पंचायत ही उत्तरदायी होती है। ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामसभा की समस्त समितियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

इस प्रकार ग्राम स्वराज के माध्यम से सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रयास है। यह ऐसा प्रयास है जिससे गाँवों के लोगो को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये प्रेरित करता है। गाँव के लोगों को जिम्मेदारी सौंप कर की दिशा में सराहनीय प्रयास है। कोई भी व्यवस्था लोगों की क्षमता के अनुरूप बनकर ही कारगर सिद्ध हो सकती है। हमारें प्रांतों में ग्राम स्वराज की स्थापना एक ऐसा साहसिक कदम है जो लोकतंत्र को अंतिम आदमी तक ले जाने के लिए एक आंदोलन है। आशा है ग्राम स्वराज अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा।

मध्यप्रदेश सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम

(i) मध्यप्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी

1. दृष्टि : सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य की विहंगम दृष्टि को निम्नानुसार संक्षेप में कहा जा सकता है। मध्यप्रदेश प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नानुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए करेगा :

अ. ई–शासन की क्षमताओं का उपयोग कर आम नागरिकों के जीवन–स्तर को सुधारेगा।

ब. इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा जिसके माध्यम से शिक्षित युवा रोजगार प्राप्त कर राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे।

स. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अति दक्ष विशेषज्ञों को पर्याप्त संख्या में तैयार करेगा जो देश के उत्कृष्टतम् के बराबर हो।

द. संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थवस्था में परिवर्तित करेगा। संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना।

2. पृष्ठभूमि : सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को देखते हुए राज्य ने वर्ष – 1999 में ही सूचना प्रौद्योगिकी नीति बना ली थी। इस नीति के साथ प्रदेश ने 21वीं सदी में प्रवेश किया। इस कार्य दल द्वारा अनुशासित नीति का केन्द्रीय पहलू राज्य शासन ने अंदर एवं बाहर से इस तरह परिवर्तित करना था कि संधिहीन समाज का निर्माण हो सकेगा जिसमें वैश्विक अवसर उपलब्ध हो। नीति की रूपरेखा निम्नानुसार है :

3. 1999 की सूचना प्रौद्योगिकी नीति की मुख्य विशेषताएँ : मध्यप्रदेश शासन ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्य दल द्वारा अनुशंसित नीति का केन्द्रीय पहलू राज्य शासन को अंदर एवं बाहर से इस तरह परिवर्तित करना था कि संधिहीन समाज का निर्माण हो सकेगा जिसमें वैश्विक अवसर उपलब्ध हो। नीति की रूपरेखा निम्नानुसार हैः

अ. राज्य सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई गतिविधियों में 4 लाख से 10 लाख की संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखेगा।

ब. उचित मूल्य पर सभी नागरिकों की सूचना तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा। सभी उच्चतर माध्यमिक शालाओं एवं महाविद्यालयों में वर्ष 2003 तक सूचना प्रौद्योगिक साक्षरता प्राप्त हो जाएगी एवं सभी शालाओं के लिए वर्ष 2008 तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

स. प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रारंभिक दौर के विकास में शासन के विभागों का कम्प्यूटरीकरण योगदान देगा।

द. राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उत्पादन का 10 प्रतिशत वर्ष 2003 तक प्राप्त कर लिया जाएगा एवं वर्ष 2008 में 42000 करोड़ रूपए के उत्पादन का लक्ष्य रखा जाएगा जिसके लिए इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की मात्रा लगभग 500 रूपए करोड़ होगी।

ई. यदि राज्य को राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन का 10 प्रतिशत का लक्ष्य रखना है तो राज्य के सकल उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान एक तिहाई हो जाएगा।

(ii) उद्योग संवर्धन नीति 2004

मध्यप्रदेश को समृध्द राज्य बनाने के लिए प्रदेश के आर्थिक विकास की दर दो अंको में लाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा को ''उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना'' को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। औद्योगिकी संवर्धन नीति 1 अप्रैल, 2004 से 5 वर्षो के लिए प्रभावशील हुई। इस नीति को और प्रभावशाली बनाने के लिए 15 नवंबर, 2007 को राज्य मंत्रिमण्डल के द्वारा यथोचित संशोधन भी किए गए।

उद्योग संवर्धन नीति के प्रमुख उद्देश्य प्रदेश प्रशासन को उद्योग मित्र बनाना, रोजगार के अवसरों को अधिकाधिक बढाना, उद्योगों में रूग्णता दूर कराना, वाणिज्यिक कर की दरों का युक्तियुक्तकरण, औद्योगीरण के प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योग संवर्धन नीति की रणनीति के प्रमुख बिन्दु है :

1. मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसीलिटेशन कार्पोरेशन की स्थापना।
2. सिंगल विंडो प्रणाली को प्रभावी, समक्ष एवं सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य नियमों में परिवर्तन तथा इंडस्ट्रियल फेसीलिटेशन एक्ट बनाना।
3. क्लस्टर चिन्हित कर अधोसंरचना विकसित करना।
4. बंद एवं बीमार औद्योगिक इकाईयों को विशेष पैकेज स्वीकृत कर पुनर्जीवित करना।

उद्योग सलाहकार परिषद का गठन : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जो प्रदेश के औद्योगिकरण के हित में सलाह एवं सुझाव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को देगा। मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग

विभाग इस परिषद के उपाध्यक्ष होंगे एवं वित्त मंत्री, उर्जा मंत्री, वाणिज्यिक कर मंत्री, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मुख्य सचिव, प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधिगण इसके सदस्य होंगे। देश के विख्यात अर्थशास्त्री, उद्योगपति एवं अन्य विशेषज्ञ, सलाहकार परिषद में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाये जायेंगे। प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग इस परिषद के सदस्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे।

(iii) मध्यप्रदेश खेल नीति

प्रदेश में प्रथम खेल नीति वर्ष 1989 में बनाई गई थी तथा 5 वर्ष पश्चात् उसका मूल्यांकन कर वर्ष 1994 में पुनः नई खेल नीति बनाई गई। इस खेल नीति में प्रदेश के खेलों के विकास विभिन्न पहलू शामिल थे, परन्तु उक्त नीति का कार्यान्वयन सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण पूरी तरह नहीं हुआ है। अतः नीति में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक था कि इस नीति पर पुनः विचार कर एक ठोस नीति बनाई जाए, जो खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठयक्रम से साथ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं की पहचान करने में अधिक सार्थक हो।

उद्देश्य : जीवन में खेलों एवं शारीरिक शिक्षा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं की प्रतिभा एवं ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग तथा नागरिकों में खेल, युवा तथा साहसिक गतिविधियों के प्रति उत्साह एवं इसके माध्यम से राष्ट्रीयता, मैत्री, सामाजिक समरसता तथा सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करना। राष्ट्रीयता और अंतराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। खेलों में प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर उठाना। प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा को राज्य एवं देश के विकास के लिए प्रोत्साहित कर उसका उपयोग करना।

खेल नीति का उद्देश्य एक ओर खेलों के प्रति व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है वहीं मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर खेल नक्शे पर उचित स्थान उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से रणनीति ऐसी तैयार होनी चाहिए कि

प्रभावशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता का उच्चतम दोहन कर सकें, जिससे कि वे अधिक से अधिक संभावित उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।

नीति निर्धारक बिन्दु :

(1) अधोसंरचना का विकास।

(2) खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रशिक्षण।

(3) राज्य स्तरीय खेल संघ एवं संस्थाओं से समन्वय।

(4) चिन्हित खेलों को बढावा।

(5) शिक्षा एवं खेलों में सामन्जस्य।

(6) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार।

(7) प्रशिक्षक, निर्णायम एवं तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं विकास।

(8) खेलों के लिए संसाधनों का सृजन

(9) जलक्रीड़ा एवं साहसिक खेलों का विकास।

(iv) योग नीति

राज्य सरकार द्वारा 25 जनवरी, 2007 को राज्य की योग नीति जारी की गई। इसका उद्देश्य योग शिक्षा को बढ़ावा देना है। योग मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा बौध्दिक विकास की उस पध्दति का नाम है, जो सदियों के अनुसंधान के बाद विकसित हुई। यह सर्वविदित है कि योग का अनुकूल प्रभाव मनुष्य के शरीर तथा मन पर पड़ता है, जो उसके मानसिक तथा शारीरिक दोषों को दूर करने में सहायक होता है। योग का लाभ जनसामान्य तक पहुंचे इसके लिए उसके व्यापक प्रचार–प्रसार, शिक्षण तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश शासन योग के संबंध में जनसामान्य में जागृति तथा सक्रियता बढ़ाने के लिए कटिबध्द है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :

1. प्रदेश में योग परिषद का गठन किया जायेगा।
2. योग को शिक्षण संस्थाओं के शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्र में सम्मिलित किया जायेगा।
3. योग के प्रभावी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का चयन एवं उनके प्रशिक्षण की समयबध्द व्यवस्था की जायेगी।
4. योग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदेश में नियमित रूप से वृहद आयोजन किये जायेंगे।
5. योग प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्य में लगी ख्याति उपलब्ध संस्थाओं को प्रदेश में योग केन्द्र स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ दी जाएंगी। इन संस्थाओं का शासन के प्रचार–प्रसार के प्रयासों में योगदान लिया जावेगा।
6. राज्य स्तर पर योग को लोकप्रियता बनाने तथा उसके व्यापक प्रचार–प्रसार में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए राज्यस्तर पर एक लाख रूपए के पुरस्कार की स्थापना की जायेगी।

(v) जनसंपर्क नीति

शासन ने पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे विस्तार और परिवर्तनो को देखते हुए जनसंपर्क नीति 2007 के तहत विभिन्न संचार माध्यमों के पत्रकारों को अधिमान्यता देने के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए है। संशोधित नियमों के अनुसार अधिमान्यता जिला मुख्यालय, प्रकाशन स्थल और एक लाख से अधिक आबादी के नगरों में पदस्थ पत्रकारों को दी जा सकेगी।

नियमों के संशोधन से अब प्रदेश में तहसील स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को भी अधिमान्यता दी जाना संभव होगा। अधिमान्यता की अन्य शर्त पूरी करने वाले, तहसील मुख्यालयों पर कार्यरत पत्रकारों को जिला स्तरीय अधिमान्यता दी जा सकेगी। इसके लिए यह जरूरी होगा कि तहसील में उनके समाचार–पत्र की न्यूनतम प्रसार संख्या 500 हो और वे कम से कम पांच वर्षो से पत्रकारिता कर रहे

हो तथा उनके पास समाचार–पत्र के सम्पादक का नियुक्ति पत्र भी हो। क्षेत्रीय अधिमान्यता समिति संतुष्ट होने पर ही तहसील मुख्यालयों पर कार्यरत पत्रकारों को जिलाा स्तरीय अधिमान्यता दे सकेगी। पाँच हजार या उससे अधिक प्रसार संख्या वाले दैनिक समाचार–पत्रों के संपादक अथवा पत्रकार को प्रकाशन स्थल पर एक जिला स्तरीय अधिमान्यता दी जाएगी।

अधिमान्यता की पात्रता के तहत समाचार–पत्र का आकार, प्रसार संख्या के विभिन्न मापदण्डों के तहत जिला और तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिए पात्र–पत्रकारों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। न्यूनतम स्टेण्डर्ड 8 पृष्ठ और 4 कॉलम तथा 3200 स्टेण्डर्ड कॉलम से.मी. आकार के 10 से 25 हजार तक की प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र के जिला और तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिए पात्र श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या संभाग प्रसार के जिलों में एक–एक से बढ़ाकर दो–दो की गई है। इसी प्रकार 8 कॉलम पृष्ठ 1800 कॉलम से.मी. से अधिक आकार वाले 10 हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार–पत्र के जिला और तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिए पात्र श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या दो से बढ़ाकर प्रसार के जिलों में एक के मान से चार की गई है। न्यूनतम स्टेण्डर्ड 12 पृष्ठ, 8 कॉलम 4800 स्टेंडर्ड कॉलम सें.मी. आकार के 50 हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार–पत्रों के प्रसार के प्रत्येक जिलें में दो–दो कुल 15 पत्रकारों को जिला एवं तहसील स्तरीय अधिमान्यता दी जाएगी।

(vi) आवास एवं पर्यावास नीति

आवास एवं पर्यावास नीति–207 में प्रमुख तौर पर सामाजिक आवास की आपूर्ति की आवर्ध्दन एवं निरन्तरता बनाए रखने के लिए निजी और कार्पोरेट सेक्टर की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। बड़े शहरों में आबादी के दबाव को कम करने के लिए शहरों के 30 कि. मी. की परिधि में कम ऊँचाई और कम घनत्व की बसतियों का विकास करने के लिए शासकीय भूमि निर्माण एजेंसियों को रियासती दर पर सुलभ कराने का प्रावधान किया गया है। किराए पर देने के लिए मकान के

निर्माण को प्रोत्साहन करने, आश्रय शुल्क के विकल्प को या तो पूर्णतः समाप्त करने या फिर उसे कठोर बनाते हुए सामाजिक आवास की आपूर्ति में वृध्दि करने की पहल भी की गई है। साथ ही बाह्य विकास राशि में युक्तियुक्त वृध्दि करते हुए एवं शहरी अधोसंरचना कोष का निर्माण करते हुए तंग बस्तियों के सुधार के लिए प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 603.48 लाख है, जिसमें से 26.27 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवासरत है। पिछले दशक में नगरीय जनसंख्या में 31.19 प्रतिशत वृध्दि हुई है, जो संपूर्ण भारत में नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वृध्दि 31.13 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 14 लाख आवासों की कमी पाई गई, जिसमें लगभग 8 लाख आवासों की कमी केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही है। बीपीएल सर्वे तथा अन्य प्राथमिक सर्वे के आधार पर वर्ष 2007 में आवासों की कमी लगभग 17 लाख का आकलन है, जिसमें 10 लाख आवासों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में है।

नई आवास एवं पर्यावास नीति के तहत कृषि परिक्षेत्र मे भूमि उपयोग परिवर्तन की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए टाउनशीप निर्माण की अनुमति देने तथा कॉलोनियों के निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि का निर्धारण करते हुए अवैध एवं अव्यवस्थित कॉलोनी निर्माण की मनोवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा निम्न स्तरीय विकास एवं निर्माण की पनपती हुई गतिविधयों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए रियल एस्टेअ डेवलमेंट एक्ट बनाए जाने की प्रतिबध्दता को दोहराया गया है।

(vi) गैर वन पड़त भूमि के विकास एवं उपयोग के संबंध में राज्य की नीति

प्रस्तावना :

मध्यप्रदेश में बड़े क्षेत्रों में ऐसी भूमि उपलब्ध है जो राजस्व भूमि है तथा ग्रामों एवं नगरों के निवासियों के सामान्य लोकोपयोग से भिन्न होकर वन भूमि से भी पृथक हैं, ऐसी उपलब्ध गैर व पड़त भूमि को उपयोग बनाने, वनीकरण, पौधारोपण एवं तत्संबंधी प्रसंस्करण हेतु निजी कम्पनियों, पंजीकृत समितियों संस्थाओं आदि को उपलब्ध कराने के लिए एवं समाज के भूमिहीन गरीब एवं कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें ऐसी भूमि में से कृषि योग्य परिवर्तनीय भूमि सुलभ कराने के लिए राज्य शासन द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है।

1. भूमि की पहचान एवं वर्गीकरण

1.1 गैर वन पड़त भूमि की परिभाषा निम्नानुसार होगी :
गैर वन पड़त भूमि ग्राम की वह भूमि है, जो वनभूमि से पृथक् है और जिसमें राजस्व की ऐसी भूमि सम्मिलित नहीं है, जो निस्तार छोटे, बड़े झाड़ का जंगल, कृषि खातों की भूमि और आबादी के लिए राजस्व अभिलेख में दर्ज है और उपयोग में आ रही है।

1.2 प्रत्येक जिले में गैर वन पड़त भूमि की पहचान करने के लिए निम्नासुर जिला स्तरीय समिति गठित की जावेगी :

1. जिला कलेक्टर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य
3. वनमंडलाधिकारी (सामाजिक वानिकी, सामान्य) सदस्य
4. उप संचालक, उद्यानिकी सदस्य
5. अधीक्षक, भू–अभिलेख सदस्य
6. जिला प्रबंधक, म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम
7. कलेक्टर द्वारा नामांकित एक अधिकारी
8. उप संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम

1.3 उक्त समिति जिलें में उपलब्ध गैर वन पड़त भूमि की पहचान कर इसकी जानकारी एकत्र करेगी, जिसमें भूमि के विवरण एवं स्थल की जानकारी के साथ नक्शा भी शामिल होगा।

1.4 जिलें में उपलब्ध संपूर्ण और वन पड़त भूमि का दो भागों में हिसाब रखा जाएगा–ऐसी पहली सूची में वे भूमियाँ जिन्हें कृषि योग्य बनाया जाना संभव नहीं है और दूसरी वे जिन्हें विकसित कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तत्पश्चात् प्रत्येक श्रेणी में निवेश के लिए उपयुक्त भूमिखण्डों की जिलेवार उपलब्धता का आकलन किया जायेगा।

संदर्भग्रंथ सूची

1. जैन पी.सी., संगठनात्मक व्यवहार, सरस्वती पब्लिकेशंस, जयपुर 1992 पृष्ठ सं. 58
2. कोठारी रजनी, कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, ओरिएण्ट लाँगमेन, दिल्ली, 1970 पृष्ठ सं. 69
3. लिमये मधु, कांग्रेस – इट्स स्ट्रेंथ एण्ड वीकनेस, हिन्दू, जुलाई 16, 1992 पृष्ठ सं. 23
4. राठौर मीना, भारत में राजनैतिक दल, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003 पृष्ठ सं. 57
5. शर्मा आर.पी., द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इण्डिया, द इण्डियन पब्लिकेशंस, 1963 पृष्ठ सं. 86,87
6. वाजपेयी अशोक, पंचायती राज एवं रूरल डेवलपमेन्ट, 1998 पृष्ठ सं. 61
7. वाजपेयी अन्तिमा, भारतीय निर्वाचन पध्दति, नार्दर्न बुक डिपो (सेंटर), दिल्ली, 1992 पृष्ठ सं. 47
8. शर्मा हरीशचन्द्र, भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1999 पृष्ठ सं. 106

चतुर्थ अध्याय

मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार – मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त योजना

विकास की अवधारणा को एक स्पष्ट रूप देने का एक तरीका राष्ट्र की प्रगति को इसके सबसे गरीब हिस्से की प्रगति के संदर्भ में मापना है, ताकि जनसंख्या के निचले हिस्से की प्रगति हो सके तथा निचले हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सके और इसकी आय की वृद्धि दर को आंका जा सके निर्धनतम हिस्से से जुड़े इन उपायों के संदर्भ में हमारी आर्थिक सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। यह तरीका आकर्षक है क्योंकि इसमें विकास को उस तरह नजर अंदाज नहीं किया जाता जैसे कुछ पुराने अपरांपरागत मापदंड तय करते रहे है। इसमें जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गो की आय में हुई वृद्धि को देखा जाता है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो लोग निचले हिस्से से बाहर है, उनकी उपेक्षा न हो। पूरी संभावना है कि वे लोग निचले हिस्से में शामिल हो जाएंगे और इस तरह स्वतः ही नीतियों को सीधा लक्ष्य के रूप में तय किया गया है। नीतिगत परिचर्चा में इस बात से प्रेरित किया है जो आगे निष्कर्षो तक ले जाता है। भारत में उच्च विकास हासिल करने का प्रयास किया गया है। यह सुनिश्चत करने के लिये काम करना चाहिए कि सबसे कमजोर वर्ग इस सम विकास योजना से लाभान्वित हो सके।

विकास योजना के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने पर बल दिया गया है। जिसमें रोजगार का सृजन करना सभी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण रखना इत्यादि। राष्ट्रीय सम विकास योजना के उस उद्देश्य को हासिल किया जाना जो राष्ट्र के संस्थापकों ने निर्धारित किया था। इसी तथ्य से एक समर्थकारी सरकार की अवधारणा सामने आती है अर्थात् ऐसी सरकार जो नागरिकों को सुविधा सीधे उपलब्ध कराने के बजाय, वह बाजार के लिए समर्थकारी रवैया अपनाती है ताकि अलग–अलग उद्यम पनप सकें और

नागरिक अधिकांशतः एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सकें। बाजार की दशा में कारगर, प्रोत्साहन अनुकूल नियम बनाया गया है। जिससे सुनिश्चित करके गरीबों को सीधे मदद करने में अहम भूमिका निभायी जाती है जैसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण एवं भोजन इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

पिछड़े जिलों में उसकी अच्छाई अथवा बुराई के संबंध में संदेह हो तो उन्हें रोक दिया जाता है इसके विपरीत, एक समर्थकारी संस्था यह दृष्टिकोण अपनाती है। निस्संदेह व्यक्तियों और समूहों के कई ऐसे कार्य होते है जिन्हें कुल मिलाकर समाज के कल्याण के लिए रोके जाने की जरूरत होती है। लेकिन एक समर्थकारी सरकार का तयशुदा विकल्प है रोकने की बजाय चलने दिया जाता है, रोकथाम के बदले अनुमति दी जाती है। सरकार की इस बदली हुई अवधारणा का अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर आमतौर पर गलत प्रभाव पड़ता है जो अधिक कार्यकुशलता ओर उच्च उत्पादकता को बढ़ावा देने के रूप में हो सकती है। जैसे नीतिगत विचार विमर्श के दौरान बार–बार उठने वाला एक प्रश्न वायदा व्यापार के संबंध में होता है। अर्थात् व्यापारियों को भविष्य में वस्तु की खरीद और बिक्री के संबंध में अग्रिम कारोबार करने की अनुमति दी जाती है या नहीं इसके लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए प्रत्येक संस्था ऐसी नीतियां अपनाती है।[1]

नीतियों की चरम कसौटी गरीबी को कम करने में उनकी सफलता के संदर्भ में होती है। परन्तु गरीबी के मोर्चे पर मध्यप्रदेश को अभी काफी रास्ता तय करना है। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की हाल की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश की कुल गरीबी 37.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। अर्थात् जनसंख्या का 37 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह कर रहा है, तथा खासकर ग्रामीण जनसंख्या का 41.8 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 25.2 प्रतिशत हिस्सा गरीब है। यद्यपि यह स्पष्ट है।

सरकार ने गरीबी रोधी कार्यक्रमों के लिए किए जाने वाले बजटीय आवंटनों में अधिक वृद्धि की है। वास्तव में, कल्याणकारी प्रोत्साहन पैकज की विशेषता है जो

इसे कई अन्य क्षेत्रों के प्रोत्साहन पैकजो से भिन्न बनाती है, यह है कि मांग को शामिल किये जाने से मुख्यतः गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाने और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने का रूप लिया है। कुल व्यय में ग्रामीण विकास सहित सामाजिक सेवाओं पर केंद्र सरकार के व्यय का हिस्सा 2003–04 में 10.46 प्रतिशत था और यह बढ़कर 2009–10 में 19.46 प्रतिशत हो गया। बाद में गरीबों द्वारा उपभोग में लाई जाने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होना इस तथ्य का प्रमाण है कि सामाजिक और कल्याण से संबंधित व्यय को लगभग दुगुना किए जाने का हिस्सा गरीबों तक पहुंचा है और इससे उनकी आय बढ़ी है।

उत्पाद आधारित भी कई सब्सिडियां है जैसे उर्वरक उत्पादन तथा प्रयोग, बुनियादी खाद्यान्न, केरोसिन को दी जाने वाली सब्सिडियां जो पिछले वर्षो में बढ़ती गई है और जिनका ऊपरी प्रयोजन जनसंख्या के कमजोर वर्गो की मदद करता रहा है जो भले मात्र उपभोक्ता हो या अपनी थोड़ी सी जमीन के सहारे जीवन निर्वाह करने वाले किसान हो। लेकिन गरीबी उपशमन के मापदण्ड का प्रयोग करने पर इन सब्सिडियों के प्रभाव कम होता है। अर्थव्यवस्था में अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों जिनमें उत्पादकता को बढ़ावा मिला है।

गरीबी मिटाने के लिए पहले से ही आवंटित धन को दिशा देना महत्वपूर्ण रहा है। एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जाती है कि गरीबों को सब्सिडी देने के और भी तरीके हैं जो बहुत कारगर होते है, उनमें प्रचुर बचत हो सकती है और इन पर कोई अतिरिक्त संगठनिक लागत नहीं आती। ऐसा करने का मानक तरीका है कि सब्सिडी का प्रयोग बेहतर विधि से किया जाये। सरकार एक बार किसी वस्तु के दाम तय करने में लग गई तो यह राजनीति और लॉबिंग का मामला बन जाता है जो कुल मिलाकर विकृति पैदा करता है। इसलिए कीमतें बाजार पर छोड़ दिया जाता है। गरीब उपभोक्ताओं को बाजार की अनिश्चितता पर न छोड़कर हस्तक्षेप का तरीका कीमतों को नियंत्रण में लाने के बजाय गरीबों की मदद की जाती है। यह मूल्य नियंत्रण प्रायः निर्विवाद रूप से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में भला करने की

बजाय नुकसान ही अधिक करता है। कृषि क्षेत्र की नीति और मूल्य नियंत्रण के संबंध में वही उपाय अपनाने की जरूरत पर बल दिया है जो 1991 में उद्योग क्षेत्र के लिए अपनाए गये थे। इसे ध्यान में रखते हुए गरीबों की सहायता करने के लिए ऐसी प्रणालियों का खाका तैयार करना संभव है जो अधिक सक्षम और वर्तमान प्रणालियों से बेहतर लक्षित होता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के विस्तृत नेटवर्क से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को सब्सिडीयुक्त अनाज की कुछ आपूर्तियां करने की कोशिश करते है। निर्दिष्ट परिवारों को बाजार मूल्य पर बेचने का प्रयास किया जाता है। नागरिकों में व्यक्तिगत निष्ठा, ईमानदारी और विश्वसनीयता किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण घटक है। परन्तु नीति बनाते समय हमें उस प्रणाली के बारे में यर्थाथवादी होने की आवश्यकता होती है। एक कारगर नीति के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों को उसी रूप में स्वीकार किया जाता है, प्रोत्साहन अनुकूल हस्तक्षेप कार्यवाही की व्यवस्था की जाती है। जिसमें मध्यप्रदेश में संचालित योजना निम्नानुसार है।

(1) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश की आबादी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना शासन का दायित्व है। इसके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कार्य कर रहा है। राज्य में लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित कई संस्थाएँ एवं योजनाएँ संचालित है। राज्य शासन का ध्यान राज्य में तेजी से बढ़ोतरी जनसंख्या की तरफ भी है, जो विकास में एक बाधक तत्व है। अतः अपनी स्वास्थ्य नीति में इसे भी शामिल किया गया है।

राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत किया जाता है। विभाग का मुखिया आयुक्त लोक स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण विभाग होता है। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार के तहत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का परिचलन होता है।

राज्य में जनवरी 2009 की स्थिति में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन 50 जिला अस्पताल, 54 शहरी सिविल अस्पताल संचालित है। इसी तरह 333 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1155 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में उप स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या 8860 है, जबकि सिविल डिस्पेंसरी(शहरी) 92 है। यहाँ 7 टी.बी. अस्पताल एवं एक टी.बी. सेनेटोरियम, एक चेस्ट सेंटर, पाँच कुष्ठ गृह एवं चिकित्सालय तथा 6 पॉली क्लीनिक हैं।

राज्य में वर्ष 2008–09 की स्थिति में जन्म दर 28.5/1000 शिशु मृत्यु दर 8.7/1000 थी। वर्ष 2011 तक इसे 2.1 के स्तर पर लाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मातृ मृत्यु के मुख्य कारण खून की कमी, रक्त स्त्राव, असुरक्षित गर्भपात तथा प्रसव के दौरान जटिलता है। इसे तालिका क्रमांक 4.01 में दी गयी तालिका में स्पष्ट कि गयी है।

तालिका क्रमांक 4.01

राज्य में स्वास्थ्य सेवाएँ

क्र.	स्वास्थ्य सेवाएं	संख्या
01	जिला अस्पताल	50
02	शहरी सिविल अस्पताल	56
03	सामुदायिक केन्द्र	333
04	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1155
05	उपस्वास्थ्य केन्द्र	8860
06	सिविल डिस्पेंसरियां (शहरी)	92

स्त्रोत : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का वर्ष 2008–09 का वार्षिक प्रतिवेदन।

रेखाचित्र क्रमांक 4.01

राज्य में स्वास्थ्य सेवाएँ

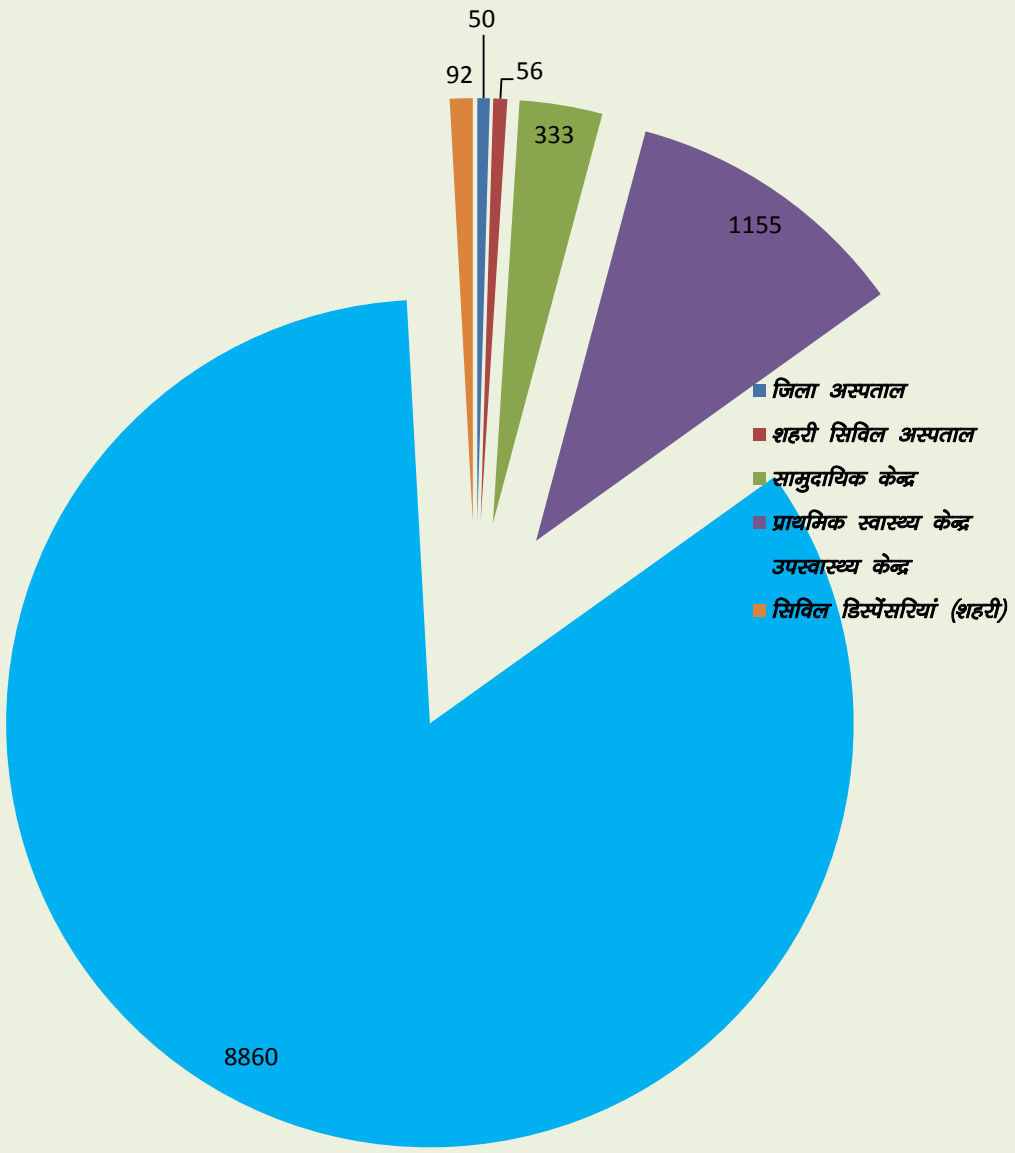

प्रदेश में आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। ऐसी ही कुछ योजनाऐं हैं :

सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना –

उद्देश्य : राज्य की समस्त चिकित्सा संस्थाओं में प्रत्येक वर्ग के रोगियों को न्यूनतम आवश्यक दवाओं की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना दिनांक 17/11/2012 से कुल 1595 स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रारम्भ की गई है।

पात्रता : शासकीय चिकित्सालयों की समस्त बाह्य रोगी एवं आंतरिक रोगियों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाले जेनेरिक औषधियों निःशुल्क उपलब्ध होगी।

लाभ का स्वरूपः सभी चिकित्सक जेनेरिक दवाओं का प्रिसक्रिप्शन दवा केन्द्र के लिए लिखेंगे। किसी दवा के स्टॉक में उपलब्ध न होने की स्थिति में निकटतम वैकल्पिक उपलब्ध दवा ही अंकित की जाएगी। सभी शासकीय चिकित्सक आवश्यक औषधि सूची (ई.डी.एल.) के अंतर्गत दवाएं लिखेंगे। चिकित्सक के परामर्श अनुसार निर्धारित केन्द्रों से निःशुल्क औषधियां प्राप्त होगी। इस योजना के प्रारम्भ होने से औषधियों की उपलब्धता बढ़ी है तथा लोगों का विश्वास भी शासकीय चिकित्सालयों में बढ़ा है। औषधियों हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध है।[2]

निःशुल्क चिकित्सकीय जांच सुविधा –

उद्देश्य : मध्यप्रदेश शासन ने लोगों को स्वस्थ जीवन उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निःशुल्क उपचार, निःशुल्क औषधि, निःशुल्क परिवहन की व्यवस्थाएं प्रदेश में पूर्व से ही उपलब्ध है। इस श्रृंखला में अब प्रदेश में समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सकीय जांच जैसे पैथोलॉजीकल जांचे एवं उपलब्धता के अनुसार ई.सी.जी., सोनोग्राफी, ईकोकार्डियोग्राफी तथा एक्सरे जांच भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

दिनांक 01/02/2013 से आरम्भ हुई इन निःशुल्क उपलब्ध पैथोलॉजी जांचों की सुविधा जिला चिकित्सालयों से लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्रों तक उपलब्ध होगी।

पात्रता : शासकीय चिकित्सालयों की समस्त बाह्म रोगी एवं आंतरिक रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श एवं संख्या में उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकीय जांचे निःशुल्क उपलब्ध होगी।

लाभ का स्वरूप : शासकीय चिकित्सालयों में आने वाले समस्त बाह्म रोगी एवं आंतरिक रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श एवं संस्था में उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकीय जांचे निःशुल्क उपलब्ध होगी। यह जांच सुविधाएं प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना –

उद्देश्य : दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती होने पर जाँच–उपचार हेतु एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 30 हजार रूपये की सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रदेश में यह योजना 25 सितम्बर, 2004 से संचालित है।

पात्रता : योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को शासकीय चिकित्सालयों में भर्ती होने पर जाँच–उपचार हेतु एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 30 हजार रूपये की सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

लाभ का स्वरूप : योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये हितग्राही को शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में उपचार के समय राज्य शासन द्वारा निर्धारित "परिवार स्वास्थ्य कार्ड" अथवा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन का कार्ड/अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना होता हैं। योजनान्तर्गत अस्पताल में औषधियों एवं जांच

सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। उपचार के दौरान यदि अस्पताल में आवश्यक औषधि – सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्थानीय स्तर नी बाहर/बाजार से क्रय कर प्रदाय करने का प्रावधान है। इसी प्रकार रोगी की जांच सुविधाएं अस्पताल में नहीं होने पर ही बाहर से कराई जाने का प्रावधान है।

परिवार स्वास्थ्य कार्ड : योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को अस्पताल प्रबंधन (जिला स्तर पर सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा ग्रामीण स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय) द्वारा ''परिवार स्वास्थ्य कार्ड'' तैयार कर दिया जाता है। इस कार्ड में परिवार के मुखिया का फोटो तथा परिवार का पुरा विवरण दर्ज रहता है। भर्ती होकर इलाज कराने पर इस कार्ड में रोगी व बीमारी का नाम, इलाज, जांच व व्यय का विवरण दर्ज किया जाता है।

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना –

उद्देश्य : मध्यप्रदेश में ''मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना'' 14 जुलाई, 2011 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के 0–15 वर्ष के बच्चों तथा ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्ध नहीं है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है वे भी इस योजना के पात्र होंगे। ऐसे बच्चों का भी हृदय रोग से संबंधित शासकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार (शल्यक्रिया) किया जा रहा है। इस हेतु प्रति प्रकरण अधिकतम एक लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पात्रता : योजनान्तर्गत चिन्हित हृदय रोगों से पीड़ित 0–15 वर्ष के बच्चों वाले परिवार। इस योजना का लाभ प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों तथा ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे पंजीबद्ध नहीं है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है, उनको प्राप्त होता है।

लाभ का स्वरूप : चिन्हित बीमारियों के लिये निर्धारित उपचार पैकेज के अनुरूप चिन्हित संख्याओं को भुगतान किया गया जाता है।

उपचार हेतु चिन्हित बीमारियाँ –

क्र.	बीमारी का नाम	उपचार पैकेज
01	**V.S.D.** - बेन्ट्रीकुलर सेप्टल डिफेक्ट	90,000 रू.
02	**A.S.D.** - एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट	80,000 रू.
03	**T.O.F.** - टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट	1,00,000 रू.
04	**P.D.A.** - पेटेंट डक्ट्स एट्रियोसिस	65,000 रू.
05	**P.S.** - पलोनरी एस्टेनोसिस	1,00,000 रू.
06	**C.O.A.** - कोलॉर्कटेशन ऑफ एओरटा	1,00,000 रू.
07	**R.H.D.** – रह्यूमेटिक हार्ट डिसिस	1,00,000 रू.

संभागीय समिति– योजना के लिए एक संभागीय समिति का गठन किया गया है जो निम्नुसार है :–

1. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय म.प्र.– अध्यक्ष
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. – समन्वयक
3. प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय के कार्डियोलॉजी – विभाग के प्रतिनिधि
4. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक – संभागीय संभागीय मुख्यालय, मुख्यालय, सदस्य

उपचार हेतु प्रदेश में स्थित अस्पतालों की सूची

1. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (हमीदिया अस्पताल), भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. भण्डारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, इंदौर।
3. भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, भोपाल, मध्यप्रदेश।

4. सी.एच.एल.अपोलो हॉस्पिटल, इंदौर, मध्यप्रदेश।
5. सी.एच.एल. अपोलो मेडिकल सेन्टर, इंदौर, मध्यप्रदेश।
6. चिरायु कार्डियक सेन्टर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. चिरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. गोकुलदास हार्ट हॉस्पिटल, इंदौर, मध्यप्रदेश।
9. विशेष डायग्लोस्टिक हॉस्पिटल, इंदौर, मध्यप्रदेश
10. चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर, मध्यप्रदेश।
11. ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल, इंदौर, मध्यप्रदेश।
12. राजश्री हॉस्पिटल, इंदौर, मध्यप्रदेश।
13. एल.बी. एस. हॉस्पिटल, भोपाल मध्यप्रदेश।
14. सिनर्जी हॉस्पिटल, इंदौर, मध्यप्रदेश।

उपचार हेतु प्रदेश के बाहर के अस्पतालों की सूची :

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
2. नारायण हृदयालय, बैंगलोर।
3. फोर्टिस एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली।
4. श्री कृष्ण हृदयालय एवं क्रिटीकल केयर सेन्टर, नागपुर, महाराष्ट्र।
5. बैकर्स हार्ट इन्स्टीट्यूट, बड़ौदरा, गुजरात।
6. अपोलो हॉस्पिटल इन्टरनेशनल लिमिटेड, अहमदाबाद।
7. केयर हॉस्पिटल, नागपुर, महाराष्ट्र।

दीनदयाल चलित अस्पताल –

उद्देश्य : प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में जहां सामान्यतः अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का बाहुल्य है, वहाँ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें उनके पास तक पहुँचकर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 26 मई, 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रारंभ की गयी है। ये अस्पताल प्रतिदिन एक निर्धारित रूट चार्ट

पर भ्रमण कर ग्रामों में चिकित्सकीय परामर्श एवं प्राथमिक उपचार, दवाईयों का वितरण, टीकाकरण, प्रसव पूर्व परीक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध कराते है, साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी भी उपलब्ध कराते है। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :–

- दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराना तथा ग्राम स्तर पर रोगियों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाना।

पात्रता : प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में जहां सामान्यतः अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का बाहुल्य है, तथा जहां योजना के अंतर्गत चलित अस्पताल वाहन निर्धारित समय व स्थान पर पहुंचते हैं, उस स्थान पर मौजूद समस्त नागरिक इस योजना के अंतर्गत पात्र है।

पुनरीक्षित योजना

आदिवासी विकासखण्डों में योजना की सफलता को दृष्टिगत हुए राज्य शासन द्वारा योजना का विस्तार ऐसे विकासखण्डों में भी करने का निर्णय लिया गया जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 123 चलित अस्पताल – (19 जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में 92 चलित अस्पताल तथा 14 जिलों के अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखण्डों में 31 चलित अस्पताल) संचालित किये जा रहे है।

पुनरीक्षित योजनान्तर्गत प्रत्येक चलित अस्पताल में पैथोलॉजी जांच हेतु लैब–टैक्नीशियन की व्यवस्था की गई है। इन चलित अस्पतालों द्वारा सप्ताह में 6 दिन सेवायें प्रदान की जा रही है। मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन सिर्फ ऐसे ग्रामों में चलित अस्पताल की सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं जहां ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित किया गया हो। सप्ताह के अन्य दिनों में चयनित ग्रामों में

सेवायें प्रदान की जाती है। प्रतिदिन कम से कम दो ग्रामों में सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जा रही है। चलित अस्पताल ग्राम पर स्वरूप ग्राम समिति, आशा तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समन्वय से अधिकाधिक रोगियों को सेवायें उपलब्ध करा रहे है।

चलित अस्पताल सेवाओं की बेहतर मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉनीटरिंग इकाई स्थापित की गई है।

क्रियान्वयन –

योजनान्तर्गत प्रति सप्ताह निश्चित दिन प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक दो से तीन ग्रामों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक चलित अस्पताल में एक एम.बी.बी.एस. चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा निम्न सेवायें प्रदाय की जाती है :–

1. चिकित्सकीय परीक्षण, परामर्श एवं सामान्य बीमारियों का उपचार।
2. आवश्यक दवाइयो का वितरण।
3. जटिल स्वास्थ्य संबंधी प्रकरणों की पहचान एवं आवश्यक उपचार हेतु उचित स्तर पर मरीजों को रेफर करना।
4. परिवार, नियोजन। गर्भनिरोधक गोली (ओसीपी), आपात गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी), कंडोम आदि का वितरण, डिपो धारक तथा आशा से समन्वय, आईयूडी निवेशन नसबन्दी हेतु प्रेरित करना।
5. टीकाकरण के मॉपअप राउण्ड।
6. कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उचित रेफरल।
7. माताओं का प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक दवाईयों का वितरण एवं टीकाकरण।
8. किशोरवय बालिकाओं एवं बालकों की स्वास्थ्य जांच तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा।

9. मलेरिया जांच हेतु रक्त पट्टी संग्रहण एवं मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोगों का उपचार।
10. टीबी हेतु खखार व पट्टी संग्रहण तथा जांच, डाट्स प्रदायकर्ता से समन्वय।
11. रक्त एवं मूत्र परीक्षण, गर्भ परीक्षण एवं अन्य सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण।
12. शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना तथा स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी समुदाय को देना।

संजीवनी – 108

उद्देश्य : प्रदेश में जनसामान्य के लिये घर से अस्पताल व अस्पताल से घर जाने तथा आपात स्थितियों में संभव चिकित्सीय सेवायें (जिसमें जीवन रक्षक सेवायें भी सम्मिलित हैं) त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के प्रयोजन से ''108'' एम्बुलेंस सेवा वर्ष 2009 से संचालित है। इस सेवा को अब ''संजीवनी–108'' नाम दिया गया है, जो एक केन्द्रीय कॉल सेन्टर द्वारा नियंत्रित है एवं इसका टोल फ्री नम्बर ''108'' है।

पात्रता : जिन क्षेत्रों में संजीवनी 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के समस्त नागरिक। इस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में कुल 102 वाहन संचालित किये जा रहे है। सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। इस हेतु 502 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों को सेवा में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2012–13 के अंत तक सभी 50 जिलों में संजीवन–108 सेवा उपलब्ध हो जावेगी। सेवा के विस्तार के साथ ही गुणवत्ता में वृद्धि हेतु जीव्ही के ईएमआरआई संस्था के साथ पुनरीक्षित अनुबंध निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत गुणवत्ता के मानक अनुसार संचालन इस प्रकार किया जायेगा जिससे नगरीय क्षेत्रों में 20 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट की अनुक्रिया अवधि **(Response)** स्थापित की जा सके।

लाभ का स्वरूप : किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय आकस्मिकता की स्थिति में टोल फ्री नम्बर 108 पर फोन करने पर निकटस्थ 108 एम्बूलेंस वाहन हितग्राही तक पहुंचकर उसे नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र तक निःशुल्क पहुंचाता है।

जननी सुरक्षा योजना –

उद्देश्य : सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना।

पात्रता : समस्त गर्भवती महिलायें प्रसव पश्चात इस योजना के अंतर्गत लाभ की पात्रता रखती है।

लाभ का स्वरूप : जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है –

- शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को 1000 रूपये
- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को 1400 रूपये
- शहरी क्षेत्र के लिये प्रेरक राशि 400 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रेरक राशि 600 रूपये (दिनांक 01.04.2013 से प्रभावशील)
- घर पर प्रसव होने पर बी.पी.एल. परिवार की महिला को 500 रूपये।

जननी एक्सप्रेस योजना –

उद्देश्य : जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु तथा बीमार बच्चों को स्वास्थ्य संस्थाओं तक निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। जननी एक्सप्रेस वाहनों के सुचारू संचालन एवं मॉनीटरिंग हेतु वाहनों में जी.पी.एस. फिटिंग अनिवार्य की गई है।

पात्रता : समस्त गर्भवती महिलायें प्रसव पूर्व एवं पश्चात् तथा बीमार नवजात शिशुओं को एक माह की उम्र तक इस योजना के अंतर्गत लाभ की पात्रता है।

लाभ का स्वरूप : प्रदेश के सभी 50 जिलों में कॉल सेन्टर आधारित जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है। जिले के कॉल–सेन्टर पर कोई भी व्यक्ति

गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए सूचित कर सकता है। कॉल–सेन्टर पर सूचना मिलने पर संबंधित गर्भवती महिला के निवास की जानकारी ली जाती है तथा नजदीक स्थित वाहन को वहाँ पहुंचने के लिए निर्देशित किया जाता है। ईएम.आर.आई.–108 सेवा के माध्यम से औसतन 19 मिनट में तथा कॉल सेन्टर आधारित जननी एक्सप्रेस योजना का वाहन लगभग 30 मिनट से 60 मिनट में संबंधित गर्भवती महिला को उपलब्ध करा दिया जाता है। इस प्रकार संबंधित गर्भवती महिला, बीमार नवजात शिशु तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल परिवहन सुविधा मिलने से आकस्मिकता की स्थिति में महिला की जान बचाई जा सकती है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना

उद्देश्य : जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किये जाने का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं (जन्म से 30 दिवस तक) के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना।

पात्रता : समस्त गर्भवती महिलायें एवं 1 माह तक के बीमार नवजात शिशु।

लाभ का स्वरूप :

- निःशुल्क प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन हेतु 300 रूपये प्रति सामान्य प्रसव तथा 1600 रूपये प्रति सिजेरियन ऑपरेशन के मान से राशि जिला आर.सी.एच. कार्ययोजना में स्वीकृति की गई है।
- निःशुल्क आवश्यक प्रयोगशाला जांचे (हिमोग्लोबिन, यूरिन, ब्लड ग्रुपिंग आदि) तथा सोनाग्राफी हेतु 200 रूपये प्रति महिला के मान से कार्ययोजना में राशि स्वीकृत की गई है।
- निःशुल्क भोजन– 30 रूपये प्रति महिला प्रतिदिन के मान से (सामान्य प्रसव होने पर 2 दिन एवं सिजेरियन प्रसव हेतु 7 दिन तक) इस हेतु दिवसवार आहार तालिका के आधार पर चिकित्सालय में भोजन वितरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।

- निःशुल्क रक्त व्यवस्था– 300 रूपये प्रति ब्लड ट्रान्सफ्यूजन के मान से राशि उपलब्ध कराई गई है।
- निःशुल्क परिवहन व्यवस्था–
  1) निवास से स्वास्थ्य संस्था तक आने के लिए
  2) आवश्यकतानुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफरल
  3) डिस्चार्ज होने के पश्चात् स्वास्थ्य संस्था से निवास तक छोड़ने के लिए।
- प्रसव पूर्व तृतीय अथवा चतुर्थ जांच शासकीय स्वास्थ्य संस्था में चिकित्सक द्वारा कराने हेतु तथा आकस्मिकता की स्थिति में निवास से चिकित्सालय तक रेफरल परिवहन की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में जननी एक्सप्रेस एवं ई.एम.आर.आई. –108 के माध्यम से निःशुल्क परिवहन व्यवस्था।

बीमार नवजात शिशु (जन्म से 30 दिवस) हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ :

- निःशुल्क दवाएँ एवं सामग्री
- निःशुल्क रक्त (समस्त)
- निःशुल्क जांच (समस्त)
- निःशुल्क परिवहन व्यवस्था– निवास से स्वास्थ्य संस्था तक आने के लिए, आवश्यकतानुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफरल तथा डिस्चार्ज होने के प्श्चात् स्वास्थ्य संस्था से निवास तक छोड़ने के लिए.
- सभी प्रकार के उपभोक्ता शुल्क (रोगी कल्याण समिति सहित) से छूट।

(2) स्कूल शिक्षा विभाग

निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना वर्ष 2011–12

उद्देश्य : प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर चुके छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 9वीं में अध्ययनरत ऐसे बालक/बालिकाएँ

इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिनके गाँव में शासकीय हाईस्कूल स्थापित नहीं है तथा वे एक गाँव से दूसरे गाँव/शहर में शासकीय हाईस्कूल में अध्ययन के लिए जाते है। सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत पात्रताधारी बालक/बालिका को उनकी पसंद की सायकिल क्रय करने हेतु पात्र बालक/बालिका अथवा उनके पालक को 2400 रूपये के रेखांकित **(Crossed)** चेक शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से प्रदाय किये जाएँगे। सायकिल का मूल्य यदि 2400 से अधिक होता है तो अधिक राशि का भुगतान हितग्राही बालक/बालिका के पालक द्वारा वहन किया जायेगा। हितग्राही बालक/बालिका के पात्रता निर्धारण का दायित्व संस्था प्रमुख का होगा तथा सायकिल का क्रय एवं उसकी गुणवत्ता व पसंद का दायित्व हितग्राही बालक/बालिका एवं उसके पालक का होगा। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यालय जिन्हें शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के वर्तमान बैंक खाते से चेक वितरण करने में इस कारण कठिनाई हो कि बैंक शाखा ग्राम से बहुत दूर है। वे वितरण करने में इस कारण कठिनाई हो कि बैंक शाखा ग्राम से बहुत दुर है। वे शाखा प्रबंधन एवं विकास समिति का अतिरिक्त बैंक खाता केवल सायकिल प्रदाय योजना के चेक वितरण के लिए विद्यालय के समीपस्थ गाँव में खोल सकते है। बालक/बालिकाओं को इस योजना अंतर्गत चेक का प्रदाय समारोह आयोजित करके किया जायेगा। इस समारोह में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने के निर्देश है।

पात्र हितग्राही– ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 9वीं में अध्ययनरत सभी प्रवर्ग के ऐसे बालक/बालिकाएँ इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिनके गाँव में शासकीय हाईस्कूल स्थापित नहीं है तथा वे एक गाँव से दूसरे गाँव/शहर में शासकीय हाईस्कूल में अध्ययन के लिए जाते है। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।[3]

विकलांग बच्चों की समावेशित शिक्षा सेकेण्ड्री स्टेज
(आई.ई.डी.एस.एस.)

उद्देश्य : विकलांग बच्चों को कक्षा 09 से 12 तक सामान्य विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र – केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत कक्षा 09 से 12 तक विकलांग बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत हितग्राही विकलांग बच्चों को पुस्तक, स्टेशनरी, गणवेश, परिवहन भत्ता वाचन भत्ता, मार्गरक्षण भत्ता, उपकरण, ब्रेल पुस्तकें इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान है। हितग्राही विकलांग बच्चों के लिए शिक्षकों की सहायता, बाधामुक्त विद्यालय, संसाधन केन्द्र, टी.एल.एम. की सुविधा भी योजना अंतर्गत उपलब्ध करायी जाती है। योजना में कार्य करने वाले शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण के कार्य हेतु भी भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। स्वयं सेवी संस्थाओं को नियमानुसार अनुदान भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

पात्र हितग्राही – आई.ई.डी.एस.एस. योजना अंतर्गत कक्षा 09 से 12 तक के ऐसे विकलांग बच्चे आते है। जो सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत है।

संपर्क– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचाय अथवा संबंधित विद्यालय का प्राचार्य।

छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ –

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत (कक्षा 09 से 12 तक) छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन के घटकों की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है।

उद्देश्य : सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र–छात्राओं की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए शासकीय विद्यालयों में निम्न छात्रवृत्तियाँ, शिष्यवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ संचालित है।

सुदामा प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना –

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र – वर्तमान में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत् सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय 54000 रूपये से अधिक न हो, ऐसे छात्र को 300 रूपये एवं छात्रा को 400 रूपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्र हितग्राही– वर्तमान में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत् सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय 54000 रूपये से अधिक न हो।

संपर्क – संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य अथवा संबंधित विद्यालय का प्राचार्य।

स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना –

उद्देश्य, योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वी. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में तथा 11वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय 54000 रूपये से अधिक न हो ऐसे छात्र को 500 रूपये एवं छात्रा को 550 रूपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्र हितग्राही– शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उर्त्तीण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय 54000 रूपये से अधिक न हो।

संपर्क– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य अथवा संबंधित विद्यालय का प्राचार्य।

सुदामा शिष्यावृत्ति योजना –

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– प्रदेश के जिला/विकासखण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत्

छात्रावास में निवारस करने वाले सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय 54000 रूपये से अधिक न हो ऐसे छात्र को 500 रूपये एवं छात्रा को 525 रूपये प्रतिमाह 10 माह के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्र हितग्राही– प्रदेश के जिला/विकासखण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत् छात्रावास में निवास करने वाले सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय 54000 रूपये से अधिक न हो।

संपर्क– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित विद्यालय का प्राचार्य।

डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना –

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उर्त्तीण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय 54000 रूपये से अधिक न हो ऐसे छात्र को 5000 रूपये एवं छात्राओं को 5000 रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है।

पात्र हितग्राही– प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय 54000 रूपये से अधिक न हो।

संपर्क– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी।

अन्य छात्रवृत्तियाँ सैनिक स्कूल रीवा –

योजना का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र– सैनिक रीवा में कक्षा 6 से 12 तक म.प्र. के मूल निवासी सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 33000 रूपये है, को प्रतिवर्ष 12000 रूपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है।

पात्रहितग्राही– सैनिक स्कूल रीवा में कक्षा 6 से 12 तक म.प्र. के मूल निवासी सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 33000 रूपये है।

संपर्क– प्राचार्य सैनिक स्कूल रीवा।

प्रतिभाशाली बच्चों के लिये प्रोत्साहन योजना –

उद्देश्य – प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कम्प्यूटर क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराना।

योजना का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र– मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत और इससे अधिक अंक पाने वाले शासकीय विद्यालयों के प्रतिभाशी विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर क्रय हेतु राशि 25000 रूपये प्रदान की जाती है।

पात्र हितग्राही– मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत और इससे अधिक अंक पाने वाले शासकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी।

संपर्क– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक एवं लोक शिक्षण संचालनालय।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना –

उद्देश्य – शासकीय हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक समस्त वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण योजना में प्रदेश के समस्त शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

पात्रहितग्राही– शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थी।

संपर्क – संबंधित संख्या के प्राचार्य।

"सुपर 100 योजना" –

उद्देश्य – मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय स्कूलों से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थानों –आई.आई.टी./मेडिकल कॉलेजों आदि में प्रवेश लेना चाहते है उन्हें इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देना।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय स्कूलों से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थानों–आई.टी.आई./मेडिकल कॉलेजों आदि में प्रवेश लेना चाहते है उन्हें इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देने तथा कॉलेजों आदि में प्रवेश लेना चाहते है उन्हें इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देन तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शिक्षण सत्र 2011–12 से संचालित सुपर–50 योजना, 2012–13 से यह योजना सुपर–100 के नाम से जानी जायेगी। इस योजना में गणित तथा जीवविज्ञान में 100–100 विद्यार्थी वर्ष 2012–13 में प्रवेशित होंगे, यह योजना शा. उ.मा.वि.मल्हार आश्रम, इन्दौर में भी संचालित की जावेगी। वर्ष 2012–13 में प्रवेशित 200 विद्यार्थी कक्षा 11वीं में शा.उ.मा.वि. मल्हार, इन्दौर में प्रवेश लेंगे। भोपाल में वर्ष 2011–12 से लागू सुपर–50 योजना यथावत वर्ष 2012–13 में जारी रहेगी।

पात्र हितग्राही– इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 200 विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अध्ययन के साथ–साथ व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा, इन 200 विद्यार्थियों में से 100 विद्यार्थियों को आई.टी. आई. एवं 100 विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा हेतु आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

विद्यार्थियों का चयन माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर जिला स्तर पर शासकीय विद्यालयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में से कक्षा 11वीं के लिए गणित एवं जीवविज्ञान हेतु प्रत्येक

जिले से कुल 04 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। इस प्रकार 50 जिलों में से कुल 200 विद्यार्थियों का चयन होगा।

इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्र–छात्राओं के लिए पुस्तकों, छात्रावास, भोजन तथा कोचिंग पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।

संपर्क– लोक शिक्षण संचालनालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी।

उच्च शिक्षा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और स्टेशनरी का प्रदाय

उद्देश्य– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को इस योजना में 1500 रूपये की पुस्तकें एवं 500 रूपये की स्टेशनरी प्रदाय की जाती है।

मात्र हितग्राही– शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी।

संपर्क– शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।

एकीकृत छात्रवृत्ति –

उद्देश्य– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न नियमित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान कर आर्थिक सहयोग पहुंचाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– वर्तमान में संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों और उनका कोटा निर्धारित है। शोध, एम.फिल, स्नातकोत्तर योग्यता स्नातकोत्तर योग्यता सह–साधन, खेलकूद, स्नातक योग्यता, स्नातक योग्यता सह–साधन, संस्कृत छात्रवृत्तियाँ, फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान पुणे, राष्ट्रीय

अनुसंधान कला, नई दिल्ली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली, मध्यप्रदेश के सैन्य महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति।

पात्र हितग्राही– माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ही आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता होगी। एकीकृत छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय 54,000 रूपये से अधिक न हो। वेतनभोगी अधिकारी/कर्मचारी/अभिभावकों को आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अन्य वर्गीय व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा सत्यापित आय घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

एकीकृत छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 50 से 600 रूपये प्रतिमाह निर्धारित छात्रवृत्ति दरों का युक्तियुक्त करते हुए स्नातक/संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को 300 रूपये प्रतिमाह, स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को 500 रूपये प्रतिमाह, तथा शोध कार्य में संलग्न छात्र–छात्राओं को 600 रूपये प्रतिमाह के मान से 10 माह की छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है।[4]

सामान्य निर्धन वर्ग के मेधावी छात्रों के लिये संचालित विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क से छूट देने के की अधिकतम सीमा 2,500 रूपये प्रतिवर्ष एवं अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 42,000 रूपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 54,000 रूपये वार्षिक की गई है।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया – इच्छुक विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक संस्थाओं से आवेदन–पत्र प्राप्त कर, संस्था प्रमुख के माध्यम से कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल को भेज सकते है।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को ''व्यावसायिक शिक्षा'' के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की योजना

उद्देश्य – प्रदेश के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र एवं अर्हता– व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम/संकाय सम्मिलित है :–

(1) पॉलिटेक्निक (2)इंजीनियरिंग– बी.ई (3) चिकित्सा शिक्षा (एम.बी.बी.एस/बी.ए. एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.डी.एस.) (4) पैरामेडिकल कोर्स (चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत), (5) कृषि इंजीनियरिंग (बी.ई.ए.जी.,डी.ई.ए.जी.)
(6) बी.एस.सी.(नर्सिग), (7) सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे हो, जैसे– बी.लिब., बी.एड. , बी.पी.एड., बी.ए. एल.एल.बी. आदि।

पात्र हितग्राही – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो तथा भूमिहीन कृषक मजदूर के पुत्र/पुत्री हो। छात्र/छात्राओं के पालकों की आय सीमा 25,000 रूपये वार्षिक से अधिक न हो। भूमिहीन कृषक मजदूर के पुत्र/पुत्री का प्रमाण–पत्र तहसीलदार का मान्य किया जाएगा।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया– इस छात्रवत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का चयन एक समिति द्वारा समय–सीमा में योग्यता के आधार पर अर्थात् मेरिट के आधार पर उस वर्ष की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की राशि – चयनित छात्रों को 2500 रूपये वार्षिक पाठ्यक्रम समाप्ति तक अर्थात् स्नातक अंतिम वर्ष तक देय होगी।

संपर्क – आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय मध्यप्रदेश।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी-एच.डी. के लिए शोध छात्रवृत्ति

उद्देश्य – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शोध हेतु आर्थिक सहायता देना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति के 40 एवं अनुसूचित जनजाति के 60 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 16,000 रूपये या समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर से देय हैं, जिसका नियमानुसार संकायवार कोटा निर्धारित किया गया है।

पात्र हितग्राही – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो तथा विश्वविद्यालय में शोध छात्र के रूप में पंजीकृत हो।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया– विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थियों को उपरोक्तानुसार उपस्थिति, शोध कार्य का संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन अपने निदेशक/गाईड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को विश्वविद्यालय के विनिमय/अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा।

गाँव की बेटी योजना –

उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रां की प्रतिभावन बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – मध्यप्रदेश के प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जाएगा। चयनित बालिकाओं में से जिसने उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो। यह योजना समस्त शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लागू होगी। नवोदय विद्यालय से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया– छात्रा को प्रतिमाह 500 रूपये की दर से शैक्षणिक सत्र के लिए 5000 रूपये(पाँच हजार) सालाना की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

संपर्क– संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।

प्रतिभा किरण –

उद्देश्य – गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली शहर की मेघावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को ऐसी घटनाओं को योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने शहर की पाठशाला से 12वीं उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना जरूरी है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया– इस योजना में चयनित छात्रा को परंपरागत उपाधि पाठ्यक्रम हेतु 500 रूपये प्रतिमाह (10 माह तक) तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750रू. प्रतिमाह (10 माह तक) दिये जाएँगे।

संपर्क– प्राचार्य महाविद्यालय।

सामान्य निर्धन वर्ग के मेघावी विद्यार्थियों को विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

उद्देश्य– गरीबी रेखा के नीच जीवन–यापन करने वाले सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– इस योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को इस स्नातक स्तर पर निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जायेगी जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों और उनके अभिभावकों की वार्षिक आय 54000 रूपये से कम हो।

योजना का क्रियान्वयन एवं प्रक्रिया – इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली वार्षिक शिक्षण शुल्क राशि की

पूर्ति विभाग द्वारा की जावेगी। उच्च शिक्षा विभाग केवल ट्रेडिशनल(पारम्परिक) महाविद्यालयों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) ग्रामीण विकास विभाग –

प्रस्तावना एवं उद्देश्य : मध्यप्रदेश में लगभग 37 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार आवासहीन है अथवा अर्द्ध पक्के/कच्चे आवासों में निवासरत है। इंदिरा आवास योजना में प्रदेश को प्राप्त होने वाली प्रतिवर्ष लगभग 70 हजार आवासों की स्वीकृति हमारी आवासीय आवश्यकता की तुलना में नगण्य एवं असमाधानकारक है। ग्रामीण आवासीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मुख्यमंत्री की पहल पर विधानसभा में पारित संकल्प क्र. 61(2010) के अनुरूप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का आरम्भ करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा 22 फरवरी, 2011 को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का शुभारंभ किया गया था, तब से यह मिशन लगातार प्रगतिरत है।

यह एक पूर्णतः ''मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण–सह–अनुदान'' योजना है। मिशन के अंतर्गत हितग्राही द्वारा विभिन्न अभिन्यासों के अनुरूप स्वयं आवास का निर्माण किया जाता है। हितग्राही को पात्रतानुसार ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 10, 12 एवं 15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जाता है।

पात्रता –

1) अधिकतम एक हैक्टेयर कृषि भूमि धारक परिवार।
2) 1.25 लाख रूपये कुल वार्षिक आय सीमा तक के ग्रामीण परिवार।
3) हितग्राही जिसके पास भू–खण्ड उपलब्ध है अथवा वह भू–खण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखता है।
4) वयस्क परिवार जिसका स्वयं का कोई आवास सामान्यतः निवासरत ग्रामीण क्षेत्र में न हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता निर्धारण –

1) हितग्राही द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

2) आवेदन का निम्न तीन सदस्यीय समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

(अ) ग्राम पंचायत सचिव

(ब) पटवारी

(स) पंचायत समन्वय अधिकारी

3) प्राथमिकता सूची ग्राम सभा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

4) ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण अंतिम रूप से किया जावेगा।

5) ग्राम सभा द्वारा तय की गयी प्राथमिकता बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति में बंधनकारी नहीं होगी।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश –

यह योजना भारत सरकार द्वारा "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005" के तहत संचालित है, जिसमें अकुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है।

योजना का उद्देश्य – इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक व्यस्क सदस्यों को 100 दिवस का श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। फरवरी 2006 से प्रारंभ यह योजना प्रदेश में क्रमशः तीन चरणों में प्रारंभ की जाकर वर्तमान में प्रदेश के समस्त 50 जिलों में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है।

योजना के पात्र – ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया – इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी। जॉबकार्ड धारक द्वारा रोजगार का आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

योजना के तहत मजदूरी – मजदूरी, श्रमायुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित दर से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट आफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मजदुरी का भुगतान योजना अंतर्गत ''जितना काम उतना दाम'' के आधार पर 15 दिवस में किया जाता है। योजनांतर्गत वर्तमान में 132 रूपये प्रतिदिन मजदूरी दर (1 अप्रैल,2012 से) प्रभावशील है पुरूष एवं महिला की मजदुरी दर समान है।

योजना की विशिष्टता–बेरोजगारी भत्ता – यदि किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ते की पात्रता होगी। बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधे की दर से दिया जायेगा।

कार्यस्थल पर सुविधायें– पीने के पानी, छाया की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तथा कार्यस्थल पर मजदूरों के 06 वर्ष से कम आयु के न्यूनतम 05 बच्चे होने पर झूलाघर की व्यवस्था की जाती है।

दुर्घटना क्षतिपूर्ति– यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना में कोई मजदूर घायल होता है तो उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे मजदूरों की मृत्यु अथवा अस्थायी रूप से अपंग होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 25 हजार रूपये तक का भुगतान किया जाता है।

योजना के कार्यो का स्वरूप– योजनांतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लक्षित वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के साथ ही स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन हेतु (अ) हितग्राहीमूलक (ब) समुदायमूलक उपयोजनाएँ संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही है।

हितग्राहीमूलक विकास कार्य– योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की स्वयं की कृषि भूमि या लघु एवं सीमांत कृषकों के लिये सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास

सुविधा के कार्य किये जायेगे। जनवरी 2012 से ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

सामुदायिक कार्य मूलक उपयोजनाओं– रेशम उपयोजना(हितग्राहीमूलक भी है), शैल–पर्ण, वन्या उपयोजना, सहस्त्र धारा, निर्मल नीर, नदी–नालों पर श्रृंखलाबद्ध जलसंरचनाओं का निर्माण, लघु सिंचाई तालाब एवं माईनर नहरों का रखरखाव, ग्रामीण क्रीडांगन, शांतिधाम, कामधेनू, आंतरिक पथ निर्माण, नर्मदा समग्र प्रकल्प, नर्मदा परिक्रमा पथ, ग्राम संपर्क सड़क योजना एवं समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट की उपयोजनाएँ है।

योजना में हितग्राही को लाभ– अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की स्वयं की कृषि भूमि या लघु एवं सीमांत कृषक के लिये सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास सुविधा के कार्य किये जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। जनवरी, 2012 से ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अवधि में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(NRLM)

उद्देश्य – प्रदेश में ग्रामीण गरीब परिवारों (बीपीएल) में सामुदायिक संस्थाओं का विकास कर उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित कराने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के रूप में वर्ष 2012 में पुनर्गठित किया गया है, जिसे सिशन मोड के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– मिशन वर्ष 2012–13 से प्रवेश के 10 जिलों में गहन कार्य एवं शेष जिलों में गैर गहन कार्य हेतु लागू हुआ है। गहन कार्य हेतु शेष जिलों को चरणबद्ध रूप से शामिल किया जावेगा।

रिवाल्विंग फण्ड– गरीब परिवारों के स्व–सहायता समूहों को ग्रेडिंग के आधार पर प्रति समूह कम से कम 10,000 रूपये तथा अधिकतम 15,000 रूपये तक का रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त होगा।

पूंजीगत अनुदान– स्व–सहायता समूहों/व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिये पूंजीगत अनुदान की उच्चतम–सीमा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अथवा 15,000 रूपये तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत 50 प्रतिशत 20,000 रूपये तक के अधीन रहते हुए और स्व–सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2.50 लाख रूपये निर्धारित है।

ब्याज अनुदान– स्व–सहायता समूहो/व्यक्तिगत लाभार्थी के द्वारा बैंकों से प्रति सदस्य 01 लाख रूपये तक के लिए गए ऋण के लिये 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक ब्याज पर तुरन्त पुनर्भुगतान पर आधारित ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा, किन्तु स्व–सहायता समूह/लाभार्थी को पूंजीगत अनुदान प्राप्त होने पर ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

रोजगारोन्मुखी कौशल उन्नयन प्रशिक्षण– ग्रामीण गरीब परिवारों के युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिलाया जाकर नियोजन की उपलब्धता कराई जायेगी।

आर सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण – ग्रामीण गरीब परिवारों के युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार स्थापित करने के अवसर प्राप्त होंगे।

रोजगार मेले– ग्रामीण गरीब परिवारों के युवाओं को सार्वजनिक एवं निजी संगठनों में नियोजन के अवसर रोजगार मेलों के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

पात्र हितग्राही– गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले चयनित परिवार इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र है।[5]

इंदिरा आवास योजना

उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले आवासहीन परिवारों का आवास सुविधा करवाना।

योजना का स्वरूप – योजना केन्द्र प्रवर्तित है जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जिलेवार राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा ग्राम पंचायत उपलब्ध कराई गई राशि से किया जाता है। आवास का कुर्सी क्षेत्र (कारपेट क्षेत्र) 20 वर्गमीटर होना आवश्यक है। योजना के संसाधनों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए है। इसमें से 3 प्रतिशत निःशक्तजनों के आवासों के लिए एवं 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए उपयोग करने का प्रावधान है। इंदिरा आवास योजना में प्राथमिकता महिला तथा विकल्प के तौर पर संयुक्त पति–पत्नी के नाम आवास के साथ स्वच्छ शौचालय और धुआँ रहित चूल्हे का निर्माण भी अनिवार्य है।

पात्र हितग्राही– ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले आवासहीन परिवार।

हितग्राही चयन प्रक्रिया– योजना के तहत हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। मुक्त बंधुआ मजदूर, अजा/अजजा परिवार, युद्ध में मारे गये सैनिक बलों की विधवाओं, विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, एक्स सर्विस मैन एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकास परियोजना के विस्थापित परिवार, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, आग आदि से पीड़ित परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

संपर्क– स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच और जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत।

मुख्यमंत्री अत्योदय आवास योजना

उद्देश्य– राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से नीचे जीवन–यापन करने वाले सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाना।

योजना का स्वरूप– राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना क्रियान्वयन इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका अनुसार किया जा रहा है।

पात्र हितग्राही– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासहीन परिवार।

लाड़ली लक्ष्मी योजना –

राज्य शासन द्वारा बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा आर्थिक स्तर में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना संचालित की जा रही है।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– यह योजना 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिये है। जिसके माता–पिता ने दो जीवित बच्चों के रहते हुए परिवार नियोजन अपना लिया हो या बालिका परिवार की प्रथम संतान है तो सशर्त कि परिवार द्वितीय संतान उपरान्त परिवार नियोजन अपना लेगा, नाम दिया जा सकता है तथा जो आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत हो और आयकरदाता न हों।

योजना का लाभ– इस योजना के तहत बालिका के पक्ष में प्रतिवर्ष 6000 रूपये लगातार पाँच वर्षो तक कुल 30,000 रूपये के एनएससी क्रय किये जायेगे। कक्षा छठवीं में प्रवेश पर दो हजार रूपये, कक्षा नौवी में प्रवेश पर चार हजार रूपये, कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश पर सात हजार पाँच सौ रूपये तथा ग्यारहवी एवं बारहवीं में पढाई के समय दो वर्ष तक दो सौ रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। बालिका के 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एवं 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने पर तथा 12वीं कक्षा की

परीक्षा में सम्मिलित होन पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जावेगा। इस प्रकार भुगतान की गई राशि एक लाख रूपये से अधिक की होगी।

संपर्क– निकट की आंगनवाड़ी या जिला महिला बाल विकास कार्यालय से संपर्क करें।[6]

उषा किरण योजना –

घेरलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, नियम 2006 अंतर्गत घरेलू हिंसा से, जिसमें शारीरिक, मानसिक, लैगिंक, आर्थिक, मौखिक और भावनात्मक आदि प्रकार की हिंसा शामिल है, महिला को संरक्षण एवं सहायता का अधिकार उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम एवं नियम में किये गये प्रावधानों के अंतर्गत, पीड़ित को सेवायें उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा ''उषा किरण योजना'' संचालित है।

योजना का उद्देश्य – घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता है। कोई महिला/स्त्री जिस परिवार में या कुटुम्ब में रह रही है या रहती थी, उस परिवार के किसी वयस्क पुरूष/पुरूषों द्वारा उस स्त्री के साथ अथवा उसके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों (लड़का/लड़की) के साथ की गई शारीरिक, लैंगिक और भावनात्मक एवं आर्थिक हिंसा का कृत्य घरेलू हिंसा है।

उषा किरण योजना अंतर्गत प्रस्तावित सेवायें महिला को उपलब्ध कराने से महिला अत्याचारों में कमी आयेगीं एवं महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आयेगी, जिसके परिणामस्वरूप उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। महिलाओं के सर्वागीण विकास के साथ–साथ परिवार में आदर्श वातावरण का निर्माण होगा जिसमें बच्चों की अच्छी परवरिश भी हो सकेगी।

योजना अंतर्गत होने वाली सहायताएँ – योजना के अंतर्गत पीड़ित को निम्नलिखित सहायता प्राप्त होगी – (1) अस्थायी आश्रय, (2) कानूनी सहायता, (3) चिकित्सा सुविधा, (4) पुलिस सहायता, (5) 24 घंटे हेल्प लाइन, (6) आर्थिक

सहायता, विपणन व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, पुनर्वास (7) आवश्यक प्रशिक्षण, (8) सूचना बैंक।

संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति – किसी महिला के उसके परिवार में घरेलू हिंसा से पीड़ित होने पर उसे इस कानून के तहत सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तथा पीड़ित को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनके क्षेत्र के लिए संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिन क्षेत्रों में बाल विकास परियोजना स्वीकृत नहीं है उन क्षेत्रों में जिला कार्यक्रम अधिकारी संरक्षण अधिकारी होंगे। इस प्रकार के प्रदेश में 453 सरंक्षण अधिकारी नियुक्त किये जा चुके है। तद्नुसार गतिविधि के संचालित करने वाले एन.जी.ओ. को नियमानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है।[7]

समेकित बाल संरक्षण योजना – समेकित बाल संरक्षण योजना कठिन परिस्थितियों में रहे यथा विपराग्रस्त तथा कानूनी विवाद में पड़े बच्चें के समग्र कल्याण एवं पूनर्वास हेतु प्रारम्भ की गई है। यह योजना बाल अधिकार संरक्षण और सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। इस योजना का महत्वपूर्ण घटक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का क्रियान्वयन है।

लक्षित लाभार्थी –

01 देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चे एवं परिवार से पृथक बच्चे।

02 गुमशुदा एवं भागे हुए बच्चे।

03 कामकाजी व फुटपाथी बच्चे।

04 वेश्यावृत्ति में संलग्न परिवारों के बच्चे।

05 शोषित व प्रताड़ित बच्चे।

06 एचआईबी/एड्स से संबंधित बच्चे।

07 मशीनी दवाओं के व्यसन या अनैतिक व्यापार में भेजे जाने के संभावित बच्चे।

08 प्राकृतिक व मानव द्वारा निर्मित आपदाओं तथा आपात परिस्थितियों से प्रभावित बच्चे।

09 शारीरिक व मानसिक कमी वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, गंभीर व लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से ग्रसित बच्चे। कानूनी विवाद में संपर्क वाले बच्चे।

अभिनव योजना

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन

विकास की नवीन अवधारणा के अनुसार किसी भी देश की विकासीय स्थिति का मूल्यांकन मानव विकास सूचकांको के आधार पर किया जाता है। इन सूचकांकों में शिशु मृत्युदर, 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा एवं बच्चों का पोषण स्तर प्रमुख है। विभिन्न अध्ययन एवं सर्वेक्षण बताते है कि इन कसौटियों पर खरा उतरने के लिए अभी हमारे प्रदेश को और अधिक चुनौतियों का सामना करना है। इस हेतु प्रवेश महिलाओं एवं बच्चो के विकास और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। राज्य से कुपोषण समाप्त करने हेतु 14 मई, 2010 को राज्य विधानसभा द्वारा अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना का संकल्प पारित किया गया व मिशन के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया। 24 दिसम्बर, 2010 को अटल बाल मिशन का औपचारिक शुभारंभ किया जाकर विजन डाक्यूमेट एवं रणनीति दस्तावेज का लोकार्पण किया गया है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों (यू.एम.आर.) की मृत्यु दर 94.2 से घटकर 60 प्रति हजार जीवित बच्चे रह जाएगी।

कम वनज के बच्चों का प्रतिशत, उसी आयु समूह में 60 से 40, प्रथम पांच वर्षो में (2015 तक) और 40 से 20 प्रतिशत सन् 2020 तक रह जाएगा। बच्चों में (पांच वर्ष से कम उम्र के) गंभीर कुपोषण 12.6 प्रतिशत से पहले पाँच वर्षो में 5 प्रतिशत (2015 तक) और वर्ष 2020 तक नगण्य रह जाएगा।

मिशन के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर बैंक खाता खोलकर कर मिशन को आवंटित राशि का आहरण कर जमा किया गया। वित्तीय वर्ष 2011– 2012 में मिशन के अंतर्गत 88.21 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था, जिसमें से जिलों की 57 करोड़ रूपये की राशि का बजट आवंटन किया गया है। कार्य योजनाओं के अनुमोदन के बाद 50 करोड़ रूपये की राशि प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में जिलो को विमुक्त की जा चुकी है एवं 18.68 करोड़ रूपये की राशि स्वास्थ्य विभाग को झाबुआ अस्पतालों एवं ऐसे शासकीय अस्पताल जहां पर ''यशोदा'' नही है, के लिए 20 महिला प्रेरकों का चयन किया गया है और इन्हें अमृता नाम दिया गया।

(5) अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग अनुसूचित जाति – जनजाति के छात्रावास और आश्रम शालाएँ –

विभाग का नाम और उद्देश्य – अनुसूचित जाति–जनजाति और विमुक्त जाति के छात्र–छात्राओं को अध्ययन हेतु आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के तीन भाग है – (अ) प्रीमैट्रिक छात्रावास – इन छात्रावासों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। छात्राओं के लिए घर से दूरी का बंधन तीन कि.मी. एवं छात्रों के लिए आठ कि.मी. है। इसमें किसी प्रकार की आय सीमा का बंधन नहीं है। छात्र–छात्राओं को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को रिक्त सीट के एक तिहाई में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) आश्रम शालायें– आश्रम शालाएं छात्र–छात्राओं के लिए पृथक–पृथक कक्षा 1 से 8 तक संचालित है। इन आश्रम शालाओं में छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा के अंतर्गत शैक्षणिक सुविधा व शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जाती है। कक्षा 11वीं

एवं 12वीं की छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। कक्षा 11वीं 12वीं के छात्रों को रिक्त सीट के एक तिहाई में प्रवेश दिया जा सकता है।

(स) पोस्टमैट्रिक छात्रावास – कक्षा 11वीं एवं उससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रावास में प्रवेश दिया जाता हैं। इन छात्रावासों में छात्र–छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रतिवर्ष आगमन भत्ते की पात्रता होती है। वित्तीय 12–13 में शासन द्वारा पोस्टमैट्रिक छात्रावास में प्रकाशित विद्यार्थी को देय आगमन भत्ता में वृद्धि की दर आगमन मदों की दरे प्रथम वर्ष 1500/– द्वितीय वर्ष 250/– तृतीय वर्ष आगमन भत्ते की राशि से बिस्तर एवं बर्तन आदि की व्यवस्था करते है। इसके अतरिक्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता भी होती है।

योजना का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण मध्यप्रदेश।

संपर्क – जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, मण्डल संयोजक एवं संबंधित छात्रावास अधीक्षक।

प्री–मैट्रिक छात्रावासों/आश्रमों में शिष्यवृत्ति की दरो में वृद्धि –

आश्रमों और छात्रावासों में रहने वाले छात्र–छात्राओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार शिष्यावृत्ति दरों में वृद्धि की गई है। वर्ष 2012–13 में बालकों को 788 रूपये एवं बालिकाओं को 825 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है। इन दरों में मूल्य सूचकांक अनुसार प्रतिवर्ष वृद्धि होगी।[8]

कार्यक्षेत्र – योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश।

पात्र हितग्राही – उन्हीं छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता है, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित छात्र–छात्रा है। इस योजना में आय सीमा का बंधन नहीं है।

क्रियान्वयन की प्रक्रिया– विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पर संस्था में प्रस्तुत किया जाता है। छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से किया जाता है। आवेदन के साथ स्थाई जाति प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची, टी.सी. की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

उद्देश्य– कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं, जिसमें आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा भी शामिल है, इसमे अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति–जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार दरों से छात्रवृत्ति दी जाती है–

तालिका क्रमांक 4.02

अनुसूचित जाति–जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

समूह	विषय	दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरे	
		छात्रावास	गैर–छात्रावास
वर्ग–1	चिकित्सा, इंजीनियरिंग और साइंस, वित्त प्रबंधक समूह	1500	550
वर्ग–2	आयुर्वेदिक युनानी, होम्योपैथिक, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान में डिप्लोमा और अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	820	530
वर्ग–3	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	570	300
वर्ग–4	सामान्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं, 12वीं और स्नातकोत्तर तक पाठ्यक्रम का सामान्य प्रथम वर्ष	380	230

रेखाचित्र क्रमांक 4.02

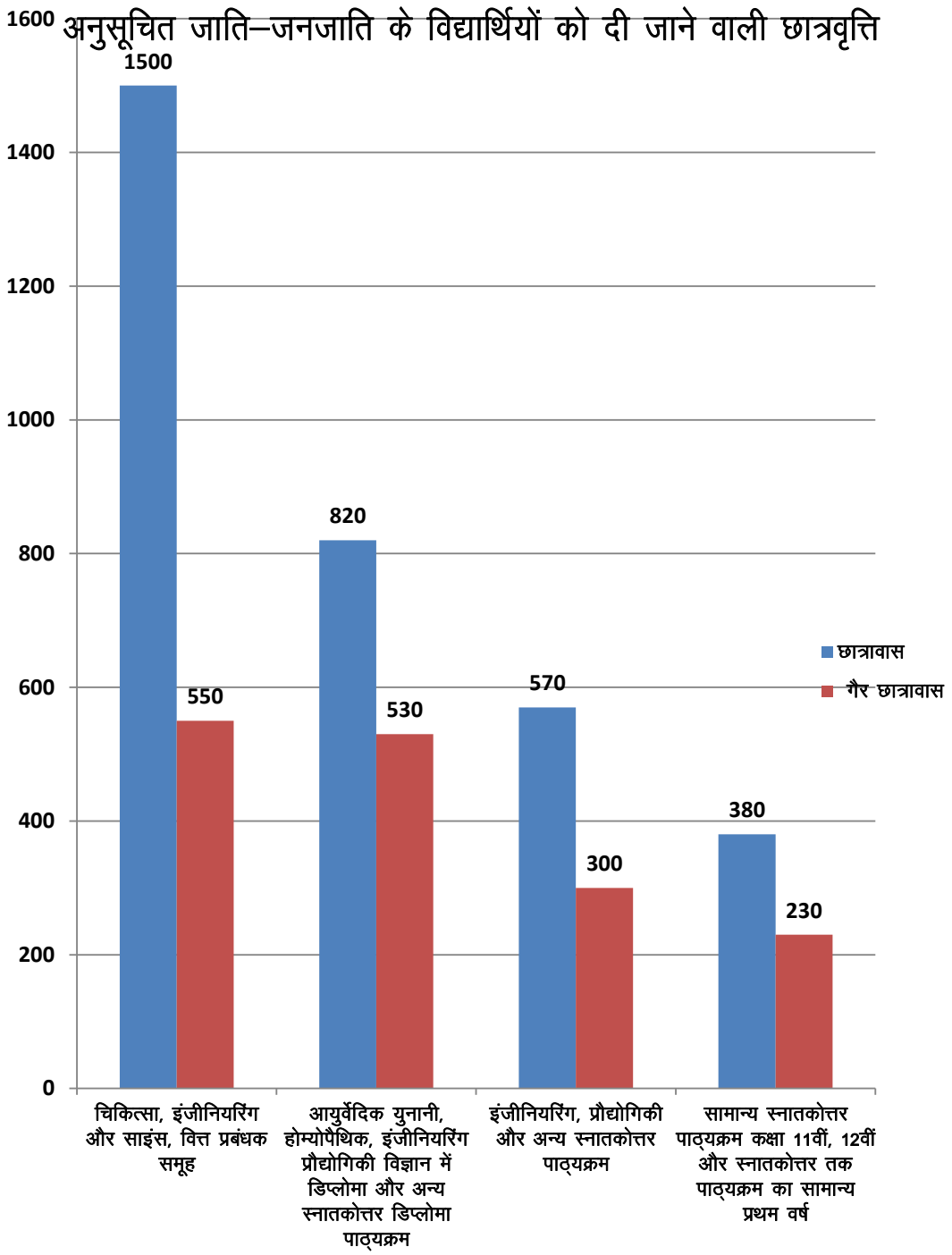

छात्रावास योजना

उद्देश्य – छात्रावास योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में स्थान रिक्त न होने के कारण आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों को आवासीय दर पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

योजना का स्वरूप – छात्रगृह योजना के लाभ के लिए पाँच या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को एक साथ निवास करने पर छात्रगृह की सुविधा के अंतर्गत आवासीय दर पर छात्रवृत्ति तथा भवन का किराया एवं बिजली–पानी के देयकों का भुगतान किया जाता है। संस्था का नियमित विद्यार्थी होना तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक शर्तो की पूर्ति करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है।

कार्यक्षेत्र – संपूर्ण मध्यप्रदेश।

चयन प्रक्रिया– महाविद्यालयीन छात्रों जिनकों छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलता वे ही अपना आवेदन–पत्र संस्था के प्राचार्य को दे सकते है।

राज्य छात्रवृत्ति (प्रीमैट्रिक)

उद्देश्य– अनुसूचित जाति–जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता के लिए निम्नानुसार दर से छात्रवृत्ति दी जाती है–

तालिका क्रमांक 4.03

अनु. जाति–जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की दर

कक्षा	छात्रवृत्ति की दर	
	छात्र	छात्रा
1 से 5	150 रूपये (सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति के बालको को)	150
6 से 8	200 रूपये	300
9 से 10	600 रूपये	800

रेखाचित्र क्रमांक 4.03

अनु. जाति–जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की दर

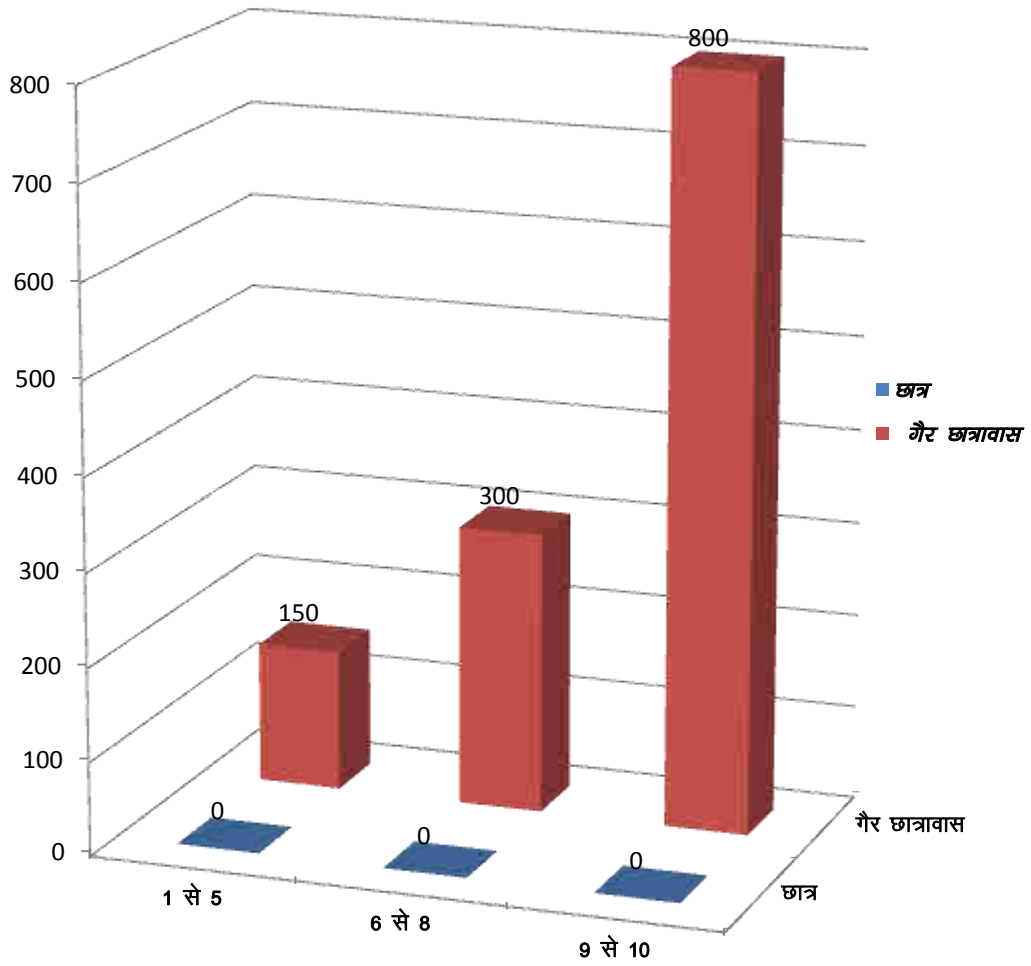

कार्यक्षेत्र – योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश।

पात्र हितग्राही – उन्हीं छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता है, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित छात्र–छात्रा है। इस योजना में आय सीमा का बंधन नहीं है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया – विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संख्या में प्रस्तुत किया जाता है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति –

उद्देश्य – कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं जिसमें आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा भी शामिल है, मैं अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति–जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार दरों से छात्रवृत्ति दी जाती है –

तालिका क्रमांक 4.04

अनु. जाति–जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित छात्रवृत्ति

समूह	विषय	दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरे	
		छात्रावास	गैर–छात्रावास
वर्ग–1	चिकित्सा, इंजीनियरिंग और साइंस, वित्त प्रबंधक समूह	1500	550
वर्ग–2	आयुर्वेदिक युनानी, होम्योपैथिक, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान में डिप्लोमा और अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	820	530
वर्ग–3	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	570	300
वर्ग–4	सामान्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं, 12वीं और स्नातकोत्तर तक पाठ्यक्रम का सामान्य प्रथम वर्ष	380	230

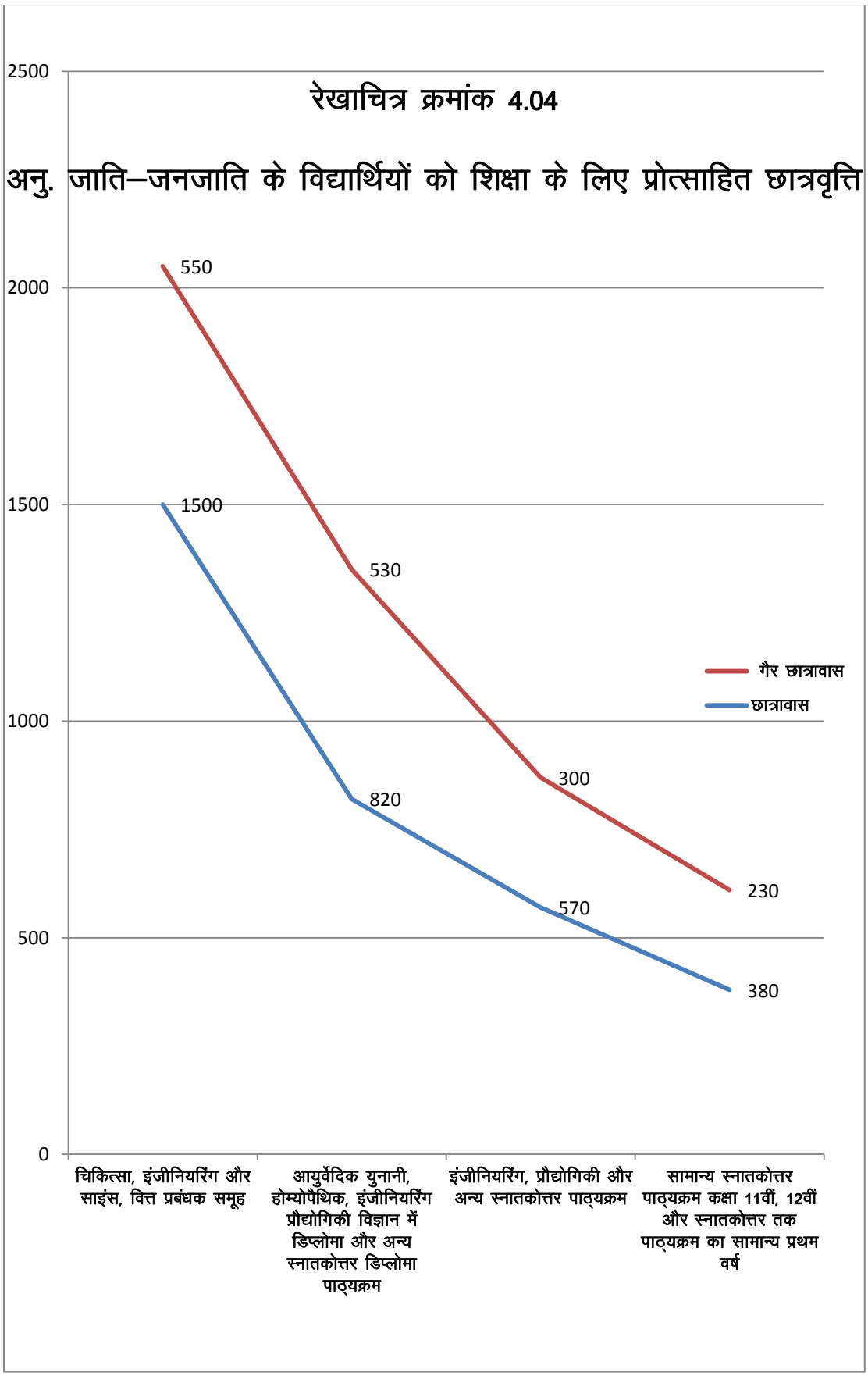
रेखाचित्र क्रमांक 4.04
अनु. जाति–जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित छात्रवृत्ति
2500
2000
1500
1000
500
0
550
530
300
230
1500
820
570
380
गैर छात्रावास
छात्रावास
चिकित्सा, इंजीनियरिंग और साइंस, वित्त प्रबंधक समूह
आयुर्वेदिक युनानी, होम्योपैथिक, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान में डिप्लोमा और अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम
इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
सामान्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं, 12वीं और स्नातकोत्तर तक पाठ्यक्रम का सामान्य प्रथम वर्ष

कार्यक्षेत्र– संपूर्ण मध्यप्रदेश योजना का कार्यक्षेत्र है।

संपर्क– जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग।[9]

नवीन योजनाएँ

01. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण एवं विभागीय योजनाओं के संबंध में जागृति शिविर का आयोजन –

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान तथा विभागीय योजना से अवगत कराने हेतु आदिवासी बाहुल्य 22 जिलों में कैरियर गाईडेन्स जागृति सम्मेलन की नवीन योजना है। प्रति जिला अधिकारी को 10 लाख रू. के मान से आदिवासी बाहुल्य 22 जिलों के कलेक्टरों को आवंटन प्रदाय किया जावेगा। शिविर एक दिवसीय होगा। वर्ष 2012–13 में 97000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु 220 लाख रूपये की राशि व्यय की जायेगी तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में 48500 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु 1100 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

02. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की काउनसिलिंग एवं पाठ्यक्रमों/कौशल विकास हेतु चयन योजना –

प्रदेश के विद्यार्थियों में कक्षा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित/उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की आगामी शिक्षा निरंतर रखने हेतु पाठ्यक्रम चयन करने तथा रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी देकर संस्थाओं में प्रवेश दिलाने एवं रोजगार के लिए कौशल विकसित कराकर रोजगार के सभी क्षेत्रों की काउन्सलिंग के लिये यह योजना तैयार की गई है।

(1) विद्यालय स्तर – विद्यार्थियों की अभिरूचि पहचान के लिए प्रत्येक विद्यालय का विशेषज्ञों को मानदेय, स्टेशनरी, डाटा रिकार्डिग तथा शिविर आयोजन व्यय के लिए 10,000 रूपये प्रदाय किया जायेगा।

(2) जिला स्तर – विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों की काउन्सलिंग के लिए प्रत्येक जिले को विषय विशेषज्ञों का मानदेय,

स्टेशनरी, डाटा रिकार्डिंग यात्रा, भोजन व्यवस्स्था, नवीन पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा एवं शिविर आयोजन व्यय के लिए 2,00,000 रूपये प्रति शिविर प्रदाय किया जावेगा। वर्ष 2012–13 में विभागीय 1534 शिक्षण संस्थाओं में राशि 193.40 लाख रूपये तथा पंचवर्षीय योजना में 967 लाख का व्यय अनुमानित है।

(3) टंटया भील स्वरोजगार योजना – मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को सफल उद्यमियों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए टंटया भील स्वरोजगार योजना प्रस्तावित की गई है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों का नियमानुसार चयन करेगी। चयनित हितग्राहियों को लागत का 70 प्रतिशत ऋण बैंकों के माध्यम से एवं 30 प्रतिशत अनुदान की प्रतिपूर्ति राज्य शासन से प्राप्त अनुदान सहायता से की जायेगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजना –

योजना, प्रतिभावान आदिवासी खिलाड़ियों में प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभा को निखारने हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आदिवासी खिलाड़ियों को निम्नानुसार राशि दी जाती है।

01. राष्ट्रीय स्तर – राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को चार हजार रूपये प्रति छात्र।

02. व्यक्तिगत स्पर्धाओं में – (अ) स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को इक्कीस हजार रूपये। (ब) रजत पदक प्राप्त करने वाले को पन्द्रह हजार रूपये। (स) कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को ग्यारह हजार रूपये।

03. सामूहिक स्पर्धाओं में – (अ) स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को दस हजार रूपये।

(ब) रजत पदक प्राप्त करने वाले को सात हजार रूपये।

(स) कास्यं पदक प्राप्त करने वाले को पांच हजार रूपये।

04. राज्य स्तर – (अ) प्रथम स्थान प्राप्त करने पर – सात हजाररूपये। (ब) द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर – पांच हजार रूपये। (स) तृतीय स्थान प्राप्त करने पर – तीन हजार रूपये।

नवीन योजना मध्यप्रदेश विकास

दर्शन योजना वर्ष 2011–12

योजना का उद्देश्य – राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आदिवासी प्रतिनिधियों की अपने गांव, तहसील, जिला एवं प्रदेश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिये आदिवासी प्रतिनिधियो को अपने स्थानीय स्तर के विकास के साथ–साथ राज्य स्तर पर हुई प्रदेश की प्रगति का अवलोकन कराने के उद्देश्य से आदिवसी प्रतिनिधियों का प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल आमंत्रित करने की योजना तैयार कर लागू करना है।

योजना का स्वरूप इस प्रकार है– प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत शासन का जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासी बहुत राज्यों से आदिवासी वर्ग के एक महिला एवं एक पुरूष को राष्ट्रीय राजधानी में आमंत्रित करता है। यहां जाकर प्रदेशों के ये आदिवासी प्रतिनिधि राष्ट्रीय गणतंत्र समारोह के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेते हैं। साथ ही वहां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्रियों से मुलाकात कर अपने वर्ग से संबंधित प्रदेश की समस्याओं से अवगत कराकर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते है। इन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने गांव, अपने जिले और क्षेत्र विशेष के जहां के वे निवासी है। वे वापस लौटकर इन योजनाओं की जानकारी अपने समाज को देंगे, ताकि अन्य लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठा सके।

राष्ट्रीय योजना की तर्ज पर ही मध्यप्रदेश शासन आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसमें प्रत्येक आदिवासी बहुल जिले से एक आदिवासी पुरूष एवं एक आदिवासी महिला गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किये जाते है। उन्हें गणतंत्र दिवस परेड का अवलोकन कराकर विभिन्न विभागों की विकास यात्रा से संबंधित झाँकियों का अवलोकन कराया जाता है, ताकि वे यह जान सके कि किस विभाग ने क्या–क्या प्रगति की है। इन प्रतिनिधियों को महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्री अदिम जाती कल्याण विभाग, मुख्य सचित महोदय से भेंट कराई जाती है ताकि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जा सके। इन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इन योजनाओं की जानकारी समाज के अन्य सदस्यों को देंगे और लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा है, उसके सार्थक परिणाम निकले, वे योजनाओं की जानकारी रूचित पूर्वक प्राप्त करेंगे। उनके पास क्षेत्र की जानकारी भी होगी। जिसे वे क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा के समय कोई उपयोगी सुझाव भी देते है। अतः वर्ष 2012 से विभागीय स्तर पर यह सोचा गया कि इस योजना को निरंतर रखा जाये।

राजधानी में हुए विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं राजधानी स्थित विशिष्ट राजनेताओं से इन आदिवासी प्रतिनिधियों की सौजन्य भेंट इस योजना के अंतर्गत कराई जावेगी ताकि प्रदेश के सुदूर अंचलो से आये आदिवासी प्रतिनिधि राज्य स्तरीय विकास योजनाओं से परिचित हो सके साथ ही प्रदेश स्तर के विशिष्टजनों से आपस में वार्तालाप कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को और आगे बढ़ाने की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त कर सके।

प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र–छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन

योजना– मध्यप्रदेश के 50 जिलों तथा विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य 15 जिलों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक पाने वाले आदिवासी वर्ग के एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रतिवर्ष 23 जनवरी तक भोपाल में आमंत्रित

कर "नेतृत्व विकास की क्षमता" बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात एवं ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों का अवलोकन भी कराया जाता है।[10]

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन

उद्देश्य – इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति–जनजाति की कन्याओं को निरन्तर शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनकी आर्थिक सहायता करना है।

योजना का स्वरूप – ऐसी कन्याएं जो कक्षा 6, 9 एवं 11 में प्रवेश लेती है उनके प्रवेश लेने पर क्रमशः 500, 1000, 3000 रूपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त देय होती है।

कार्यक्षेत्र – योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

स्वीकृति की प्रक्रिया – शाखा में अध्ययन करने वाली छात्राओं को अपने आवेदन–पत्र संख्या प्रमुख हो देना होता है। आवेदन–पत्र के साथ अंक सूची, टी. सी. एवं निर्धारित जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होता है। आवश्यकता को पात्रता नहीं है।

संपर्क – जिला संयोजक/ सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मण्डल संयोजक एवं संबंधित शाला के प्राचार्य/प्रधान पाठक।

उत्कृष्ठ छात्रावास योजना

उद्देश्य– 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेघावी छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

योजना का स्वरूप – कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालयों पर बालक/कन्या उत्कृष्ट छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, इन छात्रावासों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र–छात्राओं को अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता

है तथा इन छात्रावासों में गुणवत्ता की दृष्टि से पौष्टिक भोजन नाश्ता, निःशुल्क आवास व्यवस्था, विषयवार कोचिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, लायब्रेरी, खेलकूद सामग्री आदि सूविधायें प्रदान की जाती है। इन छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण एवं विशेष कोचिंग की दृष्टि से अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषयों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिवर्ष रूपये 2,000 की सीमा तक स्टेशनरी एवं पुस्तकें भी प्रदान की जात है।

पात्रता– अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने वाले मेघावी छात्र–छात्राएं।

आवासीय विद्यालय

उद्देश्य– अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग के कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा सहित विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

योजना का स्वरूप – कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं के लिए विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय विषयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालया की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत या उससे ऊपर अंक अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा छात्र–छात्राओं को बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक उपलब्ध कराई जाती है। एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र–छात्राओं को आगामी वर्ष में प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी।

प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना

सैनिक स्कूल तथा प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति

योजना– सैनिक स्कूल रीवा तथा प्रदेश में स्थित डेली कॉलेज इंदौर, सिंधिया पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, देहली पब्लिक स्कूल भोपाल/इन्दौर जैसे

विशिष्ट पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के होनहार विद्यार्थियों के लिए 10–10 सीट्स आरक्षित कराई गई है। इनमें चयन उपरांत प्रवेशित छात्रों की स्कूल फीस तथा अन्य शूल्कों का वहन विभाग द्वारा किया जाता है।

पात्रता– 1 विभाग द्वारा जिला मुख्यालाय पर प्रारंभिक चयन में सफल विद्यार्थी संबंधित संस्था की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों में प्रवेश मिलता है। यह प्रवेश कक्षा तीसरी तथा चौंथी कक्षा में होता है।

2 सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है। तथा चयन की कार्यवाही संबंधित संस्था के द्वारा ही की जाती है। प्रवेश कक्षा छठवीं में होता है।

विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

उद्देश्य – अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए विदेशों में अध्ययन करना चाहते है, उन्हें राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में अधिकतम 15 लाख रूपये प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश के जिलों के लिए लागू है।

पात्रता– 1 आवेदक हितग्राही को 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हो।

2 मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति–जनजाति का सदस्य हो।

3 आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो।

4 आवेदक या उसके अभिभावक की आय सीमा अधिकतम 5 लाख रूपये।

5 विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में चयन होने व प्रवेश का प्रमाण।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन राशि दिया जाना

उद्देश्य – अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।[11]

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे आवेदकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय सिविल संघ लोक सेवा परीक्षा तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता है –

तालिका क्रमांक 4.05

अनुसूचित जाति/जनजाति आवेदको को प्रोत्साहन राशि की पात्रता

क्र.	परीक्षा का स्तर	संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि	म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पात्र राशि
01	प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण	40,000/–	20,000/–
02	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	60,000/–	30,000/–
03	साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	50,000/–	2,50,000/–

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदकों के माता–पिता एवं अभिभावकों की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक न हों।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण एवं कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विस्तार

योजना का स्वरूप– अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों/मजरे/टोलों आदि जहां मुख्य ग्राम से विद्युत लाइन नहीं पहुंची हो, ऐसे ग्रामो/बस्तियों में प्रकाश व्यवस्था के लिए विद्युत लाइन का विस्तार किया जाता है। योजनान्तर्गत अनसूचित जाति/जनजाति बस्ती में एकल बत्ती कनेक्शन/स्ट्रीट लाइट विद्युत

लाइन के विकास के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक सिंचाई पंपों के ऊर्जाकरण के लिए निःशुल्क विद्युत की सर्विस लाइन पहुंचाई जाती है जिससे अनुसूचित जाति के गरीब लघु एवं सीमांत कृषक अपने छोटे–छोटे खेतों की सिंचाई कर आर्थिक लाभा उठा सके।

(6) पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग

प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य छात्रवृत्ति)

उद्देश्य– प्री–मैट्रिक स्तर पर पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है। यह छात्रवृत्ति 10 माह के लिए प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 4.06

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना

क्र.	कक्षा	दर(प्रतिमाह)	
		बालक	बालिका
01	6 से 8	20.00	30.00
02	9 से 10	30.00	40.00
03	11वीं – छात्रावासी	100.00	110.00
	– गैर छात्रावासी	50.00	60.00
04	12वीं – छात्रावासी	100.00	110.00
	– गैर छात्रावासी	55.00	70.00

पात्र हितग्राही – कक्षा 6 से 10 के वे विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते और जिनके पास 10 एकड़ से कम भूमि तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सीमा तक है।

रेखाचित्र क्रमांक 4.06

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना

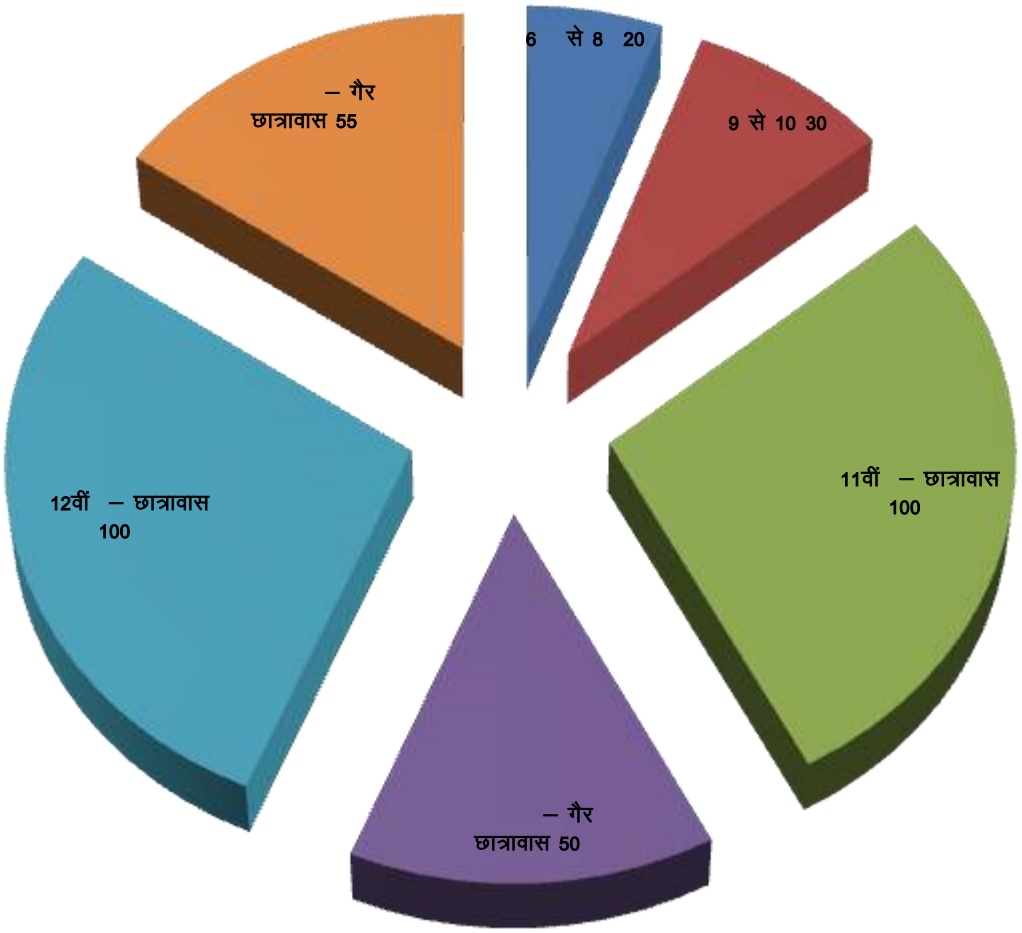

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति –

उद्देश्य– महाविद्यालयीन, व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– पात्र हेतु महाविद्यालयीन, व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है तथा जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 75,000 रूपये से कम है, उनको यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता है।

पिछड़ा वर्ग राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व परीक्षण केन्द्र, भोपाल

उद्देश्य– म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए पिछड़ा वर्ग के प्रतियोगियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु।

योजना का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र – पुरूष प्रशिक्षणार्थियों को आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। केन्द्र में 100 सीट्स का छात्रावास स्वीकृत है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि में 350 रूपये प्रतिमाह की दर से शिष्यावृत्ति प्रदान की जाती है। योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

पात्र हितग्राही– मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के स्नातक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय क्रीमिलेयर की निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजना

उद्देश्य– पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब तबके के कौशल और विकास में आ रही आर्थिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए उनका स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– निगम द्वारा वर्तमान में निम्नाकिंत क्षेत्रों के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किये जाते हैः–

(क) कृषि संबंधी क्षेत्र

(ख) हस्तकारी एवं प्रारंभिग व्यवसाय

(ग) तकनीकी व्यवसाय

(घ) छोटे व्यवसाय

(ड) परिवहन क्षेत्र

निगम के द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले पांच लाख रूपये तक के ऋणों पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है। योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

पात्र हितग्राही– पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से नीचे तथा दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करते है, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

मेघावी छात्रवृत्ति योजना

उद्देश्य– इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावन छात्र/छात्राओं को अधिकतम प्राणीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में जिला–स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग के एक छात्र एवं छात्रा को पुरस्कृत करना है।

पात्रता–

01 मेघावी पुरस्कार पिछड़ा वर्ग के केवल ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगा जिनके अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।

02 कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हो।

03 योजना अंतर्गत चयनित छात्र/छात्राओं को शासकीय अथवा शासकीय मानयता प्राप्त शैक्षणिक संस्था का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है।

04 विद्यार्थी को प्रथम प्रयास में ही कक्षा 10वीं/12वीं बोर्ड परीक्षा न्यूनतम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होना।

05 चूँकि इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग जाति के विद्यार्थियों को अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है, अतः इस योजना में आय का बंधन नहीं रहेगा।

पुरस्कार राशि – पिछड़ा वर्ग के एक छात्र तथा एक छात्रा को कक्षा 10वीं बोर्ड एवं एक छात्र तथा एक छात्रा को कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर निम्नाकिंत दरों पर पुरस्कार राशि प्राप्त होगी –

कक्षा 10वीं बोर्ड–प्रति छात्र/छात्रा 5,000 रूपये

कक्षा 12वीं बोर्ड–प्रति छात्र/छात्रा 10,000 रूपये

छात्रगृह योजना

उद्देश्य– पिछड़ा वर्ग के पोस्टमैट्रिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराना।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– राज्य एतद् द्वारा पिछड़े वर्ग के पोस्टमैट्रिक विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास न होने के कारण पोस्टमैट्रिक स्तर के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 से पिछड़ा वर्ग संशोधित छात्रगृह योजना नियम, 2011–12 लागू करने तथा योजना को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. यह योजना पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में होगी।
2. योजना की पात्रता के लिए विद्यार्थी को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित पात्रताधारक होना आवश्यक होगा।
3. योजना की पात्रता के लिए विद्यार्थी को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित पात्रताधारक होना आवश्यक होगा।
4. विभागीय छात्रावासों में स्थान रिक्त न होने की स्थिति में ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

5. यह योजना संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों पर लागू होगी
6. छात्रगृह योजना अंतर्गत कम से कम 05 या उससे अधिक विद्यार्थियों को किराये के भवन में रहने पर लाभ प्राप्त होगा।
7. भवन किराये का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा न किया जाकर भवन मालिक को अनुबंध के अनुसार एक अधिकतम निर्धारित किराया दिया जायेगा, जो निम्नानुसार होगा –
   (1) तहसील मुख्यालय पर अधिकतम 3,000/– रूपये प्रतिमाह प्रति छात्रगृह।
   (2) जिला मुख्यालय पर अधिकतम 4,000/– रूपये प्रतिमाह प्रति छात्रगृह।
   (3) संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम 5,000/–रूपये प्रतिमाह प्रति छात्रगृह।
   7 जब तक नियमों में अतिरिक्त प्रावधान न किया जाये, तब तक प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर 02 छात्रगृह, जिला मुख्यालयों पर 05 छात्रगृह एवं संभागीय मुख्यालयों पर अधिकतम 10 छात्रगृह से अधिक स्थापित नहीं होंगे।[12]

पात्र हितग्राही – पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 75,000 रूपये से अधिक न हो इस योजना के लिए पात्र होंगे।

संघ एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 'सिविल सेवा परीक्षा' में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य– इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्ग के अभ्यथिर्यो को संघ एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना का स्वरूप –

1. म.प्र. में घोषित अन्य पिछड़े वर्गो की सूची में शामिल अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए योजना लागू है।
2. इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केवल सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न चरणों में सफलता पर निम्न तालिका अनुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

तालिका क्रमांक 4.07

सिविल सेवा परीक्षाओं में स्वीकृत प्रोत्साहन राशि

क्र.	विवरण	संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
1	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	**25.00** रूपये	**15.00** रूपये
2	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	**50.00** रूपये	**25.00** रूपये
3	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	**25.00** रूपये	**10.00** रूपये
	योग	**100000** रूपये	**50000** रूपये

उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति (वर्ष 2007–2008 से प्रारंभ) –

योजना का उद्देश्य – योजना का उद्देश्य चयनित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध, उपाधि (पी–एच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 10 अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है।

पात्रता की शर्ते–

1. शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु–संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पीएच.डी.)।

2 शोध उपाधि (पीएच.डी.) हेतु–संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन/शोध/व्यावसायिक अनुभव/एम.फिल उपाधि।

3 स्नातकोत्तर उपाधि हेतु–स्नातक उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड)।

आयु – आवेदन दिये जाने वाले वर्ष की एक जनवरी को 35 वर्ष से कम विशेष प्रकरणों में समिति द्वारा 10 वर्षो तक शिथिलनीय।

पिछड़े वर्ग के बालक–बालिकाओं हेतु छात्रावास योजना

उद्देश्य – प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बालकों को संभाग स्तर पर तथा बालिकाओं को जिला स्तर पर शिक्षा जारी रखने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संभाग स्तर पर 100 सीटर बालक छात्रावास एवं 50 लीटर बालिका छात्रावास की स्थापना की गई है।

स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार

स्वर्गीय रामजी महाजन के सम्मान में उनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 28 अगस्त को स्मृति दिवस के आयोजन के अवसर पर पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के 16 चयनित व्यक्ति/व्यक्तियों या समाजसेवी संस्था/संस्थाओं को एक–एक लाख रूपये के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।

दिल्ली छात्रगृह योजना

मध्यप्रदेश के ऐसे पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए आवासीय व अन्य सुविधाये जैसे पानी, विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति, शिष्यवृत्ति आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जो दिल्ली स्थित उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत है। इस योजना की पात्रता के लिए छात्र–छात्राओं को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना

प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि क्षेत्र जैसे डेयरी, मुर्गी पालन बकरी पालन, परिवहन क्षेत्र में आटो रिक्शा, टेक्सी बस, छोटे व्यवसाय जैसे दुकान, फर्नीचर निर्माण, रेडीमेट गारमेण्ट, बेकरी इत्यादि, तकनीकी व्यवसाय में कम्प्यूटर, इन्टरनेट, फोटोग्राफी तथा पिछड़े वर्ग के परम्परागत व्यवसाय एवं तकनीकी कौशल को अपग्रेड कर उसका उपयोग स्वरोजगार के क्षेत्र में करने के लिए बैंकों के माध्यम से संचालित करने हेतु "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार" की नवीन योजना वर्ष 2008–09 से लागू की गई है।

पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण योजना 2011

योजना का उद्देश्य – योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को विविध रोजगारोन्मुख/कौशल विकास के निःशुल्क प्रशिक्षण संचालित कर उन्हें रोजगार अथवा स्वरोजगार में स्थापित करना है ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके।

अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण योजना 2011

योजना का उद्देश्य – योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को विविध रोजगारोन्मुखी/कौशल विकास के निःशुल्क प्रशिक्षण संचालित कर उन्हें रोजगार अथवा स्वरोजगार में स्थापित करना है ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके।

योग्यताएं एवं पात्रता –

01 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

02 राज्य शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग जाति समुदाय का हो।

03 योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगे–

(अ) शिक्षित बेरोजगार/शाला त्यागी (ड्रॉपआउट)